C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXVI, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 31, Thursday, May, 17, 2012/ Vaisakha 27, 1934 (Saka

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.581 to 583	2-63
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.584 to 600	64-119
Unstarred Question Nos. 6671 to 6900	120-507

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **508-511**

MESSAGES FROM RAJYA SABHA **512-515**

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
25th Report **515**

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME
8th Report **515**

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
31st Report **516**

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th, Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture

Shri Harish Rawat **516**

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs

Shri R.P.N. Singh **517**

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE TO EXAMINE MATTERS RELATING TO ALLOCATION AND PRICING OF TELECOM LICENSES AND SPECTRUM – EXTENSION OF TIME **518**

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE **519-547**

(i) Inclusion of Bhojpuri Language in the Eighth Schedule to the Constitution and steps being taken by the Government in this regard 519-535

Shri Jagdambika Pal 519-525

Shri P. Chidambaram 519-520, 533-535

Shri Shailendra Kumar 525-527

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 527-529

Shri Umashankar Singh 529-531

(ii) Situation arising out of non-implementation of Wage Revision of Industrial Development Bank of India Employees and steps taken by the Government in this regard 536-547

Shri Basudeb Acharia 536, 540-543

Shri Pranab Mukherjee 536-539, 544-547

Shri Prabodh Panda 544

NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL,2012 548

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2012 549

MATTERS UNDER RULE 377 550-561

(i) Need to enhance the procurement price of Garlic as per its price in the international market and to promote export of Garlic.

Shri Ijyaraj Singh 550

(ii) Need to increase the Kerosene quota to Kerala.

Shri N. Peethambara Kurup 551

(iii) Need to ensure increased participation of women in higher education.

Shri P.L. Punia 552

(iv) Need to issue Railway Izzat Monthly Season Ticket to all eligible working members in a family with the enhanced validity of income certificate required for obtaining the monthly season ticket.

Shri P. Viswanathan 553

(v) Need to provide adequate quantity of jute sacks for packaging wheat and to ensure timely procurement of wheat by FCI from farmers in Madhya Pradesh.

Shri Rakesh Singh 554

(vi) Need to run direct trains from Balaghat in Madhya Pradesh to Raipur and Nagpur

Shri K.D. Deshmukh 555

(vii) Need to undertake repair of N.H. No. – 76 between Jhansi and Dewari Bandha and N.H. No. – 75 between Dewari Bandha – Chhattarpur-Satna.

Shri Virendra Kumar 556

(viii) Need to release funds on priority for disbursal of scholarships to OBC students in Maharashtra

Shri Hansraj G. Ahir 557

(ix) Need to make provision for grant of subsidy to farmers to enable them to construct godowns for foodgrains.

Shri Haribhau Jawale 558

(x) Need to introduce a new passenger train service between Tatanagar and Badampahar and an express train service from Badampahar to Rourkela, Ranchi and Chakradharpur.

Shri Laxman Tudu 559

(xi) Need to provide grant for research and development to Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

Shri K. Sugumar 560

(xii) Need to improve telephone and internet services in Palghar Parliamentary Constituency, Maharashtra.

Shri Baliram Jadhav 561

ADMINISTRATORS-GENERAL(AMENDMENT) BILL, 2012 **562-565**

Motion to Consider 562

Shri Salman Khursheed 562-564

Clauses 2 and 1 563

Motion to Pass 565

RAILWAY PROPERTY(UNLAWFUL POSSESSION) (AMENDMENT) BILL,2011

Motion to Consider 566

Shri Mukul Roy 566

Shri S.S. Ramasubbu 567-570

Shri Arjun Charan Sethi 571-572

Shri Shailendra Kumar	573
Shri Lalji Tandon	574-578
Shri Vijay Bahadur Singh	579-581
Shri Bhudeo Choudhary	582-583
Shri Lalu Prasad	584-588
Shri K. Shivkumar alias J.K. Ritheesh	589-590
Shri Prabodh Panda	591-592
Sk. Saidul Haque	593-594
Shri Pralhad Joshi	596-597
Chaudhary Lal Singh	598-599

DISCUSSION UNDER RULE 193

Protection of river Ganga from pollution and the Himalayas from ruthless exploitation	601-680
Dr. Ratna De	601-602
Shri Rajendra Agarwal	603-607
Shri Pradeep Tamta	608-610
Sk. Saidul Haque	612-613
Shri Bhartruhari Mahtab	614-618
Shri R. Thamaraiselvan	619-620
Shri Tufani Saroj	621
Shri Anant Gangaram Geete	622-624
Shri Arjun Ram Meghwal	625
Shri Ramesh Bais	626
Dr. M. Thambidurai	627-629
Shri Premdas	630
Shri Ram Singh Kaswan	631
Shri Nama Nageswara Rao	632-633
Shri Sanjay Singh Chauhan	634-635

Shri Prabodh Panda	636-640
Shri P.T. Thomas	641
Shrimati Annu Tandon	642-645
Shri Tarun Mandal	646-647
Shri S.S. Ramasubbu	648-649
Shri Shailendra Kumar	650
Shri Sushil Kumar Singh	651-652
Prof. Ranjan Prasad Yadav	653-654
Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi	655-657
Shri Kapil Muni Karwariya	658
Shri O.S. Manian	659-660
Shri Gorakhnath Pandey	661-662
Shrimati Jayanthi Natarajan	663-680

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	700
Member-wise Index to Unstarred Questions	701-705

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	706
Ministry-wise Index to Unstarred Question	702-703

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, May, 17, 2012/ Vaisakha 27, 1934 (Saka

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q.581)

DR. M. THAMBIDURAI : Madam Speaker, MGNREGA is one of the flagship programmes of the Government of India. The main objective of this scheme is to provide employment with guaranteed wages for 100 days a year for the people living below poverty line in rural areas. The Minister has said that the allocation for this programme has been increased year after year. We know that when they started this programme, they had not covered all the areas of the country. Only in selected districts it was started. Because of that the expenditure has been increased when more districts are covered. According to his figures, in 2010-11, Rs.39377 crore was spent. At the same time, if you see 2011-12 it has been reduced to Rs.37303.34 crore. I asked a specific question whether it is for the drought prone areas.

Today, a newspaper has published 'Drought-hit villagers migrate pour in Mumbai'. The object was to see that people in rural areas continue to stay there only and get wages and do their activities in rural areas. That is the main aim. It is written here as to why they are not accepting this kind of job. It is to 'shun low wages'. That is, MGNREGA wages are very low and that is why they look for livelihood in cities by migration. The Satara (Maharashtra) Collector Shri Ramaswamy has said that more migration is taking place as compared to previous years. Another Collector has said why they are not opting for MGNREGA is because the minimum wage is low. I would like to know from the Minister whether there is any proposal to increase the wages and number of days of employment from 100 to 150 or 200 days to see that migration from rural areas to cities is reduced. The wages should be at par with that of cities. The aim with which you have started this programme was to see that minimum wages level is maintained in rural areas. That is why, NREGA was introduced. Now, when they come to city areas they get higher wages. Therefore, why do you not ensure that in rural areas also the same kind of wages that prevail in cities like Delhi, Mumbai, Chennai are maintained, so that they can do some agricultural activities in rural

areas? Agricultural activities are going down now and we are suffering because of that.

SHRI JAIRAM RAMESH: The hon. Member has raised a number of issues. I would request him not to jump to conclusions based on one newspaper report. Over the last five years there have been many evaluations done about MGNREGA. One of the most powerful conclusions that has been arrived is that the distress migration from many parts of the country has in fact come down.

I was recently in Punjab and the complaint there was the labour that used to migrate every year from Bihar, Orissa and Eastern UP has in fact reduced testifying to the success of MGNREGA in these areas. Now, the hon. Member has raised the question of wage rates. Madam, it was only on 22nd March that I had laid a statement on the Table of the House which increased the wage rates and I committed that the Government of India would increase the minimum wage under MGNREGS every year and it would be indexed to the Consumer Price Index for Agricultural Labour. In the hon. Member's own home State of Tamil Nadu, the MGNREGS wage rate has gone up from Rs. 119 to Rs. 132 whereas the minimum agricultural wage under the Minimum Wages Act, 1948, that has been fixed by the State Government, is Rs. 100. So, the minimum wage under MGNREGS is actually higher in Tamil Nadu than the minimum wage that is fixed under the Minimum Wages Act.

As far as the parity between the minimum wage under the Minimum Wages Act and MGNREGS is concerned, I had answered this question a couple of days ago in this very House. The matter is in the Supreme Court and it is the intention of the Government that we will amend section 6(1) of MGNREGA to put an end to the controversy regarding the issue about the divergence of the minimum wage under the Minimum Wages Act and the minimum wage under MGNREGS.

DR. M. THAMBIDURAI: I am happy to note that the hon. Minister has said that Tamil Nadu is doing well and also the wages there are higher in comparison to

other States. At the same time, there is another reason due to which the migration is not taking place in Tamil Nadu.

Madam, you know very well, and the yesterday's newspapers also carried this on completion of one year of Hon. Chief Minister, Madam Jayalalithaa's Government in Tamil Nadu, that there are various welfare schemes which are being done by the State Government in rural areas apart from in urban areas. Apart from the wages, which the hon. Minister referred to, hon. Madam Jayalalithaa's AIADMK Government, the Tamil Nadu Government, is giving 20 kilograms of rice at no cost for universal distribution. All families are getting it. There are many welfare programmes in Tamil Nadu being implemented by the State Government. In addition to what they are getting under MGNREGS, the agricultural people and also other wage workers are getting 20 kilograms of rice at no cost. They are not charged at all for that. So, the Tamil Nadu people are coming forward to support hon. Madam J. Jayalalithaa's Government, Tamil Nadu, which is doing well. I am very proud to hear from the hon. Minister that Tamil Nadu Government is doing well. Tamil Nadu Government under the leadership of Madam J. Jayalalithaa has completed successfully one year. Apart from MGNREGS, there are so many welfare programmes which our hon. Chief Minister, Madam J. Jayalalithaa is doing in the State.

I want to know whether they are going to come forward to give more money under this programme to Tamil Nadu and see that it is further implemented properly.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, MGNREGS started in February, 2006. So, whatever achievements have taken place in Tamil Nadu are the achievements since 2006 and not only of what has happened in the last one year.

I want to place on record that Kerala and Tamil Nadu are two States where the employment of women is the highest. In Kerala, 94 per cent of people seeking employment are women and in Tamil Nadu, 84 per cent of people seeking employment are women. Rajasthan is the third State where about 70 per cent of

the job-seekers under MGNREGS are women. So, these are some very positive features of this programme in these three States and one must compliment the administration in Tamil Nadu since 2006 for the success of the programme.

In this year, 2012-13, there is no allocation for MGNREGS as such because it is a demand-based and need-based programme and it is identified by the Gram Panchayats, but broadly speaking, I can inform the hon. Member that last year, about Rs. 2,900 crore was the expenditure under MGNREGS in Tamil Nadu and this year, based on the initial demands that have been placed, we expect an expenditure of about Rs. 5,800 crore under MGNREGS in Tamil Nadu.

MADAM SPEAKER: Shri Madan Lal Sharma.

… (*Interruptions*)

SHRI S. ALAGIRI: Madam, please allow me to speak for one minute. I want to ask a question.

MADAM SPEAKER: No, I have called Shri Madan Lal Sharma.

SHRI S. ALAGIRI: Please give a chance after him.

श्री मदन लाल शर्मा : ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और यूपीए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सारे देश के अंदर एक इंक्लाबी प्रोग्राम महात्मा गांधी नरेगा स्कीम शुरू किया। शुरू-शुरू में उसके नताइज बेहतर साबित हुए। जहां तक मुझे अपनी रियासत जम्मू और कश्मीर का इल्म है, वहां अभी बहुत सारी लीकेज़ शुरू हो गई है। लोग काम तो करते नहीं हैं। सभी लोगों के जॉब कार्ड नहीं बने हैं। लेकिन रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से पहले यह था कि बैंकर्स पेमेंट करेंगे। 15 दिन के अंदर वह पेमेंट लेबर को मिलेगी। शुरू-शुरू में डिपार्टमेंट की उसमें ताखीर उन्होंने की कि हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अब उन्होंने रास्ता निकाल लिया है। फ्रॉड जॉब कार्ड बना लिए हैं। लोग काम नहीं करते हैं। उन्होंने जो फ्रॉड जॉब कार्ड बनाए हैं, उनकी पेमेंट होती है। मैं समझता हूँ कि इससे यह स्कीम बहुत बदनाम होने की कगार पर जा रही है, मैं यह मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है? एक तो वेजेज़ बहुत कम हैं, दूसरे दिहाड़ीदार को ढाई सौ रूपये जो रोज़ के मिलते हैं वह बहुत कम है। एक तो वह बढ़ाई जाए। दूसरा, इसका ऐसा सरिश्ता किया जाए कि किन लोगों के कितने-कितने जॉब कार्ड हैं। इसकी बकायदा इन्क्वायरी होनी चाहिए कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मज्मूई तौर पर पूरी रियासत में हर ब्लॉक

के अंदर कितने लोगों को आज तक रोज़गार मिला है, काम मिला है। सही मायने में जिसका हक़ बनता था, क्या उसे मिला है या कोई दूसरा आदमी ले गया है। इस लीकेज को बंद करने के लिए इनके पास क्या तरीका है?

SHRI S. ALAGIRI: Madam, please allow me to speak for a minute. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat now.

… (*Interruptions*)

SHRI JAIRAM RAMESH : Madam Speaker, I would like to make a small correction before I answer the hon. Member's question. The figure for Tamil Nadu for 2012-2013 is not Rs. 5,800 crore, as I had mentioned, but it is actually Rs. 5,300 crore.

मैडम स्पीकर, जम्मू और कश्मीर रियासत के बारे में दो सवाल उठाए गए हैं - एक तो फ्रॉड जॉब कार्ड के जो घोटाले होते हैं, उसके बारे में और दूसरा, न्यूनतम मज़दूरी दर का मुद्दा उठाया गया है, उसे बढ़ाने के संदर्भ में ये सवाल उठाए गए हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मनरेगा के तहत न्यूनतम मज़दूरी दर 131 रूपये है। वह 121 रूपये से बढ़ कर 131 रूपये हुई है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम सन् 1948 के तहत कृषि के लिए जो न्यूनतम मज़दूरी दर है वह 110 रूपये है। मैं समझता हूँ और इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मज़दूरी दर कम है। मज़दूरी दर कम नहीं है। परंतु यह बात सही है कि कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि फ़र्जी जॉब कार्ड बने हैं, नकली जॉब कार्ड बने हैं और दावा किया गया है कि रोज़गार मिला है। उनको असली में रोज़गार नहीं मिला है। इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि पहली बार सीएजी की पर्फारमेंस ऑडिट हो रही है। हरेक राज्य में यह पर्फारमेंस ऑडिट हो रही है। पिछले पांच साल में मनरेगा में कितने रूपये खर्च हुए हैं, कौन-कौन से क्षेत्र में खर्च हुए हैं और क्या वे सही मायने में खर्च हुए हैं, इसका निरीक्षण सीएजी कर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट नवंबर के महीने में लोक सभा में पेश होने की हम उम्मीद करते हैं। एक और कदम हमने उठाया है। ग्राम पंचायत के द्वारा ही काम आइडेंटीफाई किया जाता है। प्राथमिकतः ग्राम पंचायतों के आधार पर ही यह तय किया जाता है। अनिवार्य रूप से, इस साल से ग्राम पंचायत स्तर पर जो मनरेगा के खाते में पैसा जाएगा, उसका अनिवार्य रूप से चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, सर्टिफिकेशन किया जाएगा। दस या पंद्रह प्रतिशत ऐसे केस होंगे, जहां फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ मनरेगा रिकाड्र्स होगा। मैं

समझता हूँ हम ऐसे कदम लेंगे तो पारदर्शिता ज़रूर आएगी। हमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मनरेगा से जो पैसा ग्राम पंचायतों को जा रहा है, वह सही ढंग से खर्च हो।

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट: मैडम, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का मौका दिया है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप आपस में बात-चीत मत कीजिए।

SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT: I would like to know from the Minister, through you, Madam, whether it is true that the number of labourers available for agricultural work in monsoon season has decreased because of MGNREGA. Has the Government received such complaints from States like Gujarat? I would like to know from the Minister how the Government is going to deal with this situation concerning agriculture. Agriculture is a very important sector, as far as our country is concerned. If the farmers do not get labourers during the monsoon season, how is the Government going to tackle this situation?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, it is true that we have received a number of representations from State Governments as well as from hon. Members of Parliament that agricultural production is adversely impacted by the MGNREGA programme. I would like to categorically state on the floor of the House, Madam, that these fears are totally unfounded. Seventy per cent of employment under MGNREGA is in the off season. I want to repeat this, Madam, that 70 per cent of MGNREGA employment is in the agricultural off season and not in the agricultural peak season. So, this argument that MGNREGA is killing agriculture, in my view, is very largely exaggerated. However, since the concern has been raised … (*Interruptions*) एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : मैडम, मुझे खत्म करने का मौका दीजिए।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : महोदया, मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं कि 70 प्रतिशत रोजगार एग्रीकल्चर के ऑफ सीजन मौसम में मिलता है।…(व्यवधान) क्योंकि कई आशंकायें जतायी गयी हैं, पिछले हफ्ते ही मैंने सदन के पटल पर एक सूची रखी थी, जो मनरेगा का शेड्यूल-1 है, उसका काफी भारी मात्रा में विस्तार हुआ है। इसमें 30 नए काम जोड़े गए हैं। 6 साल में पहली बार यह हुआ है कि शेड्यूल-1 का संशोधन हुआ है। 30 नए काम जोड़े गए हैं और इन 30 नए कामों में से करीब 22 ऐसे काम हैं, जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। माननीय सांसदों की जानकारी के लिए मैंने सदन के पटल पर यह सूची रखी थी।…(व्यवधान) मैं उसको पढ़ सकता हूं। ये 30 नये काम हैं।…(व्यवधान) ये जो काम जोड़े गए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केरल सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के आधार पर ही यह सूची तैयार की गयी है। …(व्यवधान) मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में हम मनरेगा से कोई नकारात्मक असर नहीं होने देंगे।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पुलीन बिहारी बासके।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded

SHRI PULIN BIHARI BASKE: Thank you, Madam Speaker, for giving me a chance to raise a supplementary.

I have seen the answers given by the Minister concerned. It has been mentioned that there has been a steady increase in expenditure incurred under MGNREGS over the years, except in 2011-12, where it has been reported that the data provided was provisional. This Scheme is demand-based; whatever we have demanded, it has not been provided for. Whatever funds have been provided, the works are not being executed; where works have been completed, labourers are not getting payment in due time. The payment procedures are such that there are delays, and the actual expenditure is not being reflected.

What are the steps being taken by the Government to rectify the procedure so that the expenditure is reflected properly? This is what I would like to know from the Minister, through you, Madam.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, it is true that in 2011-12, the demand for MGNREGA fell. I want to inform the hon. Member that the expenditure was broadly the same. About Rs. 39,000 crore was spent in 2009-10, in 2010-11 and also about Rs. 39,000 crore was spent in 2011-12. So, in terms of expenditure, there was no reduction. However, Madam, I admit that there was a reduction in the number of people seeking employment. In the previous year to last year about five and a half crore people sought employment. Last year, about five crore people sought the employment. So, there was a reduction in the number of people seeking employment and this is because the monsoon situation last year in various States was much better and it is well known when the rains are good, the demand for NREGA falls. Last year, in a number of States the monsoon situation was far better than what existed in the previous year. Therefore, the physical demand for NREGA fell last year, although the expenditure was just about the same as compared to the previous year.

SHRI BAIJAYANT PANDA : Thank You Madam Speaker. My supplementary question is with reference to the hon. Minister’s remarks about audit enquiries

being conducted in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes.

Madam, it has been widely reported in the media that there have been certain deficiencies which have been found in the scheme which has led to leakages based on which I assume that these audit enquiries are being conducted. In particular, there are many things that are being alleged but one thing that has been alleged is that there are some complications in the scheme which are leading to some of these allegations. For instance, the use of mechanized operations and one of the allegations that is being made is that job card holders are being paid a fraction of what they are supposed to be paid and are told to stay at home and machines are being used to complete the work. Now, this may be possible because it is impractical that the ratio of mechanized and manual labour that has been prescribed.

My question to the hon. Minister is that is he aware of these allegations? What steps he is proposing to take to amend the scheme, if necessary? And would he consider using new technology such as the Aadhaar scheme to ensure that such fraud does not happen?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, we are very much conscious of the need to use Aadhaar and we are, in fact, in very close touch with the Aadhaar authorities to make use of the Aadhaar platform reality for delivering wage payments to NREGA workers. Now, as far as the use of material and machines are concerned, Madam, I would like to categorically state that 60 and 40 is a non-negotiable as far as NREGA is concerned. The labour and the material ratio has to be 60: 40. We have received complaints in a large number of areas that machines have been used. That is the whole purpose for conducting the performance audit through the CAG. I have already mentioned that the results of the CAG audit would be available to Parliament some time in November or December.

In addition to this, we have introduced this new system of certification of NREGA accounts at the Gram Panchayat Level. I would like to tell the hon.

Member that the primary responsibility for taking corrective action lies with the State Government. The State Government has to take action. We can send national level monitors. We have sent hundreds of national level monitors. We have hundreds of quality reports. But ultimately, it is the State Government that has to take action against the errant officials. Now, if the State Government does not want to move, I am unfortunately helpless because then you will say संघीय ढाँचे पर आक्रमण हो रहा है। So, I do not want to get into that debate. So, it is a State Government that has to take the responsibility.

(Q. 582)

SHRI IJYARAJ SINGH: Madam Speaker, over the years, many Law Commissions have been set up. The current Law Commission, the tenure of which expires at the end of the year is the 19th Law Commission. The purpose of this Law Commission is Judicial Reform and one of the terms of reference is revoking and amending obsolete laws. In the reply the Minister stated that the concerned Ministries and Departments examined the recommendations of the Law Commission so as to consider the feasibility of reviewing and repealing.

I would like to ask the hon. Minister as to how many of the Commission's recommendations and reports have been implemented, to what extent they have been implemented in particular concerning obsolete laws – as apart from the desired reform, it is also a question of the expenditure on these Commissions - and if not, why not?

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam Speaker, as far as the Law Commission is concerned, the mandate of the Law Commission is a lot wider than merely looking at obsolete laws and repeal of redundant laws. However, this is an area in which the Law Commission's recommendations from time to time on a continuous basis are taken on board by line Ministries, and then appropriate steps are taken for amendments and repeal. But as far as the outmoded and redundant laws are concerned, the Special Commission that was appointed had come to the conclusion that of the total number of such Acts, 1382, as recommended, 415 have already been repealed. Action has already been taken on 415. The number of Acts which are at various stages of repeal and amendment is 17. Number of Acts on which the Government has consciously, after receiving the recommendations still come to the conclusion that 822 of such Acts need to be retained. Of these, 700 are actually Appropriation Acts, which were recommended to be repealed, but based on the Ministry of Finance and the advice that we received from the Attorney-General, the Government has finally decided to still keep 700 of these Acts on the statute book. So, altogether, about nine Acts remain under examination, 17 are at

various stages of repeal, 415 have already been repealed, and 822 out of 1382, we have decided will not be repealed.

SHRI IJYARAJ SINGH: Madam Speaker, there are many obsolete laws pending in the country and it is said that where there are too many laws, justice suffers. The question arises how to go about repealing them. There have been some recommendations by experts and other people saying that one of the way is to identify laws which have not been invoked for the last 15, 20 years; as well as laws under which there have been no convictions for the last 25, 30 years. I would like to ask the hon. Minister whether this kind of methodology has been considered or something similar is being considered.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam Speaker, this is certainly a matter of concern to have laws that are neither in the knowledge of the public, nor being used or exercised usefully. To leave them on the statute book in a state of semi-redundancy is not a good idea. I am in touch with the Law Commission. The Law Commission is conscious of this. Periodically the requests that we receive from various Ministries are also transferred to the Law Commission. I think that now that we are in the process of computerizing and digitalizing everything, it will be a lot easier for us to spot such laws as need our attention for ensuring that their redundancy is taken care of.

MADAM SPEAKER: I must again appreciate, the Leader of the House has observed Parliamentary courtesy; and I would request all the Members to be doing that in future. Thank you.

श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी प्रश्न का जो जवाब दिया है, ऐसा लगता है कि लग्गी से घास काटा जाता है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं एवं कई कानून हम पर 19वीं शताब्दी के लागू हो रहे हैं। इसमें कई कानून अंग्रेजों के ज़माने के हैं और हमें अंग्रेजों के राज करने की याद दिलाते हैं। सरकार का कहना है पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरसन करने की एक सतत प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य गण, कृपया ध्यान दीजिए कि मानननीय सदस्या क्या पूछ रही हैं। आपसी बातचीत बंद कर दीजिए।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, केन्द्र सरकार के विभाग एवं मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्र के पुराने एवं अप्रचलित कानूनों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की समीक्षा कर, भारत सरकार के विधि आयोग को सूचित करते हैं और इस तरह से कानूनों का निरसन किया जाता है। इसके बावजूद, देश में अप्रचलित एवं पुराने कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था चल रही है।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मई, 1998 से पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को हटाने की मुहिम शुरू की थी और माननीय पी.सी. जैन आयोग का गठन किया था। उसके बाद कई कानूनों का निरसन किया गया, परन्तु तीन सालों से इस दिशा में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को भारत सरकार के विभाग एवं मंत्रालयों ने विधि आयोग से निरसन करने की सिफारिशें की हैं? उनमें से कितने कानूनों का निरसन हुआ है और आज की तारीख में कितने कानून निरसन हेतु लम्बित हैं और यह कब तक होगा, यह बताने की कृपा करें, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और आप जवाब देते रहेंगे।

श्री सलमान खुर्शीद: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद महोदया ने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं यह मानता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों से समय-समय पर हमें विस्तार से जो सूचियां प्राप्त होती हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। अगर माननीय सदस्या को विस्तार से इन आंकड़ों की आवश्यकता है तो मैं अवश्य ही उन्हें लिखित रूप में दूंगा। लेकिन, मैं इतना बता दूं कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे और जिनकी पूरी संख्या ग्यारह थी, उसमें से आठ कानूनों को रिपील कर दिया गया है, तीन कानूनों पर कार्रवाई चल रही है। अब जो कानून हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैं या स्वीकार किए हुए हैं। उन्हीं कानून और उसी विधि के अनुसार हम अपनी जनता की सेवा करते हैं और अगर उसमें कहीं कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य की ओर से आएगा तो उस पर भी हम बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे।

SHRI MANISH TEWARI: Thank you, Madam Speaker. The hon. Minister, in his reply, has said that there are 1323 laws which were recommended for repeal over a period of time. Now he says that the Government intends to retain 700 out of them, on the advice of the Attorney-General. But the fact remains that even today, we have the Indian Penal Code, which dates back to 1860; we have the Evidence Act, which dates back to 1872; we have the Contract Act, which again dates back to 1872; and we have the Land Acquisition Act, which dates back to 1894. What I would like to submit, through you, Madam, to the hon. Minister is this – is it not time that the Parliament starts considering or the Government starts considering

that we pass laws with an expiry date? For example, we could say that a law would be valid for a period of 25 years and till the time, it is not extended, it automatically gets repealed. The reason why I am saying this is that every 25 years or every 50 years, the law will automatically come up for review and it will get concurrence; and thus, the Parliament and the Government would get time to deliberate upon it and bring it up-to-date. Otherwise, we have a situation wherein we are living with the laws which have been passed in another era; and because of lack of inertia or because of inertia or because of the lack of time or because of various other reasons, the Parliament is not able to apply itself either to updating them or amending them. Would the hon. Minister consider the suggestion or would the Government consider the suggestion that we start passing laws with an expiry date of maybe 25 years or 50 years, whatever may be appropriate or whatever may be the sense of the House?

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam Speaker, since the hon. Member had adverted to the sense of the House, when the sense of the House is such, I am sure, we would move in that direction. But this is really a matter for my colleague, the hon. Minister of Parliamentary Affairs to reflect upon and with appropriate sense of the House move forward. This is not something on which I could either give an assurance or give a specific reply at this stage.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Thank you, Madam. It is not just a 100 year old law, as Shri Tewari has just now said, there are a lot of laws that need repealing because their sell-by-date is long over. The Prevention of Cruelty to Animals Act prescribes a fine. You can do whatever you want to an animal as you are just to pay a fine of Rs.50. This amount of Rs.50 when Pandit Jawahar Lal Nehru proposed it in 1960, was a huge amount. Today it means nothing. It is the only Act in India in which criminals, who are caught daily again and again sending cows for slaughter, killing lambs for instance, killing buffalos and bulls, plead guilty immediately. So, they are self-confessed criminals who do this again and again only because the fine is Rs.50. You go, pay Rs.50, do what you want,

kill the animal, take it back and that is the end of it. We were told by Shri Jairam Ramesh, when he was the Minister for Environment, that he was going to update this law. Has it come to you? Has anything happened with it? I know it is a difficult question to ask you but it really needs to be asked.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam, Speaker, the hon. Member's concern, particularly in the area of cruelty to animals, is something that most of us here in the House share. We also understand that it must remain on a high priority. But in recent years we have obviously tried to find the right balance ensuring there is no cruelty to human-beings, there is no cruelty to people who are disadvantaged. There is no cruelty to women. There is a range of legislation that we are trying to attend to and some outstanding legislation has been given. There has been a movement forward in the criminal jurisprudence by now permitting people to be able to talk to the prosecutors and find solution so that they are not kept in courts for a prolonged time.

As far as the concern about cruelty to animals is concerned, I will pass this on to the Minister for Environment. There is not anything pending with us right now but anything that comes to us from the Minister of Environment I can assure the House we will attend to it with the utmost urgency, sincerity and sensitivity.

श्री विजय बहादुर सिंह : अध्यक्षा जी, एक एनशिएंट प्रोटैक्टिड मोनूमेंट्स एक्ट है, उसमें जिन अंग्रेजी सिपाहियों ने हिन्दुस्तानियों को मारा और उस में कुछ अंग्रेज गोरे सिपाही भी मारे गये। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाउंड कानपुर में, कम्पनी बाग में इलाहाबाद में वहां पर एक सिपाही की एक छोटी सी मजार बनी है, उसको अंडर दि एक्ट प्रोटैक्शन दिया गया है और उसके इर्द-गिर्द कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। एनशिएंट प्रोटैक्टिड मोनूमेंट्स कोई एंटीक बात हो, कोई अकबर बादशाह की या पुरानी बात हो तो ठीक है, लेकिन जिन सिपाहियों ने म्यूटिनी में हिन्दुस्तानियों को मारा और उनका अगर कोई सिपाही मरा है तो प्रोटैक्टिड मोनूमेंट में क्यों इसको नहीं बदला जाता। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने पूछ लिया है।

श्री विजय बहादुर सिंह: सवाल इस चीज़ का है, क्या मंत्री जी इसके बारे में is he thinking to change that Act?

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam, Speaker, I would urge the hon. Member not to speak of it as a mutiny because it was the First War of Indian Independence and I know that your ancestors were also involved in it. Therefore, let us not borrow a phrase that our oppressors had imposed upon us. However, this is a matter that would be best responded to by the Minister for Culture and not by us. But I share the sentiments of the hon. Member and I am sure that wherever it is necessary, without wiping out our history and without forgetting that some oppression took place against our noble souls that fought for independence of our country, we have to find appropriate method by which we can continue to protect the history that must be known to our children whether it is the history that we are proud of or a history that we feel sorry was inflicted upon us.

(Q.583)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मेरे प्रश्न के पांच भाग ए, बी, सी, डी और ई थे। इनमें से ए भाग का जवाब देने का माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है, लेकिन वह भी सही नहीं है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने 14 मार्च, 2012 को अपने रेल बजट भाषण में लंबित परियोजनाओं का जिक्र पैरा-18 में किया, जिसमें उन्होंने नई लाइन, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण, रेलवे विद्युतीकरण से सम्बन्धित 487 रेल परियोजनाओं के पेंडिंग होने का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न इसी सत्र में पूछा गया था, स्टार्ड क्वैश्चन नम्बर 382 और उसका उत्तर 3-5-2012 को दिया गया। उसमें उन्होंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स 340 बताये थे। रेल बजट में ये 487 बताते हैं और इस प्रश्न के उत्तर में 340 बताते हैं। कितनी धनराशि की आवश्यकता है? इसमें भी उन्होंने 1 लाख 25 हजार करोड़ रूपए की राशि बतायी है, ऐसे ही ये 1.25 लाख करोड़ रूपये दूसरी जगह भी बताते हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि माननीय मंत्री जी ने डॉ0 अनिल काकोदकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम हाई-लेवल रेलवे सेफ्टी कमेटी था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 17 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत कर दी, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल से सम्बन्धित दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश भी की थी, लेकिन इसमें कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी कमेटी रेलवे ने एक एक्सपर्ट ग्रुप के माध्यम से बनायी थी, जिसकी अध्यक्षता सैम पित्रोदा ने की।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इस एक्सपर्ट ग्रुप का विषय था मॉडर्नाइजेशन एंड रिसोर्स मोबलाइजेशन। उसमें उन्होंने 5.6 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता बतायी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में रेलवे के पास पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं और उनके लिए कितनी राशि की आवश्यकता है? 30 मार्च, 2012 को जो बजट रेल मंत्री जी ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि "नो शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर रेल प्रोजेक्ट्स "। मैं यह जानना चाहता हूं कि टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हैं और कितने धन की आवश्यकता है तथा ये विरोधाभासी बयान क्यों आ रहे हैं? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam Speaker, it is true that 340 projects, all put together, of gauge conversion, doubling and new line are pending. But I would like to place before the august House that after the Independence we have almost

completed gauge conversion, except 8,000 kilometres. However, we are going to complete 5,500 kilometres by the end of 12th Plan. After that, we are going to complete remaining 2,500 kilometres.

Coming to the doubling and electrification, we have completed 21,000 kilometres in gauge conversion; doubling, 16,000 kilometres and electrification, 22,000 kilometres. The doubling and the electrification depend upon the need. If one line is saturated, then we have to go for the doubling of the other line. If the second line is also saturated, then we have to go in for the third line like we have done for Delhi to Agra line.

Coming to the electrification, we have to see the rate of return. If the rate of return is 14 per cent, by calculating the freight component. Accordingly, we have to go for electrification. We have completed 22,367 kilometres accordingly.

Further, there were demands of the Members of Parliament in this august House from the last two decades. There is a will of the people and we are representing the people. The desire of the people has accumulated in 340 projects at about 33,000 kilometres, including doubling new line and gauge conversion.

Now, I would like to talk about new lines. There are 129 projects with respect to new lines. Why I am saying is this. Madam, some of the States like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Chhattisgarh, Haryana, M.P., Uttarakhand, Rajasthan and Jharkhand have come forward for cost sharing where we would be going in for 50 per cent cost sharing and we would try to complete the projects well in time.

Further, funds are a constraint and I would appeal to the hon. Finance Minister and the Prime Minister for providing more money to us. I had been a history student. During Chandragupta Maurya era, it was called a golden age when Chanakya was there. In this era, I think Pranab Da is a Chanakya. The entire House is looking at the hon. Finance Minister. It is because earlier the Members were provided Rs.2 crore under MPLADS and he has raised it to Rs.5 crore. We are thankful to the hon. Finance Minister for that. Now every Member

of Parliament is concerned as the on-going projects have to be completed. We are ready to complete all the projects. In fact, we are ready to complete the work during 12th Plan itself if Pranab Da and the Prime Minister could give us more money. Madam Sonia Gandhi ji is here. I would request her to guide them to give us more money. We will complete all the projects.

अध्यक्ष महोदया : कृपया दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। वित्त मंत्री जी चाणक्य हैं, मैंने यह प्रश्न नहीं किया था। ...(व्यवधान) मैंने यह नहीं पूछा था कि चाणक्य कौन है? इस सरकार का चाणक्य कौन है, मैंने यह प्रश्न नहीं किया था। फिर भी, रेल राज्य मंत्री के माध्यम से पता चला कि हमारे वित्त मंत्री जी सरकार के चाणक्य हैं। हम इस कदम का बहुत स्वागत करते हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा था जिसका इन्होंने जवाब नही दिया कि ऐक्चुअल में टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितने धन की आवश्यकता है? अगर यह सही धन नहीं बताएंगे तो चाणक्य कहां से धन प्रबंध करेगा? इसलिए यह तो बताएं कि कितने धन की आवश्यकता है?...(व्यवधान) मैडम, इसका जवाब तो इन्होंने दिया ही नहीं है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक रेल मंत्री हैं और दो रेल राज्य मंत्री हैं। मैंने प्रश्न किया था कि क्या आपने कोई मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है? इन्होंने मुझे जवाब दिया कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई है। रेल का क्या सिस्टम है? They do in-house monitoring. The Chairman does monitoring; the GMs do monitoring in zones; the DRMs do monitoring in divisions but they do not involve the Members of Parliament in the monitoring system.

दूसरा, मेरा यह कहना है कि एक सिस्टम एस. के. मुणियप्पा साहब ने शुरू किया। वह जयपुर गए थे। वहां इन्होंने एक मीटिंग ली थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि इनके पास दो रेल राज्य मंत्री हैं, क्या सारे स्टेट्स को बांट कर के उनको मॉनिटरिंग सिस्टम का जिम्मा नहीं दिया जा सकता है? आठ-दस स्टेट्स की मॉनिटरिंग मुणियप्पा साहब कर सकते हैं और बाकी स्टेट्स की मॉनिटरिंग सोलंकी साहब कर सकते हैं। इन्होंने केवल अधिकारियों पर मॉनिटरिंग सिस्टम छोड़ रखा है।...(व्यवधान) अगर ये मॉनिटरिंग करेंगे तो उसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाएंगे जैसे इन्होंने जयपुर में बुलाया था। इन्होंने मुख्य मंत्री को भी बुलाया था, वहां चीफ सेक्रेट्री भी आए थे। वह ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते हैं? मेरा सेकेण्ड क्वैश्चन है।...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही सवाल पूछिए। आप कितने सवाल पूछेंगे?

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : वर्ष 2005 और वर्ष 2006 में बीकानेर संसदीय क्षेत्र के अनुपगढ़ से श्रीकोलायत नई रेल लाइन, जो सेना की भी डिमांड है इसकी घोषणा इन्होंने वर्ष 2005-06 में की थी। वह आज तक पूरी नहीं हुई उसका स्टेटस क्या है? लोग कहते हैं कि फाइल खो गई। फाइल को खोने वाले अधिकारी कौन हैं उनका भी पता लगाया जाए।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI MUKUL ROY): Madam, I want to tell all the hon. Members as regards my Ministers of State for Railways, they have been given charge of monitoring zone-wise and not State-wise because allocation of funds and other things have to be given zone-wise. The Indian Railways has 17 zones. My two Ministers of State are in charge of monitoring eight and six zones, and I also directly monitor three zones. So, zone-wise monitoring is there. I just wanted to apprise my learned friend.

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती दीपा दासमुंशी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती दीपा दासमुंशी: मैडम, यह सच है कि आज जो आंकड़े दिए गए हैं, असलियत में उनमें काफी फर्क है। आप हर सांसद से पूछेंगे तो यही जवाब आएगा कि रेलवे में घोषित किए गए प्रोजैक्ट्स का असलियत में इम्प्लीमैंटेशन नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) इम्प्लीमैंटेशन में काफी वक्त लगता है। मंत्री जी ने यह भी जवाब दिया है कि कई कारण हैं जिनकी वजह से इम्प्लीमैंटेशन में देरी हो रही है। यह सबको पता है कि वैस्ट बंगाल के लिए पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा प्रोजैक्ट्स घोषित किए गए, सबसे ज्यादा एनाउंसमैंट की गई, मौखिक तौर पर भी बहुत सारी एनाउंसमैंट्स हुईं। रेल मंत्री जी ने अभी कहा कि रीजन के हिसाब से जवाब दिए जाते हैं। लेकिन वैस्ट बंगाल में मौखिक तौर पर या लिखित रूप से जितनी एनाउंसमैंट्स हुई हैं, उनका इम्प्लीमैंटेशन कितना हुआ? अगर यह लाभजनक परिस्थिति में है तो इम्प्लीमैंटेशन में कितना खर्चा हो रहा है? मैं जानना चाहती हूं कि इसे घोषित करने में, स्टोन ले करने में

या जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, प्रोजैक्ट्स के इनॉगुरेशन में कितना खर्च हुआ और बंगाल में रेल से कितना लाभ हुआ?

मैडम, एक बहुत गंभीर विषय है और मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहती हूं कि एक इज्जत प्रोजैक्ट जिसे इस सदन में वर्ष 2009 में घोषित किया गया था, वह इज्जत प्रोजैक्ट सारे सांसदों को दिया गया था कि वे अपनी रिकमैंडेशन करें और लोगों को सैर्टिफिकेट बनाकर दें। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ महीने पहले सांसदों की इज्जत बिल्कुल नष्ट हो गई।...(व्यवधान) उसे सांसदों के हाथ से लेकर विधायकों के हाथ में दिया गया।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या उसे सांसदों के हाथों में दुबारा दिया जाएगा?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

SHRI MUKUL ROY: Madam, through you, I would like to inform the hon. Members of this august House that the question does not arise for withdrawal of the *Izzat* scheme. It is still with the MPs. In addition to that, Member of the Legislative Assembly has also now been included in that scheme. The MPs are entitled to give certificate for an individual for a period of one year and an MLA is entitled for a period of one month. This is what I want to say… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI MUKUL ROY: Madam, I would like to repeat that the question does not arise for the withdrawal of the *Izzat* scheme… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री दिनेश चन्द्र यादव ।

...(व्यवधान)

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : यादव जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : दिनेश चन्द्र यादव, आप अपना प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जो योजना घोषित है, जिस पर काम हो रहा है, जैसे नयी रेल लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण आदि पर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले की जो योजना है, जैसे हमारे संसदीय क्षेत्र में नई रेल लाइन निर्माण के लिए खगड़िया से कुशेसर स्थान वर्ष 1996 में स्वीकृत हुआ। हसनपुर से सकरी वर्ष 1996 में स्वीकृत हुआ। आमान परिवर्तन के लिए सहरसा से फारविसगंज-सुपौल होते हुए वर्ष 2002-03 में वह भी उसी समय स्वीकृत हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी के क्षेत्र से लेकर पूर्णिया तक, मधेपुरा से पूर्णिया तक आमान परिवर्तन का कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले स्वीकृत हुआ। ये छोटे-छोटे खंड है, जो आज तक पूरे नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि पुरानी योजनाओं को पूरा करने की हमने कोई ऐसी नीति नहीं बनायी है। इन्होंने यह भी कहा कि हमने स्टेट मिनिस्टर को समीक्षा करने के लिए जोनवाइज प्रभार दिया है। हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहते हैं कि जो पुरानी योजना है, जिसे आपने आज तक पूरा नहीं किया, उसे पूरा करने के लिए क्या कोई योजना बनायेंगे, जिससे पुरानी योजना को पूरा करके फिर नयी योजना लेंगे। आप प्रत्येक साल बजट मे नई योजनाएं लेते जा रहे हैं और हनुमान जी की नंगड़ी की तरह उसे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या उसे रोककर पुरानी योजना, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले की योजनाएं है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं?

* Not recorded.

SHRI MUKUL ROY: Hon. Speaker, first of all, I would like to assure the hon. Member that all the projects are in progress. The works in all the projects are in progress. Most of the projects which the hon Member has asked are relating to Bihar. … (*Interruptions*) I can assure the hon. Member that in Bihar, all the projects are in progress. He has asked the question relating to the projects. Most of the projects are related to Bihar.

In Bihar, 34 new lines are there. In route kilometers, work in 2847 kilometres has been in progress. In gauge conversion, it is six line gauge conversion, work in 1197 route kilometers is in progress. Doubling work is in progress in five projects, namely, 147 route kilometers.

I can assure the hon. Member, through you Madam, that the work in all the projects will be completed within a very short span of time.

SHRI A.K.S. VIJAYAN: Madam Speaker, I would like to bring to the attention of the hon. Minister the long pending project of Southern Railway in my constituency, Nagapattinam.. Chennai-Thiruvarur main line of my State has already been converted into broad gauge. However Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukkotai-Karaikudi line which falls in my constituency is yet to be taken up for gauge conversion. People of my constituency are eagerly waiting for the implementation of this project.

I would like to know as to when will the gauge conversion work start in Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukkotai-Karaikudi line.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam Speaker, this project is related to the constituencies of three to four Members like the hon. Member, Shri Vijayan and the MoS, Shri Palanimanickam. They are demanding that meter gauge should be converted into broad gauge. We have started the work on one side. They are requesting for the main line connection on the other side. We are discussing this matter. We have to take a decision. Parallely we have to start work from the other side also. We will try to complete. This project is under progress. We are working

on the first side. On the second side also we have to start the work as early as possible.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up next item, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAFUL PATEL): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Engineering Projects (India) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6892/15/12)

(ii) Memorandum of Understanding between the Cement Corporation of India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6893/15/12)

(iii) Memorandum of Understanding between the NEPA Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6894/15/12)

(iv) Memorandum of Understanding between the Hindustan Newsprint Limited (Subsidiary) and the Hindustan Paper Corporation Limited (Holding Company) under the administrative control of Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6895/15/12)

(v) Memorandum of Understanding between the Hindustan Paper Corporation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6896/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Insecticides Limited and the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6897/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the Hindustan Antibiotics Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6898/15/12)

(3) Memorandum of Understanding between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6899/15/12)

(4) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6900/15/12)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in the Library. See No. LT 6901/15/12)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in the Library. See No. LT 6902/15/12)

(3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited for the years 2009-2010 and 2010-2011 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

(Placed in the Library. See No. LT 6903/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): On behalf of Shri Paban Singh Ghatowar, I beg to lay on the Table a copy each of

the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Tenth, Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Lok Sabha :-

TENTH LOK SABHA

1. Statement No. XXV Sixteenth Session, 1996

(Placed in the Library. See No. LT 6904/15/12)

THIRTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. XLVI Second Session, 1999

(Placed in the Library. See No. LT 6905/15/12)

3. Statement No. LII Third Session, 2000

(Placed in the Library. See No. LT 6906/15/12)

FOURTEENTH LOK SABHA

4. Statement No. XXV Fifth Session, 2005

(Placed in the Library. See No. LT 6907/15/12)

5. Statement No. XXIV Sixth Session, 2005

(Placed in the Library. See No. LT 6908/15/12)

6. Statement No XXIV Seventh Session, 2006

(Placed in the Library. See No. LT 6909/15/12)

7. Statement No. XX Tenth Session, 2007

(Placed in the Library. See No. LT 6910/15/12)

8. Statement No. XVIII Eleventh Session, 2007

(Placed in the Library. See No. LT 6911/15/12)

9. Statement No. XVII Twelfth Session, 2007

(Placed in the Library. See No. LT 6912/15/12)

10. Statement No. XV Thirteenth Session,2008

(Placed in the Library. See No. LT 6913/15/12)

11. Statement No. XIII Fourteenth Session, 2008

(Placed in the Library. See No. LT 6914/15/12)

12. Statement No. XII Fifteenth Session, 2009

(Placed in the Library. See No. LT 6915/15/12)

FIFTEENTH LOK SABHA

13. Statement No. XI Second Session, 2009

(Placed in the Library. See No. LT 6916/15/12)

14. Statement No. IX Third Session, 2009

(Placed in the Library. See No. LT 6917/15/12)

15. Statement No. IX Fourth Session, 2010

(Placed in the Library. See No. LT 6918/15/12)

16. Statement No. VI Fifth Session, 2010

(Placed in the Library. See No. LT 6919/15/12)

17. Statement No. V Sixth Session, 2010

(Placed in the Library. See No. LT 6920/15/12)

18. Statement No. IV Seventh Session, 2011

(Placed in the Library. See No. LT 6921/15/12)

19. Statement No. III Eighth Session, 2011

(Placed in the Library. See No. LT 6922/15/12)

20. Statement No. II Ninth Session, 2011

(Placed in the Library. See No. LT 6923/15/12)

21. Statement No. I Tenth Session,2012

(Placed in the Library. See No. LT 6924/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6925/15/12)

(ii) Memorandum of Understanding between the Braithwaite and Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See No. LT 6926/15/12)

(2) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2011.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in the Library. See No. LT 6927/15/12)

———

12.01 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL**:** Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 22nd December, 2011 adopted the following motion in regard to the Committee for Welfare of Other Backward Classes (OBCs) :-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that a Committee of both the Houses to be called the 'Committee for Welfare of Other Backward Classes (OBCs)' be constituted for the purposes set out in the Motion adopted by the Lok Sabha at its sitting held on 21sl December, 2011 and communicated to this House on that day, and resolves that this House do join in the said Committee and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of this House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that as a result of the election process initiated pursuant to the above motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri V. Hanumantha Rao
2. Dr. Ram Prakash
3. Shri Rama Chandra Khuntia
4. Shri Natuji Halaji Thakor
5. Shrimati Jharna Das Baidya
6. Shri Ramchandra Prasad Singh
7. Shri Arvind Kumar Singh
8. Shri Devender Goud T.
9. Shri Birendra Prasad Baishya

3. I am also to inform that in order to fill up the remaining one vacancy in the Committee, the election process will be initiated during the next Session of Rajya Sabha.'

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 28th March, 2012 adopted the following motion in regard to the Committee on Public Accounts:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 2012 and ending on the 30th April, 2013, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Prof. Saif-ud-Din Soz
2. Shri Jesudasu Seelam
3. Shri Prakash Javadekar
4. Shri Satish Chandra Misra
5. Shri Prasanta Chatterjee
6. Shri N.K. Singh
7. Shri Sukhendu Sekhar Roy'

(iii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 28th March, 2012 adopted the following motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2012 and ending on the 30th April, 2013, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Rishang Keishing
2. Shri Ishwar Singh
3. Dr. Bhalchandra Mungekar

4. Shri Nand Kumar Sai
5. Shri Faggan Singh Kulaste
6. Shri Thaawar Chand Gehlot
7. Shri Veer Singh
8. Shri D. Raja
9. Shri Lalhming Liana
10. Shri A.V. Swamy'

(iv) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 28th March, 2012 adopted the following motion in regard to the Committee on Public Undertakings:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 2012 and ending on the 30th April, 2013, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Janardan Dwivedi
2. Shri Mukhtar Abbas Naqvi
3. Shri T.M Selvaganapathi
4. Shri Tariq Anwar
5. Shri Naresh Gujral
6. Dr. V. Maitreyan
7. Shri Anil Desai'

(v) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.3) Bill, 2012, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd May, 2012 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(vi) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 2012, which was

passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 8th May 2012 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(vii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 16th May, 2012 agreed without any amendment to the North-Eastern Areas (Reorganisation) and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2012 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 2012."

12.01 ½ hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
25th Report

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to present the Twenty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

12.02 hrs

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (LOK SABHA)
8th Report

SHRI A. K. S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fourth Report (15th Lok Sabha) of the Committee on MPLADS on the subject "Effective monitoring of the MPLAD Scheme to avoid delays in execution of MPLADS works".

12.02 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
31st Report

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN (INDORE): I beg to present the Thirty-first Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development on 'The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011'.

12.03 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th, Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): On behalf of Shri Sharad Pawar, I beg to lay the Statement on the status of implementation of recommendations contained in the Twenty-fourth Report of the Standing Committee on Agriculture in pursuance of the Direction 73 A of the hon. Speaker, Lok Sabha, issued vide Lok Sabha Bulletin – Part II, dated September 01, 2004 under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Standing committee on Agriculture examined the Demand for Grants of Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DADF) for the year

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6928/15/12.

2011-12 and presented the Report in Lok Sabha on 29th August, 2011. The Report contained 21 observations/recommendations. The Action Taken Replies of the Government were sent to the Committee on 23rd December, 2011.

The status of Action Taken regarding implementation of the observations/recommendations of PSCA is indicated in the Statements enclosed.

12.03 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): I beg to lay a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Corporate Affairs in pursuance of Direction 73 A of the hon. Speaker, Lok Sabha.

In all, three recommendations were made by the Committee in the above Report where action was required to be taken on the part of the Government. The Government has accepted 'in principle' all the recommendations of the Committee. The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is given in the Annexure to this Statement, which is laid on the Table of the House.

I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6929/15/12.

12.03 ½ hrs

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE TO EXAMINE MATTERS RELATING TO ALLOCATION AND PRICING OF TELECOM LICENCES AND SPECTRUM – EXTENSION OF TIME

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): I beg to move:

> "That this House do extend upto the last day of the Winter Session, the time for presentation of the report of the Joint Committee to examine matters relating to allocation and pricing of telecom licences and spectrum. "

MADAM SPEAKER: The question is:

> ""That this House do extend upto the last day of the Winter Session, the time for presentation of the report of the Joint Committee to examine matters relating to allocation and pricing of telecom licences and spectrum." "

The motion was adopted.

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(i) Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution and steps being taken by the Government in this regard.

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 13, Calling Attention.

Shri Jagdambika Pal.

… (*Interruptions*)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DIMARIYAGANJ): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a Statement thereon:

> "The need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution and steps being taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): There are 22 languages in the Eighth Schedule of the Constitution. The Government has received, from time to time, representations and suggestions for including more languages in the Eighth Schedule. There are representations in respect of 38 languages for inclusion in the Eighth Schedule. Bhojpuri is one of the 38 languages. There was no established set of criteria for considering proposals for inclusion of languages in the Eighth Schedule. A High Powered Committee was constituted under the Chairmanship of Shri Sitakant Mohapatra to evolve a set of objective criteria for inclusion of more languages in the Eighth Schedule. This Committee submitted its report in 2004 and suggested certain criteria for inclusion of languages in the Eighth Schedule. A final decision on these recommendations is yet to be taken.

A proposal was mooted in 2006 for inclusion of Bhojpuri and Rajasthani languages in the Eighth Schedule of the Constitution. The inclusion of a language

in the Eighth Schedule has, at present, a direct link to the examinations conducted by UPSC. Hence, it was decided that a decision on the inclusion of these languages in the Eighth Schedule may be deferred till a decision is taken by the Government on the issue of the UPSC examinations. UPSC made a request that the Eighth Schedule languages may be de-linked from the Commission's scheme of examinations, keeping in view the problems faced by the Commission in conducting the examinations in all the Eighth Schedule languages.

UPSC had constituted a High level Standing Committee to examine the modalities for implementing the recommendations of the Parliamentary Resolution of 1968 which had recommended that all languages of the Eighth Schedule may be permitted as alternative media for the All India and Higher Central Services Examinations. It was decided to await the report of the said High Level Committee before a decision is taken on the Shri Sitakant Mohapatra Committee's report regarding inclusion of more languages in the Eighth Schedule. The report of the High Level Committee constituted by the UPSC has been received by the Department of Personnel and Training in March, 2012 and it is under consideration.

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने, मेरे संदर्भ के उल्लेख में, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी या राजस्थानी को शामिल करने के संबंध में कहा कि यूपीएससी के द्वारा परीक्षाओं के लेने के संबंध में एक समिति है और जब तक उसमें निर्णय न हो जाए, तब तक इसे स्थगित किया जाता है।

जब भारत का संविधान बना, उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। अगर समय-समय पर देश की जन-भावनाओं को देखते हुए इसमें 8 भाषाओं को और शामिल किया गया है और माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया है कि आज संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 38 भाषाओं के लिए उनके सामने प्रस्ताव लम्बित हैं, जिसमें एक भोजपुरी भाषा भी है। इसी सदन में कम से कम 15 बार प्राइवेट मेम्बर बिल इस पर आ चुके हैं। यह सवाल पहली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठा है। यह वर्ष 2004 में, 2006 में भी उठ चुका है। आज मंत्री जी सदन में बयान दे रहे हैं तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए यूपीएससी की परीक्षाओं की समिति का सहारा लेकर, स्थगित करने के प्रस्ताव के संबंध में, जो बयान संदर्भित किया है, मैं समझता हूं कि यह सदन की भावनाओं को देखते हुए कदाचित उचित नहीं है।

इसी सदन में तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने कहा था कि कांग्रेस यूपीए की सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने पर विचार करेगी। आज शिवराज पाटिल जी सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन माननीय श्रीप्रकाश जायसवाल जी आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जब वे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री थे, यहीं पर उठाये गये प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

श्री जगदम्बिका पाल: आदरणीय रघुवंश जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगले सत्र में इसका बिल भी आ जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रघुवंश जी को जिन्होंने बताया कि इसी सदन में ऐसा कहा गया। इस सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस सदन में दिये गये आश्वासन क्या कुछ मायने रखते हैं। हमने कांग्रेस यूपीए की चेयर-पर्सन श्रीमती सोनिया जी को भी अप्रोच किया, हमने चिट्ठियां लिखीं और उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठियां मार्क कीं। इस सदन में आज पक्ष या प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है।

---

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य चाहे वे भोजपुरी न जानते हों, लेकिन भोजपुरी भाषा की मिठास, जो दुनिया के 16 मुल्कों में 20 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं, अगर आज वोटिंग हो जाए तो सम्पूर्ण सदन सम्मति से भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लेगा। भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई व्यय नहीं पड़ेगा, सरकार पर किसी प्रकार का पैसे का बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह सवाल केवल हमारी भाषा को अपनी पहचान दिलाने का है। हम सभी लोग जनता द्वारा चुनकर आते हैं, क्या हम अपनी भाषा को पहचान नहीं दिला सकते, उसे एक संविधानिक दर्जा नहीं दिला सकते हैं? जब दिल्ली में अखिल भारतीय भोजपुरी विश्व सम्मेलन होगा, अध्यक्ष महोदया आपको बुलाया जाएगा, सभी दलों के लोग बुलाए जाएंगे। आपने कहा कि सरकार विचार कर रही है, जहां स्पीकर महोदया आप हैं, पूरा सदन है लगातार इस बात का आश्वासन आ रहा है, तो क्या कारण है कि सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद भी भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह बहुत दुख की बात है कि हमारी भाषा मान्यता प्राप्त करने के लिए दंश झेल रही है और मारीशस में जब विश्व भोजपुरी सम्मेलन हुआ तो वहां के राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2011 में कहा कि हम भोजपुरी भाषा को मारीशस में राष्ट्रीय भाषा के रूप में रिक्गनाइज करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी, तथा आज भोजपुरी वहां की सैकेंड लैंग्वेज है। दुनिया के दूसरे देशों में भारत की भाषा भोजपुरी मान्यता प्राप्त कर चुकी है और आज हम सदन में उस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आपसे फरियाद कर रहे हैं और सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। भोजपुरी भाषा, जो देश की जनभावना से जुड़ी है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में बोली जाती है बल्कि दिल्ली में हम केवल भोजपुरी भाषा बोलते ही नहीं हैं, बल्कि इस भाषा द्वारा श्री महाबल मिश्रा जी चुनकर संसद में आए हैं। मुम्बई में यह भाषा बोली ही नहीं जाती है, संजय निरुपम जी भी इसी भाषा से संबंधित हैं और चुनकर आए हैं। अगर मैं एमपीज़ और एमएलए की गिनती करूं तो एक लम्बी लिस्ट बन जाएगी। देश की राजधानी में इस भाषा को बोलने वालों की इतनी संख्या हो, जिससे संसद सदस्य चुने जा रहे हों, विधायक चुने जा रहे हों, मंत्री चुने जा रहे हों, महाराष्ट्र में, बंगाल में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जहां इस भाषा को बोलने वाले लोग न रहते हों। दुनिया के देशों में आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, उस भाषा के बोलने वालों की बात कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी बना दी है, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई सैट क्राइटेरिया नहीं है, तो जब पहले संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, तो कैसे नेपाली, मैथिली, संथाल और कोंकणी जुड़ गई। आज जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, वह जनभावनाओं को देखकर जोड़ी गई हैं। आठ भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 71 लाख है। जबकि 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। सरकार ने एक कमेटी बनायी थी कि संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा या बोली को सम्मिलित किया जा सके। श्री श्रीकांत महापात्रा की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी। उस कमेटी ने वर्ष 2004 में सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर दी। वर्ष 2004 से आज वर्ष 2012 है, आज आठ साल हो चुके हैं और सरकार फैसला नहीं ले पायी कि हम किस तरीके से संविधान की आठवीं अनुसूची में इसे शामिल करेंगे। यह मंत्री जी का जवाब है, मैं अपनी तरफ से इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। वर्ष 2004 में सरकार द्वारा गठित समिति श्री श्रीकांत महापात्रा ने रिपोर्ट प्रस्तुत सब्मिट की और सुझाव दिया कि किस तरह से किसी भाषा को हम संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वर्ष 2012 तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। आठ वर्षों में इसी सरकार ने, इसी सदन में मंत्रियों ने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है? अगले सत्र में हम बिल लाएंगे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भोजपुरी को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? या तो इसमें कोई प्रशासनिक अड़ंगा हो, इसलिए हम इस भाषा को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस देश के लोगों को कहते हैं कि विविधता में एकता है। इस देश की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? वह है कि इस देश में तमाम भाषाएं और क्षेत्रीयता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक विभिन्न भाषाएं हैं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, जगदम्बिका पाल जी ने कहा है, मैं उनकी बात के साथ अपनी बात जोड़ता हूं कि अटल जी ने मैथिली भाषा को एनाउंस किया था। किसी कमेटी की बात नहीं सुनी थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। जगदम्बिका पाल जी, आप बोल रहे हैं या बैठ रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं कन्कलूड कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : फिर आप बैठ क्यों रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: स्पष्ट तौर पर भारत के संविधान अनुच्छेद 44(1) और 35 में भाषा की डेफिनेशन दी गई है कि भाषा को कैसे डिफाइन किया जाएगा। अगर इस देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषाएं हो सकती हैं तो क्या आजादी के इतने सालों बाद संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं हो सकती है? संविधान के अनुच्छेद में इस भाषा को रिकोगनिशन या मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में भारत की संसद में शक्तियां निहित हैं। संसद में ही शक्तियां निहित हैं कि किसी भाषा को, चाहे राजस्थानी हो, मान्यता दे सकते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि आप चाहे भोजपुरी लें, राजस्थानी लें। हम कहते हैं कि 38 भाषाएं चाहती हैं कि इस देश की आठवीं अनुसूची में शामिल हो जाएं। यह सौभाग्य होगा कि ये भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो जाएं जिससे उस भाषा को बोलने वालों को मान्यता मिलेगी। इस मान्यता से देश मजबूत होगा, एकता मजबूत होगी, अखण्डता मजबूत होगी और देश एक सूत्र में बंधेगा। भोजपुरी भाषा को मान्यता देना लगातार लंबित हो रहा है। आज भी दो बिल पेंडिंग है, ओम प्रकाश यादव का भी बिल है। संजय जी का प्राइवेट मैम्बर बिल है, हमने भी बिल लगाया है, मेघवाल जी का भी है। इस तरह से सदन कैसे चलेगा?

महोदया, जहां तक यूपीएससी की बात है, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इन भाषाओं को डिलीट कर दिया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि उसका निर्णय इस भाषा से जोड़ने का क्या तात्पर्य है? हम इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं और आप यूपीएससी की परीक्षाओं के साथ जोड़कर लंबित रखना चाहते हैं। आप कब तक लंबित रखना चाहते हैं? आज जवाब आ गया। हम आपको बड़ी कृपापूर्वक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आपने इसे स्वीकार कर लिया कि अब शायद एक या आधा साल यह विषय स्वीकार नहीं होगा। आज यह आश्वासन मिल गया कि इसे यूपीएससी एग्जाम के साथ जोड़ रखा है। यह बात तो पहली बार आ रही है कि यूपीएससी के एग्जाम के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप इसे मान्यता दे दीजिए और चाहे यूपीएससी कमीशन के साथ एग्जाम में जोड़ें या न जोड़ें। आज बिहार के विश्वविद्यालयों में यह भाषा पढ़ाई जाती है। वैस्ट बंगाल में विषय है, मारीशस में है। मैं हिंदुस्तान और दुनिया के कई उदाहरण दे सकता हूं।

महोदया, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में भोजपुरी भाषा पर शोध हो रहा है, भोजपुरी भाषा में पढाई हो रही है। जबकि हम आज अपने ही देश में भोजपुरी भाषा बोलने वाली लगभग 20 करोड़ की आबादी की भावना नहीं समझ रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार दिए गए आश्वासनों को पूरा करे। प्रणब दा ने भी इस बात पर इन्टरवीन किया था। पिछली बार इस पर चर्चा हुई थी

तब नेता सदन ने कहा था कि इस विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा करके पारित करेंगे। आप एक बार राय ले लें, भावनाएं देख लें। सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि भोजपुर को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे कालिंग अटैंशन के महत्वपूर्ण विषय पर भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने भोजपुरी भाषा के कालिंग अटैंशन के लिए स्वीकृति दी, मैं इसके लिए भी आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैं इस सदन में तीसरी बार चुनकर आया हूं। 12वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा में मैं चुनकर आया हूं और लगातार मैंने देखा कि शून्यकाल में, प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से और कालिंग अटैंशन में हमेशा यह मांग उठती रही है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं यह भी जानता हूं कि आप भी बिहार और भोजपुरी प्रदेश से चुनकर आती हैं और आपकी मनोभावना भी हम लोगों के साथ है, यह मुझे मालूम है और मैं इसका स्वागत भी करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हम लोगों के वक्तव्य पर बल देंगी और कुछ निर्देश भी देंगी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछली लोक सभा में श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से इस विषय पर इस सदन में चर्चा कराई थी। माननीय शत्रुघ्न सिंहा जी यहां बैठे हुए हैं, आपने जीरो ऑवर में यह मामला उठाया था। श्री संजय निरूपम जी बैठे हैं, आपने भी यह मामला उठाया था। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): किसी की सुनवाई कहां है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आपकी बारी आ रही है, लेकिन अभी आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार: श्री जगदम्बिका पाल जी ने अभी इस भावना को सदन में उठाया। डा.रघुवंश प्रसाद सिंह जी बहुत आक्रोशित हैं, इन्होंने भी कई बार यह मामला सदन में उठाया। श्री उमा शंकर जी...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) *

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को संबोधित कीजिए। आप प्रश्न पूछिये। आप स्पष्टीकरण का प्रश्न पूछिये और समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं बोलकर ही प्रश्न पूछूंगा। अभी मैं माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर पढ़ रहा था, उन्होंने 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया है। मैं पूछना चाहूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाषाओं को लेकर आपने इस प्रश्न को टालने का काम कर दिया है। मैं यह पूछना

* Not recorded

चाहूंगा कि वर्तमान समय में अगर आपने 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया है तो क्या उनकी परीक्षाएं लगातार संघ लोक सेवा आयोग में हो रही हैं या जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें आप ले रहे हैं। आप एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि भोजपुरी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल न हो, यही बहाना लेकर आप आये हैं।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 38 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यहां मांग उठी है। लेकिन आज देखा जाए तो भोजपुरी भाषा को देश-विदेश के 40 करोड़ लोग बोलने का काम करते हैं। अभी श्री जगदम्बिका पाल जी ने इस विषय में विस्तार से कहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। आज भोजपुरी भाषा की फिल्में आ रही हैं, भोजपुरी के गाने आ रहे हैं। यहां तक की इससे देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। मैं विदेश में आइसलैंड गया था, वहां बिहार का एक नौजवान थर्मल पावर प्लान्ट में काम कर रहा था, वह मुझे दूतावास में एम्बेसेडर के भोज में मिला, उसने जब मुझसे भोजपुरी भाषा में बात की तो मुझे बेहद खुशी हुई। उसे यह गर्व हुआ कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, उसे यह गर्व हुआ कि मैं बिहार से हूं। एक तरीके से देखा जाए तो भोजपुरी भाषा एक-दूसरे देश को जोड़ने का काम भी करती है और देशभक्ति की भावना को लाने का काम करती है।

अभी कहा गया कि 2004 में भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए श्री सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई और उसमें उन्होंने एक मानक दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को आपने आज तक सदन में प्रस्तुत क्यों नहीं किया? श्री सीताकान्त महापात्रा के क्या मानक हैं, क्या मापदंड हैं। यदि 22 भाषाएं शामिल हुई हैं तो उन भाषाओं का भी आप मूल्यांकन और मापदंड कीजिए। आज देश और विदेश के चालीस करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। लेकिन उन्हें आपने दरकिनार कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। इसी सदन में 2006 को यह मामला प्रस्तुत हुआ था, उस पर माननीय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने कहा था अगले सत्र में भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम बिल लायेंगे। लेकिन आज तक वह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसे हम पुरजोर तरीके से कंडेम करते हैं।

मैं अगली बात कहना चाहता हूं कि श्री सीताकांत महापात्रा की जो रिपोर्ट है, उसे आपने कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को सौंप दिया, उसे भी आपने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज पूरे सदन की भावना है और यह भाषा केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है। हमारे तमाम प्रधान मंत्री हुए हैं, अन्य देशों में वहां के सांसद हुए, विधायक हुए, काउंसलर हुए। अगर इस भाषा को इतना सम्मान देने का काम किया गया तो मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहूंगा कि आप भी उसे प्रदेश से आती हैं, आप भी भोजपुरी बोलती हैं। हम इस मामले में आपका संरक्षण चाहेंगे कि आप

सदन में निर्देशित करें और इस बारे में कोई घोषणा हो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल किया जाए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदया, भोजपुरी भाषा के लिए मुझसे पहले बोलने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में डाला जाए। ...(व्यवधान) लोक सभा में जितनी बार यह सवाल उठा है, आज तक इतनी बार दूसरा कोई सवाल नहीं उठा है। 15 बार प्राइवेट मेम्बर्स बिल में, ध्यानाकर्षण में और ज़ीरो आवर में विभिन्न माननीय सदस्य इसे उठाते रहे हैं। यह 20 से 25 करोड़ लोगों की भाषा है। बिहार के 7 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में, मध्य प्रदेश, और देश भर के तमाम बड़े शहरों और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना सहित विश्व के 14 देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, ब्रिटिश गुएना, मालदीव, सिंगापुर, बर्मा, नेपाल, बैंकाक, जमैका, स्याम, दक्षिण अफ्रीका आदि 14 देशों में यह भाषा बोली और समझी जाती है। यह इस भाषा का महत्व है।

महोदया, इसमें व्याकरण है। बाबू कुंवर सिंह पर आठ महाकाव्य लिखे गए। वीर गाथा, आल्हा ऊदल, लोरिकाइन, एक राजा भत्तृहरि, गोपीचंद, विभिन्न लोकगाथा, लोक गीत, लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि भरे पड़े हैं। सॉनिट भी लिखा गया है। केवल अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि A sonnet is a poem of 14 lines. It was developed in Italian by Petrarca. There are two types of sonnets: Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. लेकिन भोजपुरी में सोनिट भी लिखा गया है। हिंदुस्तान के भोजपुरी के शेक्सपियर श्री बिहारी ठाकुर जी, उनकी रचना विदेशिया, बटोहिया चले। महोदया, उस इलाके से हिंदुस्तान में 50 हजार वर्ग मील में यह भाषा बोली जाती है। एक से एक महान विभूति - देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद, बाबू जय प्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, एक से एक महान विद्वान - डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. नामवर सिंह, श्रीचंद्र शेखर, जो उस समय के मजदूरों के नेता थे। भूतपूर्व प्रधानमंत्रा तथा डॉ. गणेश प्रसाद विद्यार्थी ने दुनिया में नाम किया। महोदया, एक से एक महारथी भोजपुरी इलाके से इस देश को लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। देश की आजादी से लेकर सन् 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने आजादी की लड़ाई की शुरूआत की। जब वहां के भोजपुरिया लोग कहे कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, उड़ेला, उड़ेला गुलाल। इस तरह की वीर गाथा, आल्हा ऊदल, देखब इस मर्दानगी में कितनी क्षमता है। अनेक वीर गाथा, कुवंर विजइया के गीत, विजयमल का गीत, लोरिकाइन का गीत, एक से एक लोक साहित्य, लोक नृत्य और एक से एक विद्वान वहां पर हुए हैं।

महोदया, महेन्द्र मिश्र के गीत ने देश भर में नाम किया है। सुग्गन जी का लोक संगीत, ग्राम गीतांजली, चंदरीक का, महेन्द्र मिश्र का महेन्द्र मंगल, पैजनिया, जयनंद ओझा जी, संकटा प्रसाद, श्रीमति विंध्यवासिनी देवी के लोक गीत कोई सुने तो आदमी रास्ता चलना रूक जाएगा। पं. राम नरेश त्रिपाठी, डॉ. उदय नारायण तिवारी, श्री झांगुर त्रिपाठी, डॉ. रसिक बिहारी ओझा निर्भीक, कैलाश नाथ इत्यादि के भोजपुरी में पर्याप्त साहित्य है। महोदया, भोजपुरी में पर्याप्त साहित्य का भंडार है। उसमें एक से एक लेखक, कविता, महाकाव्य, व्याकरण, सभी भाषा की क्षमता रखता है। इसे सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन अफसोस है, यह सदन की गरिमा, महिमा पर सरकार के द्वारा एक आघात है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? इन्हीं का मंत्री, इसी राज में, उन्होंने क्या कहा, वह मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, यह श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, राज्य मंत्री जी का उत्तर है कि अब इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में इस संबंध में यह बिल पारित कराया जाएगा। वर्ष 2006 में इस सदन में वहीं से कहा गया कि अगले सत्र में पारित कराया जाएगा।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, इसके साथ ही इन दोनों भाषाओं, राजस्थानी और भोजपुरी भी...(व्यवधान) इस संबंध में दोनों भाषाओं को मान्यता मिलेगी, जिसके लिए लंबे समय से न केवल भोजुपरी क्षेत्र के लोग, बल्कि हमारे माननीय सदस्य भी चिंतित हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, अब समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, इसी तरह से फिर बाद में भी सवाल उठा तो माकन जी, जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां से कहा कि हम इस पर तुरंत विचार कर रहे हैं। सीताकांत महापात्रा कमेटी आयी, यूपीएससी की कमेटी बना दी, वर्ष 2009 में उसकी रिपोर्ट बनी और मार्च में वह रिपोर्ट भी आ गयी, इन्होंने कहा कि मार्च में रिपोर्ट आ गयी।

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, मैं सवाल पूछता हूं, मैं सरकार से स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं कि जो 14 भाषाओं के बाद 22 भाषायें बनीं, क्यों भोजपुरी के ही समय सीताकांत महापात्रा कमेटी बनी, फिर यूपीएससी की कमेटी और फिर वर्ष 2004 से लेकर आज 8 वर्ष तक अगर-मगर करके भोजपुरी को रोकने का क्या कारण है? जैसे आठ भाषाओं को शामिल किया गया, कम लोगों की बोली को शामिल कर लिया गया, लेकिन बीस से पच्चीस करोड़ लोगों की बोली का क्या हुआ? सरकार क्यों अडिग है, क्यों छल हो रहा है, क्यों कमेटी पर कमेटी बिठाकर देर करने के लिए भोजपुरिया जगत को उकसाने का काम हो रहा है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं सरकार से यह स्पेसिफिक जानना चाहता हूं। क्या कारण है कि ये सभी कमेटियां बनने के बाद भी, वर्षों-वर्षों बीत जाने के बाद भोजपुरी शामिल नहीं हो पायी। आज विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो रहा है, यह विश्वभाषा है, उसकी क्यों उपेक्षा हो रही है? सरकार इसे बताये, नहीं तो हाउस में बोलने का क्या लाभ है, यह फिर कागज में रह जाएगा। अगला सत्र कब आएगा? वर्ष 2006 से वर्ष 2012 आ गया, कहते थे कि अगले सत्र में पास हो जाएगा, ये लोग कैसे बोल देते हैं, क्या करते हैं? सदन की तरफ से इन लोगों को दंड भी मिलना चाहिए, डायरेक्ट आश्वासन था तो क्यों ये सदन को आश्वस्त करके इसे नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, अभी और भी भाषायें है, मच्छिका लिच्छवी रिपब्लिक की भाषा, अंगिका, मगही, ये सभी भाषायें, भोजपुरी और राजस्थानी सहित अनेक भाषायें हैं, इस पर सरकार तुरंत निर्णय करे और आज हमें स्पष्ट बताये। अब टालमटोल से काम नहीं चलेगा, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जाये या मरण होगा, अब देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है।

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): हम रउआ आभारी बानी कि रउआ हमार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कइली।

अध्यक्ष महोदया : आप हिन्दी में बोलिये, अभी ट्रांसलेशन की सुविधा नहीं है। ट्रांसलेशन की सुविधा नहीं है।

श्री उमाशंकर सिंह: हमार निहोरा में निर्वा एकरे खातिर हम रउआ आभारी बानी, लेकिन हम ज्यादा समय न लेकर कुछ उदाहरण रउआ के सामने देहब, उदाहरण राउरे देहब।

अध्यक्ष महोदया : इंटरप्रिटेशन की सुविधा नहीं है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आयेगा, इसलिए आप हिन्दी में बोलिये।

श्री उमाशंकर सिंह: अच्छा महोदया, हम हिन्दी में बोलते हैं। आपने ही 23 सितम्बर 2009 को इंडिया हैबीटेट सेंटर में इग्नू द्वारा आयोजित भोजपुरी में आधार पाठ्यक्रम का विमोचन किया। उस अवसर पर जो भाषण आपने दिया, वह किताब मेरे पास है। आपकी अनुमति होगी तो मैं वह किताब टेबल पर रखूँगा। यही नहीं, हज़ार वर्ष पहले का इस भाषा का इतिहास है। इस भाषा में बाबू जगजीवन राम जी लिखते थे, गागर का सागर, वह किताब भी हमारे पास है। हज़ार वर्ष पहले के भोजपुरी के इतिहास की वह सब बातें ध्यानाकर्षण में आ गई हैं। 2004 में तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने कहा और अभी माननीय

मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी बैठे हैं। इन्होंने 2006 में कहा था 22 भाषाएँ हैं। उनमें से आठ भाषाएँ जो आपने ली हैं, उनको 20 से 25 हज़ार लोग ही बोलते हैं जबकि 20 से 25 करोड़ लोगों की बोलने वाली भाषा को आठवीं अनुसूची में लाने के लिए 12 वर्षों से यह बात चल रही है। आज तक यह अनुसूची में नहीं आई है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि भोजपुरी की किताब लिखी गई है, मेरे पास वह किताब भी है। वह भोजपुरी का इतिहास है 5 जुलाई, 1984 - भोजपुरी भाषा और साहित्य, भोजपुरी भाषा का इतिहास - रास बिहारी पाण्डे, 1986; भोजपुरी ठेठ भाषा व्याकरण - पंडित शिवदास ओझा, 1983; भोजपुरी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास - नागेन्द्र प्रसाद सिंह, 2009; भोजपुरी हिन्दी-अंग्रेज़ी शब्दकोश - केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, संपादक - राजेन्द्र प्रसाद सिंह, 2009; इनवैस्ट ऑफ इंडियन फोक टेल्स, विदेश में भोजपुरी कहानी के अनुवाद - ओरियेन्टल ब्लैकस्मिथ, पंडित रामगरीब चौबे 2003; भोजपुरी की लिपि, भोजपुरी अकादमी की स्थापना, मैथिली-भोजपुरी अकादमी की स्थापना।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन विश्वविद्यालयों में यह भोजपुरी भाषा अभी पढ़ाई जाती है। वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय पटना, जहाँ से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिया जाता है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बीएचयू में भोजपुरी भाषा केन्द्र के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट में एम.ए. तक की पढाई प्रो. सदानन्द साही। इग्नू नई दिल्ली में भी भोजपुरी भाषा केन्द्र के आधार पाठ्यक्रम तथा सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई - प्रो. शत्रुघ्न; जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भोजपुरी एम.ए. तक विषय है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में भोजपुरी हिन्दी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। इस तरह जो भाषा इतने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और आपने विगत तीन वर्षों से जो बयान दिया है, वह बयान भी मेरे पास है। आपने विश्व भोजपुरी सम्मेलन में 2012 में, 2010 में, 2009 में भोजपुरी भाषी सांसदों से अपील की कि आप लोग सदन में विधेयक लाएँ। इस बार 25.3.2012 को हम भी मौजूद थे। आपने कहा कि आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने की मांग जायज़ है और आप चाहती हैं कि भोजपुरी आठवी अनुसूची में शामिल हो। यह छठा विश्व भोजपुरी सम्मेलन था। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं और आपका संरक्षण चाहते हैं कि जब आप खुद कहती हैं कि आप लोग विधेयक लाएँ तो आप क्यों नहीं निर्देश दे रही हैं कि इसको आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए? आपका कर्तव्य बनता है, आपने किताब का विमोचन किया है, आपने कई बार इस पर ध्यान दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप सरकार को और मंत्री जी को डायरैक्शन दीजिए कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इससे लोगों की भावनाओं को बल मिलेगा और आपके पिताजी बाबू जगजीवन राम जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी

और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ये़ सारे लोग भोजपुरी भाषी थे जिन लोगों ने देश के निर्माण में, देश को आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे लोगों की बोलने वाली भाषा को शत्रुघ्न सिन्हा जी तथा कई सदस्यों ने कई बार उठाया लेकिन आज तक इसको 12 वर्षों से क्यों लटकाया जा रहा है, और कोई न कोई बहाना ढूँढ़ रहे हैं, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ । मैं आपके माध्यम से, आप ही से अपील करना चाहता हूं, सदन से अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इसको आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रूल परमिट नहीं करता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कॉलिंग अटैंशन में Rule does not permit.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह ऐसे तो 193 हो जाएगा। ध्यानाकर्षण में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि नियम नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसा नियम नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नियम नहीं है। अभी ध्यानाकर्षण चल रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम ध्यानाकर्षण में उसी को बुलवा सकते हैं, जिसने नोटिस दिया हुआ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बोल चुके हैं और बहुत अच्छे से बोले हैं। इसलिए आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस समय ध्यानाकर्षण चल रहा है। ध्यानाकर्षण के नियम के मुताबिक जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया हुआ है, उन्हीं को बुलवा सकते हैं और हमने उन्हें बुलवा दिया है। इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस नियम में बंधे हुए हैं। कृपया आप यह समझें।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister, please.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): Madam, we may associate… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I cannot do it.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, Mr. Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, Speaker, it appears that, from what all the hon. speakers said, they have made out a very strong and powerful case for inclusion of Bhojpuri language in the VIII Schedule. I am at disadvantage; I wish I could have replied, at least, in Hindi. Now, let me say in Bhojpuri that '*hum rauwa sabke bhavna samjhatani'*…. (*Interruptions*)

There has been some progress since 2006. Although I will be the first to admit that it has not progressed fast enough. As I have said in the statement, in 2006, a proposal was, indeed, moved to include Bhojpuri and another language in the VIII Schedule. But at that time, in the Government in which my good friend, Mr. Singh was a Minister, a decision was taken – 'Let us deal with the issue of the UPSC language first, and then take a decision on Shri Sitakant Mohapatra Committee Report.' Now, that is a decision taken in 2007.

Fortunately, as I stand up here, I can say that the UPSC Committee Report has come in March, 2012. The DoPT is examining the Report.

I will certainly make every effort to see that a decision is taken on that Report as early as possible; and immediately after a decision is taken on that Report, I shall certainly endeavour to have the Government to take a decision on Shri Sitakant Mohapatra Committee Report. I hope that I can come back to this House with good news but for the present, please bear with me. I again repeat –हम रउआ सबके भावना समझअतनि … (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, आठ वर्षों से यह मामला चल रहा है। …(व्यवधान) यह भोजपुरी के साथ क्यों हो रहा है? …(व्यवधान) माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। …(व्यवधान) महोदया, आपकी तरफ से निर्देश आना चाहिए। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री जो अधिकांशतः अंग्रेजी में ही बोलते हैं, मैंने उन्हें हिन्दी में भी बोलते नहीं सुना है, लेकिन आज वे भोजपुरी में बोले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वे जल्दी ही एक खुशखबरी के साथ लौटेंगे। मैं आशा करती हूं कि वे जल्दी लौटेंगे।

…(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, जल्दी मतलब कितने महीने में लौटेंगे? …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, we will take up Item No.14, Calling Attention---Shri Basu Deb Acharia.

… (*Interruptions*)

श्री उमाशंकर सिंह: महोदया, इसके लिए एक समय निर्धारित किया जाए। …(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदया, भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। …(व्यवधान)

श्री नीरज शेखर (बलिया): महोदया, इसके लिए कोई समय बताएं। आपका संरक्षण चाहिए नहीं तो फिर छः साल और इंतजार करना पड़ेगा।…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, इस पर फैसला होना चाहिए। …(व्यवधान)

12.47 hrs

At this stage, Shri Arjun Roy, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Shatrughan Sinha, Shri Umashankar Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

अध्यक्ष महोदया : आप लोग वापस जाएं।

12.48 hrs

At this stage, Shri Arjun Roy, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Shatrughan Sinha, Shri Umashankar and some other hon. Members went back to their seats.

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, आप उन्हें निर्देश दीजिए।…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मानसून सत्र में इसकी घोषणा कर दें। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह हम कैसे करें?

…(व्यवधान)

12.49 hrs

At this stage, Shri Shailendra Kumar, Shri Umashankar Singh, Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : आप लोग वापस जाएं।

12.50 hrs

At this stage, Shri Shailendra Kumar, Shri Umashankar Singh, Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI P. CHIDAMBARAM**:** Madam, we will consider these two Reports and take a decision and we will be able to announce a decision in the Monsoon Session. …(*Interruptions*)

(Placed in the Library. See No. LT 6930/15/12)

12.51 hrs

(ii)Situation arising out of non-implementation of Wage Revision of Industrial Development Bank of India Employees and steps taken by the Government in this regard*

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:-

> "Situation arising out of non-implementation of wage revision of Industrial Development Bank of India Employees and Steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): In terms of the scheme of amalgamation, erstwhile IDBI Bank Ltd. was amalgamated with Industrial Development Bank of India Ltd. with effect from 2nd April 2005. United Western Bank was amalgamated with IDBI Ltd. with effect from 3rd October, 2006. The name was changed to IDBI Bank Ltd. with effect from 7th May 2008.

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, if you want, you can lay the Statement on the Table of the House.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If the Member has read the Statement, then I need not do so, he can put the question straightaway. I have no problem.

*A Memorandum of Settlement was signed between the IDBI Ltd. and the All India IDBI Employees Association on 17th March 2006 for a period of 5 years, beginning 1st November 2002. This was modified vide the Supplementary Memorandum of Settlement signed between the IDBI Ltd. and the All India IDBI Employees Association on 20th January 2007. This *inter alia* stated that:

> "We further agree that upon expiry of the settlement for the said period, all pay and allowances would be negotiated and mutually

* Laid on the Table

agreed upon between the bank and its employees having regard to the well accepted principles of wage fixation".

Prior to its merger with IDBI Ltd., the terms & conditions of service of workmen employees of erstwhile United Western Bank were similar to the bipartite settlements signed under the aegis of Indian Banks Association and applicable to Public Sector Banks. As per the scheme of amalgamation, the employees of erstwhile United Western Bank were to be granted the same compensation and the same terms and conditions of service as were applicable to the employees of IDBI Ltd. within a period of 3 years.

Indian Banks' Association in November, 2007, sought IDBI Ltd.'s mandate to negotiate with the industry-wide officers and workmen Unions on behalf of IDBI Ltd. with regard to the proposed revision in pay & allowances that would be effective from 1st November, 2007. However, in view of the different compensation packages existing in the three merged entities before the merger, IDBI Ltd. did not give its mandate to Indian Banks' Association and decided to develop its own compensation package.

While developing the compensation package, management of IDBI Bank Ltd. invited the All India IDBI Employees Association for consultations on 16th April 2009 when copies of the proposed pay scales and terms and conditions of service were handed over to them. Another meeting with the All India IDBI Employees Association was convened on 13th May 2009. However, All India IDBI Employees Association, vide letter dated 12th May 2009, sought a mutually convenient date for discussion. Another round of consultations was scheduled on 2nd June 2009, but the All India IDBI Employees Association did not participate.

Board of Directors of the IDBI Bank Ltd., in its meeting held on 23rd May 2009 approved the compensation package for its employees. This package has been implemented for officers in January 2010 for the period from November 2007 to October 2012. However, in the case of workmen employees, the wage revision settlement, for a similar period, could not be finalized as All India IDBI Employees

Association did not agree to the package offered and were demanding parity with RBI.

In order to resolve the matter amicably, the management of IDBI Bank Ltd. set up a Committee of three Executive Directors to hold consultations with the All India IDBI Employees Association on its revised proposal. Besides a series of informal consultations, a meeting was also held on 26th August 2011 when the revised proposal was presented. However, no agreement on the proposed compensation package could be reached.

All India IDBI Employees Association, during these consultations, continued demanding parity with the Reserve Bank of India in pay and allowances. They were also opposed to negotiations with IDBI Karamchari Sangh, representing mostly the employees of the erstwhile United Western Bank. IDBI Karamchari Sangh, on the other hand, were insisting that they being the majority association, negotiations should be held with them. On the WP No. 3699 filed by the IDBI Karamchari Sangh, the Hon'ble High Court of Bombay, vide order dated 18th August 2011, directed the Deputy Labour Commissioner to verify the membership of the petitioner union.

After conversion of IDBI Ltd into a Banking company in October 2004, IDBI Bank Ltd. is categorised as other Public Sector Bank. In terms of the Memorandum of Settlement signed between the IDBI Bank Ltd. and the All India IDBI Employees Association on 20th January 2007, subsequent settlement for pay and allowances were to be based on the well accepted principles of wage fixation and were no longer linked with the RBI. Since settlement under the aegis of the Indian Bank's Association, adopted in the nationalised banks, do not have parity with the pay scales in the RBI, any demand for such parity in the IDBI Bank Ltd., which is a public sector bank, is unjustified and, hence, not acceptable.

In order to expedite the conclusion of settlement, management of IDBI Bank Ltd., in November, 2011, and again in December 2011, advised the All India IDBI Employees Association that it was open to bilateral discussions and sought their cooperation in finalizing the compensation package.

A bi-partite settlement for the period of 5 years with effect from 1st November 2007 was signed between IDBI Bank Ltd. and the All India IDBI Employees Association on February 22, 2012. As per the agreement, the bi-partite settlement shall after approval of the Board of Directors of IDBI Bank Ltd. or directions, if any, from Government, be released for implementation. Board of Directors of IDBI Bank Ltd. approved the bi-partite settlement at its meeting held on March 2, 2012. The IDBI Bank Ltd. has sent the settlement to the Government for approval.

While a bi-partite settlement has been signed by the IDBI Bank Ltd. with the All India IDBI Employees Association, IDBI Karamchari Sangh has, so far, not agreed with this settlement. The Government will take a decision on the proposed settlement taking *inter alia* its implications on the nationalised banks into consideration.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, it is quite strange that whenever the question of wage revision of employees of Industrial Development Bank of India comes, we have to raise it in the form of Calling Attention. After a debate and discussion in the House in the form of Calling Attention, the wage settlement is finalized. This happened in the case of the sixth bi-partite wage settlement.

The question was raised in this House on 19th December 2006 and what was stated in reply to my question by the Finance Minister of that period was that a settlement of pay and allowances will be negotiated and mutually agreed upon between the Bank and the Association having regard to well accepted principles of wage fixation. Then, the sixth bi-partite wage settlement was finalized and agreement was signed. The same thing was repeated in the wage settlement also.

IDBI was a part of RBI. Up to the sixth bi-partite wage settlement, the wage of employees of IDBI was determined as per Reserve Bank of India employees wage revision. Their wages and allowances were at par with RBI employees. That was why they have been demanding as to why the parity which was there up to the sixth bi-partite settlement should be disturbed. Moreover, when IDBI Repeal Bill was brought before the House in 2002, an assurance was given because I moved an amendment and my amendment was to be adopted. I got one vote more in support of my amendment. But, by some manipulation, it was tied at 39 and 39. Then I was requested by the Deputy-Speaker who was in the Chair to withdraw my amendment; otherwise he would exercise his casting vote.

Then, my amendment would be defeated. Then, an assurance was given by the Finance Minister. What was his assurance in regard to Section 5(1) of IDBI (Repeal) Act? It was that its Development Finance Institution character, even after corporatisation, will be retained. It was the first assurance. The second assurance was in regard to employees that after conversion of IDBI Limited into a banking company in 2004, the IDBI Bank would be categorised as a public sector bank, but the employees would continue to enjoy the same terms and conditions of service. So, I would request the hon. Finance Minister to go through the proceedings of the

House and the solemn assurance given by the then Finance Minister. What is happening in IDBI today? There is an attempt to change their service conditions. I would like to know from the Finance Minister whether the terms and conditions of service include wage and allowances also.

I am not against negotiated settlement. In this House, the then Finance Minister, Shri P. Chidambaram, had categorically said that he was in favour of negotiated settlement. He had also said that the revision of wages or increase in the wages would not be done automatically when the revision of wages of RBI employees took place, but it would be done through negotiations. Negotiations were done and a settlement was reached at, though it took more than one year.

The 7th Wage Settlement is due from October, 2007. Already more than four years have elapsed. Now the next wage settlement will come soon in October, 2012 because one wage settlement is for five years. On 22nd February, an agreement was signed between the management and the representatives of All India IDBI Association and both agreed to some terms and conditions, and wage settlement. Up to 6th Bipartite Wage Settlement, in the case of workmen, the approval of the Government for the implementation of wage settlement was not required in the past. Then, why is it required in the case of 7th Wage Settlement when it was agreed to between and signed by the Management as well as union and also approved by the IDBI Board on 2nd March, 2012? Is there any requirement of approval from the Government? So far, up to 6th Bipartite Wage Settlement, the approval of the Government to the proposal of wage revision, which was settled and agreed, was not required.

13.00 hrs.

Madam, the increase in case of officers / executives was to the extent of 23 per cent and not 20 per cent as was done for the commercial banks. In case of officers of IDBI, the increase was 23 per cent, which was more than the RBI officers.

MADAM SPEAKER: Mr. Basu Deb Acharia, please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The implementation of wage revision was started even before the approval, and from January 2010 the wage revision of the officers has been implemented. But why the workmen, namely, the workers and the employees, had to wait for so many years? Why did they have to wait for almost three months after the negotiated settlement and even after the approval by the Board?

The wage revision for the employees of all the financial institutions and banks, namely, commercial banks; public sector banks; NABARD; RBI; SIDBI had been revised and also implemented long back in 2010. Why is there this discrimination against the employees of IDBI? Why are they being discriminated?

MADAM SPEAKER: Mr. Basu Deb Acharia, please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The Finance Minister at the end of his statement has stated that :

> "While a bi-partite settlement has been signed by the IDBI Bank Ltd. with the All India IDBI Employees Association, IDBI Karamchari Sangh has, so far, not agreed with this settlement. The Government will take a decision on the proposed settlement taking *inter-alia* its implications on the nationalised banks into consideration."

MADAM SPEAKER: Mr. Basu Deb Acharia, please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, I am coming to the conclusion.

There are two parts here. One is a private bank was amalgamated with IDBI in 2008, and they have separate union. Now, after the merger, those employees have also become the employees of IDBI. But on the date of settlement of wage

negotiations and on the date of signing of the agreement, the IDBI Employees Association was in majority. Where is the hurdle when the Management arrived at, agreed and settled the wage revision? Why hurdles are being created? Here, implication on the nationalized banks was never stated because he has very categorically stated in his statement that :

> "We further agree that upon expiry of the settlement for the said period, all pay and allowances would be negotiated and mutually agreed upon between the bank and its employees having regard to the well accepted principles of wage fixation."

MADAM SPEAKER: Mr. Basu Deb Acharia, please conclude now. Your time is up.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This implication was not thought of when the wage of the officers was revised. But why this question is being raised when the question of implementation of their wage revision is there, which was settled through negotiations and signed by both the Management and Association and approved by the IDBI Board? Is this being done in order to put more hurdles and in order to delay it? Already there has been undue delay of almost three months, and the period of the Seventh Bipartite Wage Settlement will expire after four or five months. If approval is required, then please give approval so that implementation of wage revision is done without further delay.

MADAM SPEAKER: You have asked your question, please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I would like to know from the hon. Finance Minister by when the wage revision of employees of IDBI will be implemented and the discrimination being meted out to the employees of the IDBI will be ended. I demand a categorical assurance from the Finance Minister. …(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया था कि भारतीय औद्योगिक बैंक...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ध्यानाकर्षण में यह कहां से आ गया। आप नियम जानते हैं। आप तीन बार सदस्य रह चुके हैं। आपको सारे नियम कंठस्थ हैं।

…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं अपने को इससे संबंद्ध करता हूं कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, इसमें सम्बद्ध नहीं किया जाता।

…(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी: आप एसोसिएट कीजिए।...(व्यवधान)

8SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, I associate myself with Shri Basu Deb Acharia on this matter. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Over the years, through mergers and through change of its role, this institution has assumed some sort of complexity. IDBI was a developmental financial institution. It was separated from RBI by an Act of 1964. Till 2004, it continued to play the role of the developmental institution and not that of the commercial bank. To do certain commercial banking activities, it created a subsidiary, which was wholly officers-oriented, in 1994. In 2004, IDBI was converted into a commercial bank. Therefore, from 1964 to 2004, in all these 40 years in between, there have been certain changes. After it was converted into a commercial bank, then the subsidiary of the IDBI Bank was also merged with the IDBI. Another bank, United Western Bank, also got merged with IDBI. Therefore, IDBI now contains three constituents. It has merged, but it has three constituents – one is the original IDBI, which was separated from the Reserve Bank of India in 1964; then IDBI Bank subsidiary and thereafter that Western Bank which got merged. Now, it is known as IDBI Bank Limited.

I would have no problem if the Employees' Associations would have agreed to give the mandate to the IBA (Indian Banks' Association) which negotiates on behalf of all the public sector banks. The hon. Member, who is a Trade Unionist, is fully aware of it that wage negotiations between the banks and the IBA take some time, but we have developed over the years a pattern through

which smooth negotiations take place. And IBA on behalf of all the Public Sector Banks, they moved it. The IBA sought the mandate, that as I am negotiating with, on behalf of all other Scheduled Commercial Banks which are nationalised Public Sector Banks, 'would you give the mandate to negotiate on your behalf'? They did not agree. That is why, one problem came that when all Public Sector Banks settlement took place, this bank could not settle.

The second issue is that the Industrial Development Bank Employees Association were requested to make negotiations several times. I have the list. In June 2009, association submitted a demand for parity with RBI for 2007-12 period. In January, 2010, package for officers was approved and implemented. It is true that they have accepted and implemented.

In August, 2010, association was invited for meeting to negotiate for the harmonised package and they refused seeking RBI parity. In November, 2010 once again association invited for a meeting to negotiate the harmonized package. Again they refused seeking RBI parity. In August, 2011, bank reworked toward workmen package and invited for discussion.

In November, 2011, package was further reworked based on negotiations but not accepted by the Association. In December, 2011, package once again reworked but association still did not agree and insisted on having parity with RBI. On 15th December, 2011 as hon. Member mentioned, calling attention issue was discussed. In January, 2012, the package was reworked once again and offered without linkage to RBI parity. Now, that package has been agreed in February, 2012. I would have no problem to implement it immediately. But in between, there is another union namely Karamchari Sangh. I am not going into the disputes because this is a matter of Mumbai High Court. The Mumbai High Court is looking into it. As per the order of the Mumbai High Court, the Labour Commissioner is looking into it. But as per the figures which I have, they have about 2400 employees. I think the total employees are about 2400 and of that, Karamchari Sangh is having 1271 and the Employees Association is having about

1139. But that is a matter which the Labour Commissioner will deal with it. I am not going into it. But the fact of the matter is that Karamchari Sangh have refused to agree to this package which has been agreed upon after a good deal of negotiations with the IDBI Banks Employees' Association.

13.13 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

So, it has received the approval of their board. Now, they have sought the approval of the Government. Hon. Member is fully aware of this. Though IBA negotiates on behalf of all the Public Sector Banks and we do never interfere with the negotiations rather I encourage them to have the peaceful settlement. During the last negotiation, I told them that even if they want little bit more, then I asked them to negotiate. I do not mind if you give them and have the settlement. And they settled. But finally they have to get the approval of the Government. Therefore, we gave that approval and we do not mind that. Here also, there would have been no problem of according it in March. Today we are talking of the May. Hon Member has also discussed this issue with me and I can assure him that not during the remaining period of the Parliament. It would not be possible for me but as soon as the Parliament Session is over, I will call the IDBI Chairman and I will also call the other relevant concerns and I will try to attempt an agreed solution where the package will be acceptable to all both the Employees Association and Karamchari Sangh. I will try to work out that and resolve the issue.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): By the end of this month.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: After this Parliament Session is over I will try to do that. I cannot just give you a date - because if it takes more than one meeting, I cannot say that by the end of this month I will be able to do that - but as soon as possible.

(Placed in Library, See No. LT 6931/15/12)

13.15 hrs

NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2012*

MR. CHAIRMAN: Item No.15. Shri Harish Rawat.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962."

The motion was adopted.

SHRI HARISH RAWAT: I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2:15 pm.

13.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen minutes Past Fourteen of the Clock.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 Dated 17.5.2012

14.17 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at
Seventeen Minutes Past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2012 – Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister of Parliamentary Affairs.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, with your permission, I would like to say that Item No. 17, further consideration of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2012 may kindly be deferred because there are some points that we are discussing with the hon. Members of the Opposition; and I think, we should be able to clear all those things today and on Monday, that may be taken up.

In the meanwhile, we may begin with Item No. 18 and thereafter, Item No. 19.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I hope the House agrees.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Thank you, Sir.

14.18 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters will be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time, rest will be treated as lapsed.

(i) Need to enhance the procurement price of Garlic as per its price in the international market and to promote export of Garlic

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मेरे गृह राज्य राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र के कोटा बूंदी इत्यादि जिलों में लहसुन की खेती किसानों के लिए एक घाटे का सौदा बन गई है क्योंकि गत वर्ष लहसुन का भाव 12 हजार प्रति टन होने के कारण इस क्षेत्र के किसानों ने लहसुन के उत्पादन को प्राथमिकता दी एवं एक लाख 90 हजार हैक्टयर पर लहसुन की खेती-बाड़ी की । उनकी मेहनत से इस वर्ष लहसुन का बम्पर उत्पादन हुआ । लहसुन के अत्यधिक उत्पादन से इनका भाव 350 रूपये से 1200 रूपये प्रति टन रह गया जिसके कारण किसान परेशान है एवं अपनी उत्पादन लागत को प्राप्त करने में असमर्थ है । अपने उत्पादन को औने-पौने भाव पर बेचने के लिए विवश है । इसी तरह से उत्पादन आने वाले सालों में भी बढ़े इसके लिए उचित प्रतिफल भी किसानों को मिलना चाहिए । 2010 के अप्रैल से जुलाई के बीच भारत ने 10,975 टन लहसुन का निर्यात किया था एवं 42 करोड़ रूपये के करीब की विदेशी मुद्रा कमाई थी । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लहसुन का भाव 2 हजार डालर प्रति टन है अगर हम लहसुन के निर्यात को प्रोत्साहित करें तो हम किसानों को अच्छी कीमत दे सकते हैं ।

सरकार से अनुरोध है कि लहसुन का निर्यात करे तो हम किसानों के लहसुन उत्पादन का समुचित प्रतिफल देने में समर्थ हो सकेंगे ।

* Treated as laid on the Table

(ii) **Need to increase the Kerosene quota to Kerala**

SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): The household units using kerosene for cooking their food and the fishing community who use kerosene to energise their small machanised boats are facing lot of difficulty due to shortage of supply of kerosene in Kerala. It has been seen that the kerosene supplied through the Public Distribution System in the State has been curtailed due to short supply of the same from the Central Government.

Severe shortage of kerosene has resulted in hoarding and black marketing of the same in Kerala. The fishing community is facing difficulty to go to the sea without their machanised yamaha boats for fishing. Inadequate arrival of sea products resulted in price rise and shortage of fish in Kerala.

I, therefore, urge upon the Central Government to increase the quota of Kerosene to Kerala at the earliest.

(iii) Need to ensure increased participation of women in higher education

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): आज पूरा देश जनसंख्या और जनसंख्या में पुरूष एवं महिलाओं के अनुपात को लेकर चिंतित है । हाल में की गई जनगणना-2011 में 1000 पुरूषों पर केवल 940 महिलाएं हैं। यह अनुपात अत्यंत गंभीर है । इससे भी ज्यादा गंभीर पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा दर है । जनगणना 2011 के अनुसार 65.46 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं, कुछ जिलों में तो 15 से 20 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं, जबकि 82.14 प्रतिशत पुरूष शिक्षित हैं । और भी चौंकने वाली बात यह है कि देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा औसतन अत्यधिक कम है । देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या को इन प्रतिष्ठित संस्थानों में केवल 20 प्रतिशत ही भागीदारी मिले यह चिंता का विषय है । मेरे द्वारा लोक सभा के पिछले सत्र में पूछे गए प्रश्न के जवाब में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुएः-

आई.आई.एम में	4.80:1
आई.आई.टी. में	5.79:1
आई.आई.आई.टी. में	5.72:1
एन.आई.टी. में	4.50:1

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि महिलाओं की उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का कष्ट करें ।

(iv) Need to issue Railway Izzat Monthly Season Ticket to all eligible working members in a family with the enhanced validity of income certificate required for obtaining the monthly season ticket

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): The then Railway Minister introduced the IZAAT Monthly Season Ticket scheme from 1st August, 2009 for the benefit of persons belonging to unorganised sector whose monthly income does not exceed Rs.1500 per month. The Monthly Season Ticket was priced at Rs.25 within 100 Kms.

I appreciate the Railway Ministry for extending the distance from 100 kms to 150 kms with effect from June 1, 2012. It is a welcome step beneficial to the poor people. But at the same time, I wish to point out the following facts for the Railway Ministry's consideration.

Previously the income certificate was valid for 2 years but as per new notification the applicant has to obtain fresh income certificate every time from MLAs. This is harassment to the passengers.

It was strange that izzat Monthly Season Ticket will be issued only to the Head of the Family in whose name the BPL card is issued. The other family members can also work as casual labourers in and around of their place of residence. This is an unwanted rule which requires amendment immediately.

As per the Railway Board telemax No: Cll/2941/09lzzat Monthly Season Ticket dated 07.08.2009 that the validity of the identity card will become co-

terminus with the validity of that income certificate. The poor daily wage earners have to run for obtaining income certificate every time just to obtain the Monthly Season Ticket and has to forego his earnings for that day. This also requires reconsideration.

(v) Need to provide adequate quantity of jute sacks for packaging wheat and to ensure timely procurement of wheat by FCI from farmers in Madhya Pradesh

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की रिकार्ड पैदावार हुई है और लगभग 80 लाख टन अनाज का उपार्जन होने का अनुमान है । इतिहास में पहली बार म.प्र. गेहूं उपार्जन के मामले में पूरे देश में सबसे आगे है । प्रदेश सरकार ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं किंतु इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा खरीदी के लिए पर्याप्त संख्या में बारदानों की आपूर्ति नहीं की गई है । प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए 16 करोड़ बोरों की आवश्यकता है और इसके लिए पूरा भुगतान भी कर दिया गया है, किंतु केन्द्र सरकार द्वारा केवल 9 करोड़ बोरें ही उपलब्ध कराए गए हैं । प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी से मिलकर जूट के बोरों की उपलब्धता न होने की स्थिति में प्लास्टिक बैग्स को उपयोग करने की अनुमति मांगी है जोकि आंशिक रूप से ही दी गई है ।

केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राज्य में मानसून की संभावना को देखते हुए यथाशीघ्र शेष बारदानों की आपूर्ति की जाए । इसके लिए मांग के हिसाब से रैक की उपलब्धता कराई जाए, ताकि समय रहते शत-प्रतिशत गेहूं का उपार्जन किया जा सके । इसके साथ ही बड़े पैमाने पर खरीद के बाद अनाज के भंडारण की समस्या न हो इसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक से अधिक गेहूं के उठाव को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(vi) **Need to run direct trains from Balaghat in Madhya Pradesh to Raipur and Nagpur**

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बालाघाट से रायपुर तथा बालाघाट से नागपुर सीधी ट्रेन सेवा की मांग जनता द्वारा की जा रही है । वर्तमान में बालाघाट से गोन्दिया तक ट्रेन चलती है । गोन्दिया से नागपुर तथा रायपुर के लिए ट्रेन बदलनी पड़ती है । जो बहुत ही असुविधाजनक होती है । बालाघाट जिला देश के नक्सल प्रभावित जिलों में आता है तथा अति पिछड़ा जिला है । आजादी के बाद भी यह जिला सीधी रेल सेवा से बड़े शहरों से नहीं जुड़ पाया है । जनता बड़ी बेसब्री से बालाघाट से नागपुर तथा बालाघाट से रायपुर सीधी रेल सेवा से जुड़ने का इंतजार कर रही है । इसी प्रकार बालाघाट से गोन्दिया ट्रेन चलती है जिसके दिन में कम फेरे लगते हैं । इन फेरों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है । कई बार महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को मैंने पत्र लिखा है । परंतु आज तक कोई कारवाई नहीं की गई । इसी के साथ बालाघाट, वारासिवनी तथा कटंगी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का भारी अभाव है ।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस समस्या को तत्काल प्रभाव से हल करने का कष्ट किया जाए ।

(vii) Need to undertake repair of N.H. No. – 76 between Jhansi and Dewari Bandha and N.H. No. – 75 between Dewari Bandha – Chhattarpur-Satna

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): झांसी से देवरी बंधा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 76 झांसी-मिर्जापुर मार्ग तथा देवरी बंधा से छतरपुर-सतना राजमार्ग क्रमांक 75 की स्थिति काफी खराब है । विशेष रूप से नौगांव से देवपुर तिगैला तक बहुत ही खराब है तथा नौगांव से छतरपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 75 की मरम्मत लगभग 6 माह पूर्व शुरू हुआ किंतु ठेकेदार द्वारा बीच में ही काम छोड़ देने से यात्रियों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एवं 75 की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाने का सहयोग करें ।

(viii) Need to release funds on priority for disbursal of scholarships to OBC students in Maharashtra

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): केंद्र सरकार ने ओ.बी.सी. छात्रों के लिए शुरू किये छात्रवृत्ति परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन लगभग बंद कर दिया है । इसलिए महाराष्ट्र राज्य के ओ.बी.सी. छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक शुल्क के बारे में कठिनाइयाँ आ रही हैं और उनकी पढ़ाई में तकलीफ हो रही है। केंद्र सरकार ने 1998 से देश के सभी राज्यों के ओ.बी.सी. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति परियोजना शुरू की इसके अनुसार राज्य सरकारों द्वारा पहले खर्च करने के बाद केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी । लेकिन परियोजना के अनुसार केंद्र सरकार ने समुचित धनराशि का आवंटन नहीं किया । महाराष्ट्र राज्य द्वारा ओ.बी.सी. छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए खर्च किये गरीब 1400 करोड़ रूपये की बकाया राशि अभी तक नहीं दी गयी है । इससे ओ.बी.सी. छात्रों के साथ राज्य सरकार, शैक्षिक संस्थाओं में 2011-12 शैक्षिक वर्ष में करीब 4 लाख ओ.बी.सी. छात्रों को छात्रवृत्ति परीक्षा शुल्क और शैक्षिक संस्थाओं को दिये जाने वाले शुल्क के रूप में लगभग 400 करोड़ रूपये देने हैं । लेकिन केंद्रीय आर्थिक सहायता के अभाव में राज्य सरकार धनराशि कहां से जुटाये ऐसा प्रश्नचिन्ह लगा है । ओ.बी.सी. छात्रों के छात्रवृत्ति परियोजना में राज्य सरकार के आर्थिक आवंटन को लंबित रखने से हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार महाराष्ट्र राज्य के ओ.बी.सी. छात्रों की छात्रवृत्ति की लंबित धनराशि तत्काल निर्गत करे और भविष्य में ओ.बी.सी. छात्रों छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने के लिए भी अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दे । सरकार ओ.बी.सी. छात्रों के शैक्षिक कार्य के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठायेगी ऐसी अपेक्षा करता हूं ।

(ix) Need to make provision for grant of subsidy to farmers to enable them to construct godowns for foodgrains

SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER): As. per report of Global Hunger Index Report 22 percent of population is undernourished. By considering above facts Government is going to introduce National Food Security Bill to provide subsidized Food grains to at least 75% of population - 90% in rural areas and 50% in urban areas. Government needs about 56 million tonnes of food grains for this scheme.

Production of food grains in our country is about 225 million tones out of which 16 million tonnes of Food grain is reserved as a buffer stock. Likewise about 60 million tonnes of food grains is stored in Godowns of Food Corporation of India. But quality of this stored food grains is very poor. Procedure of storing food grains in these godowns is very old due to which food grain easily become vulnerable to Rats and other destroyers. Due to this food grains of about 50 thousands Crore Rupees gets destroyed every year. There is no use of any scientific procedure to store food grains in these godowns so that foodgrains can be stored without any damage to its quality.

Providing subsidized food to 75% of population will require huge quantity of food grains. There will also be the need of storing facility for food grains for years. But as per current scenario, capacity of present available godowns is not sufficient to store food grains required for fulfilling the proposed objectives of Food Security Bill. So to make availability of food grains to 75% population establishment of another 150 million tones food grain godowns is necessary. Government alone can’t establish such a big capacity of godowns. To enhance this godown capacity, we must provide 50% subsidy to all applicant farmers.

I request to respective Ministries to make liquidity of proper fund for subsidy upto 50% on godown construction to farmers for establishing another capacity of 150 million tones godowns for food grains in entire country.

(x) Need to introduce a new passenger train service between Tatanagar and Badampahar and an express train service from Badampahar to Rourkela, Ranchi and Chakradharpur

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): Tata - Badampahar broad gauge section, in my poor and backward tribal dominated parliamentary constituency Mayurbhanj, comes under Chakradharpur division of South Eastern Railway (SER). This section is more than 100 years old. But the present conditions of this section and the stations in this section are very pathetic. Even minimum passenger amenities as prescribed by Ministry of Railways based on annual passenger earnings have not been provided at most of the stations in this section. Even after several repeated demands and requests, SER is not at all taking any steps in this regard. As a result of this, the passengers of my constituency are suffering a lot.

Similarly, at present, only one pair of passenger trains is operating in this section whereas the requirement and demand of the people of my constituency are for more passenger train services. Therefore, a new passenger train service between Tata and Badampahar and a new express train service between Badampahar and Rourkela/Ranchi/Chakradharpur must be introduced in this section. Moreover, this section must be extended from Gorumahishani to Bangriposi and from Badampahar to Keonjhar respectively for the larger interest and socio-economic development of the poor and backward tribals of my constituency. Therefore, I would like to request the Hon'ble Minister of Railways

to take necessary steps immediately to develop this section and fulfill the demands and expectations of the people of my constituency.

(xi) **Need to provide grant for research and development to Tamil Nadu Agricultural University Coimbatore**

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Tamil Nadu Agricultural University at Coimbatore is one of the constituent colleges of the Tamil Nadu Agricultural University. This is the first college started in Southern India for providing agricultural engineering education and has the departments such as Farm Power and Machinery, Soil and Water Conservation Engineering, Food and Agricultural Process Engineering, Bio Energy, Agricultural Machinery Research Centre, Post Harvest Technology Center, Physical Sciences and Information Technology. This Agricultural University at Coimbatore offers courses in B.Sc.(Agriculture), B.Sc.(Sericulture), B. Tech. (Biotechnology), B.Tech. Bioinformatics), B. S. (Agri business Management) and B.Tech (Agricultural Information Technology). This institution helps the farming community in improving their levels of living by developing and disseminating Agricultural Engineering technologies through quality research, education and training in surrounding districts which are having rich agricultural activities. However, this institution has not received any grant or fund from the Central Government for its various research and development activities for the last four years. Therefore, I urge upon the Government to immediately provide grants/funds to it so that its research and development work is not hampered due to paucity of funds in the interest of farmers.

(xii) Need to improve telephone and internet service in Palghar Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री बलीराम जाधव (पालघर):मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर महाराष्ट्र में बी.एस.एन.एल. टावर या एक्सचेंज में सुविधाजनक यंत्र सामग्री न होने के कारण टेलीफोन तथा इंटरनेट की सुविधा बार बार बाधित हो जाती है जिसकी वजह से कालेजों में ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा का फायदा आदिवासियों के बच्चे नहीं उठा पाते हैं । उन बच्चों को 70-80 किलोमीटर दूर आकर शहर में जाकर एडमिशन के फार्म भरने पड़ते हैं । घरों तथा दफ्तरों में टेलीफोन बंद पड़े रहते हैं परंतु किराया अवश्य हर महीने भरना पड़ता है । वसई, वाडा, मोरवाड, जव्हार, पाल घर, दहानु आदि इलाकों में बी.एस.एन.एल. का कार्य अत्यंत दयनीय अवस्था में है । यहां तक कि मेरे खुद का टेलीफोन एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही काम करता है ।

अतः इन कमियों को दूर करने के लिये जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये जिससे वहां के रहने वालों के घरों, दफ्तरों तथा दुकानों आदि में टेलीफोन सही ढंग से कार्य कर सकें और लोगों की परेशानियों से बचाया जा सके ।

14.19 hrs

ADMINISTRATORS-GENERAL (AMENDMENT) BILL, 2012*

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Administrators-General Act, 1963, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

… (*Interruptions*) Sir, I appreciate that. … (*Interruptions*) Sir, I must say that the positive approach, the outreach and cooperation of the Opposition is to be greatly welcomed, applauded and recognized.

Sir, in the matter of helping the poor and the disadvantaged people, this attitude is very good. … (*Interruptions*) Sir, I will just put it on record that the objective of Section 29 of the Act is essentially to empower the Administrator-General to grant certificates to any person who is interested in the property of a deceased person without being a creditor so that on the basis of that certificate, the assets that have been left behind by the deceased person, which do not exceed in value of a very large amount, can be administered and looked after by the person given the certificate.

The Act was originally enacted in 1963. At that time, the monetary limit was only Rs.5,000. It was subsequently raised to Rs.15,000 in 1972; Rs.50,000 in 1983 and to Rs. 2 lakh in 1999. So, the monetary limit has been raised from time to time looking at the economic circumstances and the value of properties that are often left behind.

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, इस बिल पर डिसकशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह राज्य सभा से पास हो गया है। इसे बिना बहस के पास कर दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): इस बिल को बिना बहस के पास कर दीजिए।

---

* Published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 17.5.2012

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री सलमान खुर्शीद: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर यही सकारात्मक सहयोग हर मामले में मिलता रहेगा तो हम काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा माननीय सांसदों से निवेदन है कि इस बिल को पारित करें। हम सब साथ मिलकर बहुत अच्छा और सकारात्मक कदम उठाएंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): हाउस की सर्वसम्मति से पास करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस की सहमति है तो बिना बहस के इस बिल को पास कर दें।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Administrators-General Act, 1963, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 9, 10, 29 and 36 of Act 45 of 1963

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने के लिए सिर्फ एक ही मिनट मिलेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, यह बिल कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम कमेटी में थे। दो लाख से दस लाख कर रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहना है कि यह मेंडेटरी क्यों नहीं है? अभी भी 28 में से 24 राज्यों ने इस पर टिप्पणी की है, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम में यह अधिनियम प्रवृत्ति में ही नहीं है। मेरा एक ही प्वाइंट है कि इसे मेंडेटरी किया जाना चाहिए ताकि जितनी विधवाएं और नाबालिग हैं, उन्हें बेनिफिट मिल सके।

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, the Bill is applicable to the entire country but the exceptions in all our legislation are laid for Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Assembly then takes up all beneficial Bills that are passed by the Parliament. So, it is not possible for me to make a commitment on that.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सिक्किम भी है।

SHRI SALMAN KHURSHEED: But, as far as we are concerned, the Assemblies will do whatever is in the interest of the poor people of their States. I am sure that the wishes of the hon. Member will be heard and I am sure that the wishes of the hon. Member will be factored in.

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमें भी एक मिनट बोलने का मौका चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब ने ही तो कहा है कि बहस नहीं होनी चाहिए। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब ने ही तो कहा है कि बिना बहस के बिल पास करेंगे।

…(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आए हैं, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप तो समर्थन कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप सब ने ही तो कहा है कि बिना बहस के बिल पास करना है। वह कुछ प्वाइंट बता रहे थे।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.25 hrs

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) AMENDMENT BILL, 2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 19 – Shri Mukul Roy.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI MUKUL ROY): I beg to move :

> "That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this important issue of Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill of 2008.

The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill was introduced in the Rajya Sabha on 18th February, 2008. The Railway Protection Force has to be the safeguarder of the railway property against unlawful possession and theft. We have also seen that it needs adequate expertise handling in such matters. The aim of this Bill is to protect the railway property from unlawful possession. It is very important because in many areas, the railway properties are swindled by the people. Most of the properties are in the hands of the anti-social elements; they are keeping this property. So, we have to have a strict law to protect these railway properties. Sections 3 and 4 of the Act cover the offences due to the abetment, conspiracy, theft and misappropriation of the Railway properties. That is why, we need this amendment. It is a very important amendment.

In Northern Railway also, there are encroachments of railway property. There is encroachment around Delhi railway station. Similarly, there is encroachment in Southern Railway. There is so much confiscation and encroachment of the railway property. In some places, on both sides of the railway line, the people encroach upon the land and use it for cultivation. It is completely in the hands of those people who are enjoying without benefiting Railways. A strict law should have to be adhered by the Ministry of Railways for the sake of redeeming it.

In this regard, the Standing Committee has also given its view that in many places railway property is being encroached upon by the people and about 2,300 hectares of railway land, which is under encroachment, is mostly in metro cities. Most of the lands have been encroached in and around metro cities and urban areas. The encroachment upon the railway property in rural areas is less.

The Northern Railways ranks first in this regard. There has been 1,145 hectares of land under the encroachment. The Committee also informed that there are 1,59,323 cases of the encroachments, out of which 39,733 cases are pending in courts under the Public Premises Eviction Act of 1971. There are 44,473 cases of States, which have already been passed under PPE Act to vacate the land. However, eviction could not take place because of lack of cooperation from most of the State Governments. They have not executed the eviction orders. Many eviction cases are pending in various courts including High Courts and Supreme Court. Therefore, we need a proper law to tackle this problem. These lands have to be protected for the Railways.

In some zonal areas, people have encroached the land and have leased it out. They are living there for the past 50 years. They have constructed *pucca* buildings and have given them to shopkeepers on rent. These people are powerful who belong to these cities. Such people are there in rural areas also. They have muscle and money power. By using their power, they have constructed *pucca* buildings and have leased them out. I would like to know what our Government is going to do in this regard. This Act should have stringent provisions for stringent punishment to evict them from these lands. These lands are very important as the Railways need it. Our hon. Finance Minister was requested by our Railway Minister have told in the morning for the funds requiredments. It is a very important Department and in India, almost all the States are connected with the Railways. We need a lot of money for the developmental projects like doubling, broad-gauge work, etc. All the Members of Parliament are asking for the developmental works in their respective areas.

Sir, senior Ministers are there in the Railways and they are doing a lot of work for the development of Railways. In the morning, both the hon. Ministers of Railways impressed upon the need for allotting more money. A lot of property is being swindled aay by these encroachers. They should be evicted from these properties. Therefore, a stringent law must be there.

As regards the Railway Protection Force, they must be given more powers. If they are given more powers, it will be helpful for them to book the culprits. We have seen in newspaper reports that during long journeys like Mumbai-Chennai sector, in some places thefts are occurring. At some places, some anti-social elements offer biscuits laced with intoxicants to the passengers which intoxicates them. After that, they snatch all the valuables, money, etc. from those people. These types of incidents are happening in the Railways. These incidents can be eradicated if strong powers are given to Railway Protection Force. They must be well equipped. They must be given powers and they must also have to take strong action to protect the people from such anti-social elements. The Railways have a huge property. Sometimes it is seen that the people are engaged in agricultural activities on railway land that lie beside the railway tracks and they do so without the consent of the Railway authorities. A lot of property of the Railways is in the hands of the anti-social elements. These properties can be restored to the Railways and the Railways can earn profit out of such properties and such money can be utilised for the development of the Railways. This Bill seeks to give more importance to recover the unlawful possession of railway properties. At the same time, I would like to inform the Railway Minister about the delays in implementation of the projects in the Railways. For example, in my constituency, the broad gauge line, Tenkasi to Thirunelveli, conversion has already taken place but has not yet become functional. The view of the Department is that there are no availability of drivers and no engines and coaches at present. That is the reason for the delay in the inauguration of this broad gauge line in this sector. I would like to request the hon. Minister to take immediate action in this regard. Most of the hon. Members have said about proper utilisation of the fund allotment. Through this amendment of the Bill, the property of the Railways should be protected and more protection should be given to the passengers. The Railway Protection Force should be given more powers through this amending Bill.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Railway Property Unlawful Possession (Amendment) Bill. The scope of the Bill is very limited. The original Railway Property (Unlawful Possession) Act of 1966 related to unlawful possession of property belonging to the Railway. The present Bill seeks to amend the original Act to the extent of strengthening the provisions that curb the offence of theft of railway property. The Bill seeks to enlarge the ambit of the law to include offences due to abetment or conspiracy, to an offence of theft and misappropriation of railway property.

This particular Bill was sent to the Standing Committee and the Standing Committee has also recommended certain provisions. As per the recommendations of the Standing Committee, the hon. Minister has brought this particular piece of amending legislation to the House. I support the Bill. I would like to say that now according to the present provisions of this amending Bill an officer of the Railway Protection Force to enquire into an incident of theft railway property or receive information about the commissioning of an offence under law. The Standing Committee on Railways has observed that the powers of the Railway Protection Force are proposed to be further extended to the passenger area and passengers so that the officers authorized by the Central Government can take cognizance and launch prosecution in respect of offences specified in the original Railway Act of 1989.

So, as I have already said, I welcome the Bill and I certainly commend that this piece of legislation is no doubt a very limited one but its impact is very much there on theft, abetment and conspiracy in this particular area.

I do not like to prolong my speech. I support it once again and request the hon. Minister that it should be strictly adhered to and implemented so that the abettors or the conspirators should be brought to book.

With these words, I conclude.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे रेल संपत्ति विधिविरुद्ध कब्ज़ा (संशोधन) विधेयक 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह विधेयक 1966 के अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक है। यह बात भी सत्य है जैसे हमारे सेठी जी ने कहा कि इसमें बहुत छोटा सा संशोधन है और रेलवे से संपत्ति की चोरी, बेईमानी और दुर्विनियोग संबंधी यह विधेयक है, उसमें रेलवे के जो सुरक्षा बल हैं, उनको अधिक ताकत देने, अधिकार देने और जाँच करके वहीं पर दंड का प्रावधान करने संबंधित यह विधेयक है।

यह बात सत्य है कि आज भी देखा गया है कि पहले रेलवे की जो संपत्ति है, खासकर देखा जाए तो जो ज़मीन है, तमाम स्क्रैप पड़े रहते हैं, उसकी चोरियाँ होती थीं और उस पर बहुत कम अंकुश लगते थे। फिर एफ.आई.आर. होती थी, फिर इसकी जाँच होती थी, तमाम तरह की बात होती थी। अंत में जाकर रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने ये मामले जाते थे। अब सुरक्षा बलों को जो विशेष व्यवस्था दी गई, उसमें उनके अधिकारों को, ताकत को और बढ़ाया गया है और उससे काफी चोरियों पर बंदिश होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें नीति और नीयत भी साफ होनी चाहिए। जो हमारे कर्मचारी हैं, सुरक्षा बल के लोग हैं, उनकी भी नीति और नीयत सही होनी चाहिए और उन पर भी मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था हो, तभी जाकर इन तमाम रेलवे की संपत्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। मैं एक बार पुनः इस छोटे से विधेयक में जो संशोधन आया है, इसका पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इन्नोसेंट सा विधेयक है। मेरी दृष्टि में इससे न कोई प्रॉपर्टी की परिभाषा स्पष्ट होगी और न ही इससे सुरक्षा हो पाएगी। जैसे कोई फटे कपड़े में पैबंद लगा देता है, हमारी कानून बनाने की प्रक्रिया भी वैसे ही है कि यहाँ से यह शब्द हटाकर यह शब्द जोड़ दिया जाए। कानून का प्रभावी पालन तब हो सकता है जब कि आम आदमी उस भाषा को समझ सकता हो। इसमें कुछ शब्दों का परिवर्तन किया है। शब्दों के परिवर्तन से अर्थ नहीं बदलते। आप शब्द बदल देंगे, लेकिन अर्थ वही रहेगा। अभी तक मैंने स्टैन्डिंग कमेटी में भी इस पर काफी बात की थी कि किसी काम के लिए स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए कि संपत्ति क्या है। क्या वह ज़मीन संपत्ति है जो रेलवे के पास है, और अभी उसका उपयोग नहीं हुआ है? क्या वह रेल है या अरबों रुपए का जो स्क्रैप निकलता है, वह है, और माफिया उस पर किसी तरह से कब्ज़ा कर रहे हैं। स्टेशन्स हैं या जो रेल लाइन शहर में से जा रही है, क्या वह आपकी सम्पत्ति है या नहीं? इस सम्पत्ति की क्या परिभाषा है? यह न इसमें स्पष्ट हो रहा है और न एक्ट में ही स्पष्ट है। आप किस सम्पत्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं? ड्राइवर शराब पीकर एक्सीडेंट कर देता है तो उसमें जो नष्ट होता है, क्या वह सम्पत्ति है या नहीं? इसमें कहीं भी सम्पत्ति की परिभाषा या उन को बचाने के उपाय नहीं हैं। यदि ज्यादा शक्ति सुरक्षा बलों को दे दी जाती है, मैं इस बात को जानता हूं कि एक पुलिस आफिसर जब वह सिटी पुलिस में है तो वह रेलवे की सम्पत्ति पर कब्जा करवा रहा है और कल वही किसी कारण से रेलवे में आ जाता है और आप उसी से उम्मीद करते हैं कि जिसने कोई लाभ लेकर कब्जा करवाया है और कल उसी की जिम्मेदारी है कि वह उसको हटवाएगा। क्या वह हट सकता है?

महोदय, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ विभागों के प्राइवेटाइजेशन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनमें से रेलवे भी है। आखिर कुछ सम्पत्ति तो सरकार के पास रहेगी या सब कार्पोरेट्स के पास चली जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि रेलवे ऐसी सम्पत्ति है जो हमेशा सरकार के पास ही रहेगी। इसलिए उसको बचाने के लिए एक सक्षम कानून होना चाहिए।

महोदय, हमने अभी संसद की 60वीं वर्षगांठ मनायी। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक कितना पानी नदियों में बह गया होगा। आज की परिस्थिति के अनुसार नये सिरे से एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसमें आज जो जरूरत हैं, उसके मुताबिक कानून बनाए जाएं। उसमें जोड़-घटाने से बनाने की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम नई चीजें अपनाते जा रहे हैं, उसी प्रकार से पुराने कानून में कुछ शब्दों का अदल-बदल करने की बजाय, एक नया कानून बनाया जाना चाहिए, जो कि शक्तिमान हो। प्रायः इसमें एक व्यवस्था कई तरह से परिभाषित हो सकती है। इस

फ्लैक्सीबीलिटी के कारण ही सरकारें अपनी मनमाफिक उसकी परिभाषा करने के लिए स्वतन्त्रता हासिल कर लेती हैं। यदि हर चीज स्पष्ट होगी तो कहीं न कहीं सरकार पर भी उस कानून के लिए बंधन होगा। लेकिन यह कोई नहीं करना चाहता है। यह किसी एक सरकार की बात नहीं है। जो भी उधर बैठता है, वह इसी दृष्टिकोण से सोचता है। जिस सदन में भी कानून बनते हैं, वहां सरकार अपने लिए गुंजाइश रखती है कि हम जैसे चाहें इसको परिभाषित कर लें। इसलिए कोई मजबूत कानून नहीं बन पाता है। आज यह यक्ष प्रश्न है कि क्या मुकदमेबाजी में रेलवे का और धन खर्च करना है? इसके अंदर यह बात छिपी हुई है।
किसी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि किसी को कब्जे से हटा दे। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? जिसने कब्ज़ा कर रखा है, वह ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि यह कब्ज़ा किसी ने करा रखा है। इसमें दंड देने की बात है कि जो कब्ज़ा कराएंगे उन्हें दंडित किया जा सकता है। लेकिन, जैसा मैं कह रहा हूं कि जो लोग बीस-पच्चीस सालों से लगातार कब्ज़ा कराते आए हैं, आज उनमें से कुछ जीवित हैं, कुछ मर गए, कुछ रिटायर हो गए। पर, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जब तक जिम्मेदारी का कोई निश्चय नहीं होगा, यह ऐसे ही चलता रहेगा। उस संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि रेलवे में यह स्पष्ट है कि कोई अधिकारी है जो रेलवे की सारी संपत्ति और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और वही उसकी व्यवस्था करेगा। अगर वह नहीं करेगा तो उसी की जिम्मेदारी है और वही दंडित होगा। क्या ऐसा कोई अधिकारी है? मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर मेरी जानकारी में नहीं है तो आप उसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था है।

स्थानीय निकायों के कानून में पहले एक व्यवस्था थी और वह अभी भी है। लेकिन, आज भी शहरों में वह कहीं लागू नहीं होती। चूंकि पहले उनके पास मजिस्टेरियल पावर थे। रेलवे में अभी मजिस्ट्रेट है। उससे तुरन्त आदेश लेकर वह अतिक्रमण हटा दिया जाए तो हम रेल संपत्ति को बचा सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा मास्टर प्लान, ब्लू प्रिंट नहीं है कि रेलवे की कितनी संपत्ति कहां-कहां है और कितने पर अवैध कब्ज़े हो गए हैं। जब आपने कानून बनाने के बारे में सोचा है, जब रेल संपत्ति को बचाना आपका उद्देश्य है तो ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कुछ आमूल परिवर्तन की बात सोचें। इस विधेयक में हम क्या विरोध करें और क्या समर्थन करें? कुछ शब्दों को सिर्फ़ यहां से हटा दिया गया है। इसमें चोरी के स्थान पर विनियोजन कहा गया है। इसका मतलब है कि चोरी को सम्मानजनक शब्द से बदल दीजिए।

इस संबंध में मेरा बड़ा अनुभव है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

श्री लालजी टण्डन: महोदय, लालू जी रेल मंत्री रहे हैं। उन्हें बहुत अनुभव है।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की है।

श्री लालजी टण्डन: आप करें। आपका अधिकार है। ...(व्यवधान) आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो आनन्द नहीं आएगा।...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि अब तक जो कब्ज़े हुए हैं उसमें लालू जी का बहुत अनुभव है और शहर में कब्ज़ों को हटवाने का मुझे बहुत अनुभव है।...(व्यवधान) मैं ख़ुद खड़े होकर कब्ज़ों को हटवाता था। ...(व्यवधान) सड़क चौड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की बाउंड्री तोड़वाने का दम किसी में नहीं था। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: लेकिन, आपको बी.जे.पी. ने वैल्यू नहीं दिया, उसने आपको नहीं पहचाना।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप लोग उन्हें सुनें।

श्री लालजी टण्डन: इसके लिए त्वरित दंड की व्यवस्था चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए तो अच्छा रहेगा।

श्री लालजी टण्डन: मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में यह विचार किया जाए। आज नहीं तो कल एक कम्प्रीहेन्सिव विधेयक लाएं जिसमें ये सारी बातें सम्मिलित हों। इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसे प्रभावशाली बनाने के लिए वे व्यवस्थाएं चाहिएं, वे अधिकार चाहिएं, वह जिम्मेदारी किसकी होगी, वह सुनिश्चित करने की बात है। अभी तक जब आपके पास रिकार्ड ही नहीं है कि कितनी सम्पत्ति आपकी चोरी हो रही है, अभी आपकी सम्पत्ति की परिभाषा नहीं है। मैंने जैसा कहा कि शराब पीकर एक ड्राइवर अपनी गलती के कारण एक्सीडेंट कर देता है तो सैंकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान एक एक्सीडेंट से हो जाता है और कितने लोगों की जानें जाती हैं, उनका कम्पेंसेशन और देना पड़ता है, उससे कितने परिवार बर्बाद होते हैं। क्या वह रेल की सम्पत्ति नहीं है? उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है? आप अगर स्वयं आंकड़े उठाकर देखेंगे कि आज तक जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट तक नहीं आई। मैंने रेलवे बोर्ड से बार-बार स्टेंडिंग कमेटी में यह अपेक्षा की कि वे कम से कम यह पेश तो करें कि एक्सीडेंट जो हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको सजा दी गई, क्या कार्रवाई की गई, लेकिन आज तक वे आंकड़े सामने नहीं आ पाये तो यह सम्पत्ति है या नहीं, इसमें क्या कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि उस सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाना चाहिए और जो उसके लिए

गुनहगार हैं, जिसने मिसकंडक्ट किया कि शराब पीकर उस सम्पत्ति को नष्ट किया, उसको दंडित करने के लिए कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब तक हम यह पूरी परिभाषा नहीं करते। दूसरा यह कि सम्पत्ति, खास तौर से भूमि लावारिश पड़ी रहेगी...(व्यवधान) विधेयक के ऊपर तो कोई समय निर्धारित नहीं होता।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष जी, अभी तो इन्होंने शुरू किया है, अभी तो इन्हें बहुत बोलना है।

श्री लालजी टण्डन: अगर आपकी अनुमति नहीं हो तो मैं आपकी आज्ञा पालन करूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अनुमति तो दी है, लेकिन आपको उस अनुमति के अन्दर ही तो बात करके अपनी बात खत्म करनी है।

श्री लालजी टण्डन : मैंने एक शब्द भी इस विधेयक के बाहर नहीं कहा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो इस विधेयक में जो खामियां हैं या जिस उद्देश्य के लिए यह लाया जा रहा है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है, अगर मैं आपको उससे अवगत नहीं कराता हूं तो मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। यह मेरा धर्म है कि मैं आपको बताऊं कि इससे जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है और मैं समझता हूं कि आपकी इंटेंशन भी है कि यह लूट रुके तो आप स्वयं इसको पढ़कर देखें कि इसमें कहीं कोई ऐसी शक्ति प्रदान होती है, क्या ऐसी सारी सम्पत्तियों को बचाने के लिए कोई जिम्मेदार एथॉरिटी हो, उनको हटाने के लिए पर्याप्त अधिकार हों, केवल यह सुरक्षा बलों को, क्योंकि मेरा तो मानना यह है कि जो सिविल पुलिस में नाकारा अधिकारी होते हैं, उनको रेलवे में भेज देते हैं या जब सरकारें बदलती हैं तो वे कुछ से खुश होते हैं, कुछ से नाखुश होते हैं। जिनसे नाखुश हुए, उनको वहां भेज दिया।

जैसा मैंने कहा कि शहर में जिन्होंने सम्पत्ति के ऊपर कब्जा कराया, कल वही आपके वहां रेलवे में आ गये। कल उन्हें यह अधिकार मिल गया कि उन्हें हटाओ तो कैसे हटाएंगे। अगर आप इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं इसीलिए इस शब्द को हटाकर इस शब्द को जोड़ दिया जाये, मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो कुल मिलाकर इस विधेयक को लाने का आपका जो उद्देश्य है और जो उसमें व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको पूरा करने के लिए मेरी राय में जो बात है, वह मैं सुझाव आपको दे रहा हूं।

क्या जो हम निर्माण करा रहे हैं, जो 20-20 साल में पूरे नहीं होते। उसके ऊपर जो इतना बड़ा नुकसान होता है, वह आपकी सम्पत्ति है या नहीं, जिसका निर्माण आप करा रहे हैं?

15.00 hrs

उसमें जो हमारा रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, जो हमारी कैपिटल खर्च हो रही है, जो दूसरी योजनाओं को प्रभावित कर रही है, क्या उसकी मानीटरिंग की कोई व्यवस्था इसमें है? मैं इस विधेयक की बात कुछ भी

नहीं कह रहा हूं, मैं केवल आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने कोशिश की, क्योंकि यह संपत्ति बचाने का विषय बहुत दिन से चर्चा में था। आपने एक पहल की है, लेकिन इस पहल से जो वास्तविकता है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रभावशाली कानून बने, इस तरह का एक कानून आप सामने लायें, जिसमें सारी चीजों का समावेश हो, सम्पत्ति की परिभाषा हो, उसका जो कस्टोडियन हो, उसकी जिम्मेदारी हो। अगर किसी ने उस कानून का उल्लंघन किया तो उसकी सजा क्या होगी? ये सारी चीजें उसमें हों और कैसे हम तत्काल उसे रिकवर कर सकते हैं, उसकी उसमें व्यवस्था हो। अगर इन्हें शामिल करेंगे तो इसका लाभ होगा और राष्ट्र की सम्पत्ति बच पायेगी वरना इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका मैं विरोध करूं और न ही इसमें कोई ऐसी चीज है, जिसकी मैं प्रशंसा करूं कि यह बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसा है, लेकिन जो मेरे सुझाव हैं, आप इन पर विचार करेंगे और कोई सक्षम व्यवस्था बनाने की कोशिश करें,।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, आपने मुझे दी रेलवे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पजेशन) अमेंडमेंट बिल, 2011 पर बोलने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह जो पुराना अनलॉफुल पजेशन एक्ट 1966 का है, उसमें इसके द्वारा कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। अब मैं बहुत संक्षेप में आपको अपनी बात बताना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वे सुन रहे हैं। आप इसका पैराग्राफ दो पढ़ें, इसमें लिखा है,

> "for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely;_
>
> Penalty for theft, dishonest misappropriation or unlawful possession of railway property;
>
> For the words "Whoever is found, or is proved", the words "Whoever commits theft, or dishonestly misappropriates or is found, or is proved" shall be substituted;"

इसमें बड़ा कैच है? इसमें जो वर्ड फाउंड है, इसका दुरूपयोग होगा। इन्होंने कहा, थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन ताजिराते हिंद इंडियन पीनल कोर्ट में डिफाइन है, थेफ्ट वही मानी जाती है, जिसकी रिकवरी हो और मिसएप्रोप्रिएशन उसका गलत उपयोग हो रहा है। लेकिन इसमें जो वर्ड पहले फाउंड था, अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को फाउंड वाली पॉवर मिल जाएगी, तो किसी भी इन्नोसेंट यात्री को ये फाउंड मान लेंगे। इससे फिर आरपीएफ, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और जो जीआरपी है, जो स्टेट पुलिस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एक प्राब्लम आ जाएगी कि रेलवे प्रोटेक्शन फिर बॉयस में ये अपने को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह रेलवे की फोर्स है। जब रेलवे की फोर्स रहेगी, तो सिटीजन की इंडीपेंडेंस में एक प्रश्नचिन्ह लगेगा। जो इंडीपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जीआरपीएफ करती थी, अगर कोई ट्रेन कोलकाता से चली, तो बिहार की पुलिस में जीआरपी बिहार तक आ रही है, फिर उसके बाद जब इधर मुगलसराय के बाद आती है, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आती है, फिर गाजियाबाद के बाद आती है, तो दिल्ली पुलिस आ जाती है। एक चेक एंड बैलेंस है। हमारा सिर्फ यह कहना है, मंत्री जी इसे ध्यान से सुन लें, मैं इसका एक रिटेन नोट भी दूंगा। हमारा मेन आब्जेक्शन है कि whoever is found, or is proved" प्रूव्ड में तो ठीक है प्रोसिडिंग होगी लेकिन अगर फाउण्ड है तो आरपीएफ के जो दरोगा जी हैं फिर डेमीगॉड हो जाएंगे। वे इमरजेंसी लगा देंगे। किसी को हड़का देंगे कि हम फाउंड हैं। आप यह वर्ड फाउंड क्यों बारबार कह रहे हैं? आप इसको पेनाल्टी ऑफ थेफ्ट कह दें इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन में कोई आपत्ति नहीं है। अनलॉफुल पजेशन में कोई आपत्ति

नहीं है लेकिन फाउंड में एक प्राब्लम है। इंटेन्शन इससे गड़बड़ हो रही है। इन्होंने नेकस्ट पेज में लिखा है "For the purpose of theft and dishonest misappropriation, the meaning under Sections 378 and 403 of IPC shall be adopted." थेफ्ट का मतलब 378 है और मिसएप्रोप्रिएशन का मतलब 403 है तो जो आईपीसी दो सौ साल से चल रहा है, नो प्राब्लम लेकिन इसमें जो वर्ड फाउंड ला रहे हैं, इंडिपेन्डेन्स ऑफ ए सिटीजनशिप देंगे...(व्यवधान) अगर फाउंड को इससे डिलीट कर दिया जाए तो मोर और लेस कोई दिक्क्त नहीं है। दूसरी चीज यह है कि आप के स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट से यह पता चलता है कि इनकी इंटेन्शन क्या है? इसकी इंटेन्शन इन्होंने कहा है कि "We want requisite power of investigation and prosecution for offences." इंवेस्टिगेशन का पावर अगर ये लेना चाहते हैं तो इंवेस्टीगेशन में सीआरपीसी का जो चेक एण्ड बैलेंस है वह इनकी तरफ डेल्ट हो रहा है।

वर्ष 1890 में ब्रिटिश रेल में चेंकिंग हुई तो दो-तीन आदमी बिना टिकट के पकड़े गए। थ्री हाउस ऑफ लाड्र्स में रिपोर्टेड केस है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने आधा-आधा पाउंड जुर्माना कर दिया। लार्ड ऐनिंग ने इसके इस आधार पर सेट-ए-साइड किया कि जो मजिस्ट्रेट साहब थे वह ब्रिटिश रेलवे में आधा-आधा पाउंड के शेयर होल्डर थे। वहां के सुप्रीम कोर्ट हाउस ऑफ लाडर्स ने कहा कि फाइन तो सही किया क्योंकि इन्होंने मंजूर किया लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनका ब्रिटिश रेलवे से ताल्लूक था। यह इंडिपेंडेंस होना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि With all respect at my command to the Chair and with good intention of the hon. Railway Minister कि जो फाउंड वड्र्स आ रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ दरोगा जी होंगे। वह दरोगा जी जीआरपीएफ के नहीं बल्कि आरपीएफ के दरोगा जी होंगे। उससे बड़ी मुसीबत हो रही है।

मैं आज यह बता दूं कि महोआ रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ता हूं। वहां आरपीएफ के भी दरोगा जी हैं। सौ गज या दो सौ गज अगर कोई भी थ्री व्हीलर चला जाए वह उसे पकड़ लेते हैं उससे पैसा वसूल कर रहे हैं। अभी हमने बड़ी इंक्वायरी की। वह कहते हैं कि हम कोई न कोई सामान रिकवरी दिखा देंगे। रेलवे का कोई फॉल्ट दिखा देंगे। वह दनादन कर रहे हैं। इसमें चेक ऐण्ड बैलेंस लूज हो रहा है।

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर इसके इन्वेस्टिगेशन का पावर आप ले रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन का उतना पावर रहे कि आप की विश्वसनियता पर प्रश्न चिन्ह न लगे। आप इसको रखिए कि कोई अगर थेफ्ट करे, थेफ्ट का मतलब आईपीसी में डिफाइन है, मिसएप्रोप्रिएशन भी आईपीसी में डिफाइन

है लेकिन आप जो फाउंड वर्ड्स् ला रहे हैं तो फिर यही फाउंड है। मान्यवर, इस पर गौर करें और फाउंड को हटा दें। ...(व्यवधान) इसको डिलीट कर दीजिए जैसे पहला था उसमें आप देखिए अगर कोई थेफ्ट या मिसएप्रोप्रिएशन करे अनलॉफुल पजेशन है। अनलॉफुल होना चाहिए। मानलीजिए रेलवे का किसी ने झोला पकड़ा दिया तो आईपीसी में केसेज है कि वह अनलॉफुल होना चाहिए। Innocence will be proved. यह छोटा-सा ऐक्ट है इसमें मैं दो अमेन्डमेंट चाह रहा हूं। फाउंड को जो ला रहे हैं उससे जरा इन्वेस्टिगेशन के फेयरनेस पर प्रश्नचिन्ह लगता है इस पर जरा गौर करें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसलिए आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं ह्दय की गहराई से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमने अपने देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है। यह प्रणाली संसद की सर्वोच्च सत्ता और जनता द्वारा संसद सदस्यों को दिए गए जनादेश के आधार पर शासन चलाने पर बल देती है। इस व्यवस्था में संसद सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय है और यह जन आकांक्षाओं का प्रतीक है।

कई माननीय सदस्यों ने रेलवे की सम्पत्ति, उस पर किए गए कब्जे और उसकी मुक्ति के संदर्भ में बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देशभर में पहली भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसकी संरक्षा तथा सम्पत्ति की रक्षा करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन देखा जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर दो लाख से अधिक लोगों का कब्जा है। रेलवे ने इस हेतु खरबों रुपये की जमीन को यूं ही छोड़ दिया है जिसके लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। जमीन को इन अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए रेलवे ने कोई गंभीर उपाय नहीं किए। इसीलिए दिनों-दिन रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। संसद की लोक सेवा समिति ने इस बाबत चिन्ता जताते हुए अतिक्रमण शीघ्र हटाने और नए अवैध कब्जों को रोकने के लिए रेलवे से व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा है। रेलवे के पास कुल 10 लाख 68 हजार एकड़ भूमि है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी एक लाख 13 हजार एकड़ जमीन अभी भी खाली है जिस पर अतिक्रमणकारी अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए वर्ष 2000 में जोनल और मंडल स्तर पर पृथक भूमि प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस निर्णय के बाद भी विभिन्न जोनल मंडलीय मुख्यालयों में अभी भी इस प्रकार के प्रकोष्ठ नहीं बने हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर रेलवे की जमीन को मुक्त कराना चाहते हैं, उसका उपयोग चाहते हैं तो उस जमीन पर केन्द्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रेलवे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी खाली जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने स्तर से प्रत्येक जोन तथा मंडलीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय तथा केन्द्रीय प्रस्तावित मॉडल डिग्री कॉलेज एवं अन्य तकनीकी संस्थान बना सके। रेलवे से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों तथा उस राज्य की ग्रामीण जनतो के लिए बेहतर शिक्षण संस्थानों की कमी भी पूरी की जा सके।

महोदय, बड़े पैमाने पर वित्तीय जरूरतों को देखते हुए सरकार सार्वजनिक जन-भागीदारी, मॉडल विकल्प अपना सकती है। दोनों मंत्रालयों का उच्चाधिकार प्राप्त दल अध्ययन कर, समुचित रिपोर्ट तैयार कर चिन्हित स्थलों पर कॉलेज एवं विद्यालय का निर्माण प्रारंभ करे। इससे अवैध कब्जे की समस्या भी हल हो जाएगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जमुई जिले के अंतर्गत झाझा, गिद्धौर दादपुर, सिमरतुल्ला में पर्याप्त जमीन है जिसका अतिक्रमण जारी है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जमीन का सर्वे कराएं। वहां के लोगों की जो मांग है, जो समस्या है, उनको देखते हुए उस स्थान पर रेलवे की जो जमीन है, उस पर विद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाए। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में खाली पड़ी जमीन पर रेलवे की तरफ से केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कराया जाए। भागलपुर और बांका जिलों में सबसे अधिक जमीन जगदीशपुर में है, बांका जिले के टेकानी और धवनी में है। चूंकि मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं मांग करता हूं कि उस जमीन पर रेलवे की तरफ से केन्द्रीय विद्यालय अथवा अस्पताल की स्थापना की जाए, इससे जहां जमीन का सदुपयोग होगा, वहीं उसे अवैध कब्जे से बचाया जा सकेगा। जमुई लोक सभा क्षेत्र में शेखपुरा एवं क्यूल के बीच में काफी जमीन है, क्यों नहीं वहां दोहरीकरण का कार्य किया जाए और साथ ही साथ विद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाए। मैं इन्हीं मांगों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी मांगें हैं, जो क्षेत्र की जनता की मांगें हैं, उन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू।

उपाध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, संक्षेप में अपनी बात कहिए।

माननीय सदस्य संक्षेप में बोलिए।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, टंडन का ध्यान रखते हुए, मैं उनसे कम समय ही लूंगा। ...(व्यवधान)

मंत्री जी ने, जो लोग गलत तरीके से रेलवे की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, उसके बारे में पुराने कानून में संशोधन बिल लाए हैं, बहुत माइनर संशोधन लाए हैं। आरपीएफ को खुश करने के लिए लाए हैं। जब हम रेल मंत्री थे, तो आरपीएफ वाले यही चाहते थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल का समर्थन कर रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद: पहले मेरी बात सुनना चाहिए। बाद में मैं हां या ना बोलूंगा। पहले बोल दिया, तो इनका ध्यान दूसरी ओर चला जाएगा।

रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स चाहता था कि जीआरपी, जो सब जगह राज्य पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और हम जो जीआरपी फोर्स लेते हैं, रेलवे उसके लिए पेमेंट करती है, खर्चा पेमेंट करती है। राज्य पुलिस को पता है, सब तरह के आदमियों की पहचान है और जहां चोरी-बेइमानी होती है, वह उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है। आरपीएफ का यही इश्यू था कि इनवेस्टीगेशन की पावर हम लोगों के पास नहीं है। आरपीएफ का गठन इसलिए हुआ कि इतना पड़ा हमारा रेल लाइन नेटवर्क है, पैसेंजर की सुरक्षा, नक्सलपंथ के खतरे से बचाना, कब कहां कोई नट खोल दे, रेल लाइन खोल देगा, तो रेलवे का एस्कोर्ट करके पैसेंजर को सुरक्षित पहुंचाना, सुरक्षित तरीके से रेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। जहां तक हमें जानकारी और अनुभव है, यही सब आरपीएफ की ड्यूटी थी। दूसरा इस्तेमाल हम करते हैं कि रेलवे में जो रिसीट आता है, जो पैसा आता है, उसको प्रॉपर तरीके से एस्कोर्ट करके बैंकों तक पहुंचाना। इसमें कई बार हादसे भी हुए हैं, आरपीएफ के लोगों की हत्या भी हो गयी लूट के लिए। सेना के बाद प्रॉपर्टी के मामले में दूसरा स्थान भारतीय रेल का है, जो राष्ट्र की संपत्ति है। इस संपत्ति का रख-रखाव, देखभाल करना, ठीक कहा टंडन जी ने एवं अन्य साथियों ने कि इसका पहले कम से कम सर्वे करा लेना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी कहां-कहां है और किन महानुभावों ने उस पर कब्जा किया है। कब्जा जमाए हुए हैं दिल्ली में। जहां तक हमको याद है, कोई पांच सितारा होटल है, जब आप रेल भवन में जाएंगे, तो आपके अधिकारी आपको उसके बारे में बता देंगे, उस होटल के पीछे हजारों एकड़ रेलवे की जमीन है, पूरा जंगल है और उसमें हवाखोरी के लिए रेलवे ने उसे उस होटल को दे दिया था। अभी तक उसे हटाया कि नहीं हटाया और उनसे बदले में हम कोई रिसीट नहीं लेते हैं। उसकी कोई रिसीट हम नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता है। अभी चोरी की बात हो रही थी कि उसे कैसे रोका जाए। आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई होती है। अभी हमारे विद्वान साथी वकील साहब भी चोरी के मामले की बात कर रहे थे। थैफ्ट की यानि क्राइम करने वाले लोगों की तीन-चार लेयर हैं। एक चोर होता है, दूसरा डाकू होता है, तीसरा

षड्यंत्रकर्ता होता है, आज के ज़माने में माफिया कहते हैं। जो माफिया पहले लोहे-लकड़ी का काम करता था, आज उसका दायरा बढ़ गया है। रेलवे के जितने भी याड्र्स हैं, चाहे गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो या चेन्नई हो, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हत्याएं वहीं हुई हैं। याड्र्स में से माल को लूटा गया। रेलवे की जो पटरियां घिस जाती हैं, उन्हें उखाड़कर याड्र्स में रखा जाता है। इन्हीं को लूटने के लिए खून-खराबा होता है और एके-47 तक चलती हैं।

हम रेल प्रापर्टी की चोरी को रोकना चाहते थे, तो हमने सख्त हिदायत दी थी कि जितनी भी ये पटरियां बदली जाती हैं, सबको एक जगह स्टोर किया जाए और बाद में नाप-तौल कर बेचा जाए। इस कार्यवाही से माफिया पर अंकुश लगा और गोरखपुर, इलाहाबाद आदि से उसका खात्मा हुआ। हमने तो यहां तक कहा था कि हम इस पुराने लोहे को गलाकर नया लोहा बनाने का, चक्का बनाने का काम करेंगे, लेकिन हमें इस काम के लिए रोक दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारी व्हील फैक्टरी जयपुर में तैयार हो गई है इसलिए उन पुरानी पटरियों को वहां भेजकर उनसे चक्के बनाए जा सकते हैं और उस लोहे को चोरी होने से बचाया जा सकता है। मेरी इस बात से टंडन साहब भी सहमत होंगे। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि इनके राज में क्या-क्या बातें हुईं, क्योंकि नाम लेने से विवाद खड़ा हो जाएगा।

रेलवे में चोरी को कैसे रोका जाए, कहां-कहां चोरी हो रही है, आप लोग उसके लिए कानून बना रहे हैं। हम लोगों ने इसे ध्यान में रखते हुए फैसला किया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर लुधियाना से हावड़ा तक बनाया जाए। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब कोई मालगाड़ी काजू, किशमिश, गेहूं, चावल, लोहा, सीमेंट कोयला आदि लेकर चलती है, जो मिलेनियम ट्रेन चलती है नार्थ-ईस्ट तक जाती है, जो अभी एक्जीस्सिटिंग लाइन है, उस पर भारी कंजेशन होता है। अगर हम सवारी गाड़ियों को, राजधानी ट्रेन को नहीं निकालेंगे तो पथराव होता है, ड्राइवर्स को और रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इन्हें पास करो। इस कारण जो गुड्स ट्रेंस होती हैं, वह निर्धारित जगह पर सही समय से नहीं पहुंच पातीं, उनके लिए हर स्टेशन पर लूप लाइन होती है और उन्हें वहां पेंडिंग रखना पड़ता है, क्योंकि सवारी गाड़ियों को जो पास कराना होता है। जब ये गुड्स ट्रेन वहां खड़ी होती हैं तो उनके वैगंस की सील तोड़कर काजू, किशमिश, गेहूं, चावल आदि की लूट होती है। यह लूट अकेले नहीं होती, काफी लोग इस काम में लगे होते हैं। कई बार मालगाड़ियों के खड़ा रहने पर उनमें रखा माल खराब भी हो जाता था और रेलवे को डैमरेज देना पड़ता था। व्यापारी कहता था कि हमारा माल खराब हो गया, हमें मुआवजा दो। इस कारण रेलवे को काफी राजस्व की हानि होती थी और वह हांफ जाती थी। हमने अपने समय में

यह कहा कि जैसे ही माल गोदाम में पहुंचे व्यापारी को तुरंत अपना माल छुड़ाना चाहिए, नहीं तो बाद में हम सारा माल जब्त कर लेंगे।

चोरी की बात होती है, वकील साहब अभी बता रहे थे कि कैसे पता लगाया जाए, फाउंड की बात कर रहे थे कि जब कोई पकड़ा जाएगा तो सज़ा का प्रावधान होगा। माननीय मंत्री जी हम यह नहीं कहते हैं कि यह अंतिम संशोधन है, हम कानून बनाना चाहते हैं, आज आप लाए हैं, ठीक है, आप इसे पास कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह अंतिम नहीं है। आगे जब आप आइये, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, सभी माननीय नेताओं को जिन्हें जानकारी है, उनसे विचार-विमर्श करके, अपने यहां सलाह लेकर और हर आदमी से जानकारी लेकर इन चीजों को करें।

स्टीम इंजन ब्रितानी जमाने से है। इंजन में पानी लोड करने के लिए बड़ी-बड़ी जगहों पर टैंक, तालाब हैं जिनमें गंदा पानी भरा रहता है। उसी में आप फिशिंग के लिए मछुआरों को जगह देते हैं। इन चीजों का आप सर्वेक्षण करा लीजिए।

आप देखेंगे कि कैसे लूट हुआ है। आप चोरी कहते हैं मैं इसे लूट कहता हूं। जहां-जहां आपके यार्ड हैं, वहीं-वहीं प्राइवेट लोगों के लोहे के कारखाने हैं। जहां माल है, उसी की साइड में बड़े-बड़े लोगों की लोहा गलाने की फैक्ट्रियां हैं। अफसरों की मिलीभगत से आपका लोहा प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रहा है। वे उसे वहीं गला रहे हैं और मार्किट में बेच रहे हैं। ये जो रेलवे के अंदर घुसे हुए माफिया लोग हैं, जो डकैती कर रहे हैं, इनके लिए सख्त कानून और आईपीसी में प्रावधान है। आप इन प्रावधानों का उपयोग कीजिए।

चाहे कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश हो, यार्ड के बगल में प्राइवेट आदमी का कारखाना है। माल रातोंरात गल जाता है। गीते साहब के राज में तो हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब सब हो रहा है। गुड्स ट्रेन है, कोयला आता है धनबाद से और कोयला ओवर-लोड रहता है। गाड़ी को बीच जंगल में रुकवा लेते हैं और माल को नीचे गिरवा देते हैं और फिर माफिया लोग ट्रकों को लगाकर माल को ले जाते हैं। धनबाद से लेकर भोजपुर के जंगल के इलाकों में एक-तिहाई माल खाली हो जाता है।

डीजल का दाम बढ़ रहा है और क्या आपने पता लगाया कि डीजल और तेल की चोरी रेलवे में कैसे हो रही है? उनके लिए आप क्या सख्त प्रावधान करने जा रहे हैं। डीजल में काफी हेराफेरी होती है और वही ऑफिसर दिखा देते हैं कि इतना डीजल दे दिया। ऐसे अफसरों की वहीं पोस्टिंग रहती है। उन्हें वहां से हटाइये। खाली चोर-चोर या whoever is found कहने से कुछ नहीं होगा। टीटी पांच आदमियों

को नगद-नारायण के लिए पकड़ेगा और यार्ड में खड़ा कर देगा कि तुम्हारे ऊपर चोरी का केस है, उनकी तो जान निकल जाएगी।

कोलकाता जंक्शन के अगल-बगल में ऐसे लोहा गलाने वाले कारखाने और लोगों की भरमार है। आप पहले कोलकाता से शुरु कीजिए और फिर बिहार आइये, उसके बाद उत्तर प्रदेश आइये। जहां भी ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। यह हमारे देश के लोगों की सम्पत्ति है।

जहां तक आदिवासी इलाकों की बात है तो चोरी करवाता है कोई और आदिवासी लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं जेल में। आप उस राज्य से आते हैं, क्या आपने उन चीजों को जानने की कोशिश की है। जानने के बाद भी आपकी बातें नहीं चल पाती हैं। छोटा-नागपुर की जेल में जितने भी लोग हैं उनमें से 99 प्रतिशत आदिवासियों को, गरीबों को बंद करके रखा है। चोरी, डकैती करे कोई और जेल में पिछड़ी जाति के लोगों को, आदिवासी लोगों को बंद कर देते हैं। उनके लिए न कोई वकील होता है और न ही कोई गवाह होता है। उन्हें रेलवे में चोरी के आरोप में बंद करके रख लेते हैं। मैं रेलवे मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि टेंडर होता है कि पाकुड का स्टोन लगेगा। रेलवे लाइन के अंदर जो पत्थर लगता है, जिसे बगास बोलते हैं। हमारे यहां पाकुड पहाड़ है, वह अच्छा स्टोन होता है। लेकिन आप रेल लाइनों में जा कर देखिए कि क्या लगाया है। बगास की सप्लाई ले रहे हैं और रेलवे की स्थिति अच्छी नहीं है, हमने पूछा कि पहले जो बगास डाला, वह कहां गया। मुझे उत्तर दिया कि प्रेशर से वह पत्थर आटे की तरह पिस कर चूरा हो गया। चतुराई से, बुद्धि से आदमी ऐसा करता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो काबिल आदमी रहेगा, वह अनपढ़ आदमी का शोषण करेगा। अगर आप ध्यान देंगे, तभी आपका पैसा बचेगा, आपकी आमदनी होगी।

हमारे यहां गंगा पर पुल है। कितना शोर मचा रहे थे कि वर्ष 2012 में चालू कर देंगे। आपने अभी कह दिया है कि तीन साल का समय और लगेगा। अब लोहे का दाम बढ़ जाएगा, सीमेंट का दाम बढ़ जाएगा और दूसरी चीजों का दाम भी बढ़ जाएगा और इससे लागत भी बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह पुल कब बन कर तैयार होगा? बिहार के सांसद बोल रहे थे कि 60 हजार करोड़ रुपए का तीन-चार कारखाने का बिहार में प्रोजेक्ट है। पहिए वाला कारखाना तैयार है, लेकिन कहीं भी कारखाना टेक ओवर नहीं हुआ है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे और पैसा बचाएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। डेडिकेटिड फ्रंट कोरिडोर अगर बन जाएगा, तो माल गाड़ी बीच में क्यों रोकी जाएगी। जब माल गाड़ी बीच में रुक रही है, तो उसमें से सामान गायब किया जाता है। आरपीएफ को आपने जो अधिकार दिए हैं, मैं तो उसका विरोध ही करता हूं। हम नहीं चाहते कि लोग नाराज हों कि पहले वाले रेल मंत्री ने विरोध किया। आरपीएफ अगर कहीं जाता है, तो ग्रुप में जाता है। आप उन्हें थाने में कैसे बिठाएंगे। अगर वे जाते हैं तो उनकी पूरी कम्पनी साथ जाती है। आरपीएफ और जीआरपी का जो झगड़ा है, आप डिफाइन कीजिए कि इन्वेस्टीगेशन का

काम जीआरपी ही करेगी या आरपीएफ ही करेगा। आप इसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आप कानून लाए हैं, इसलिए अमेंडमेंट देने की स्टेज नहीं है, लेकिन आगे आप इन चीजों को कम्प्रीहेंसिव तरीके से कि कैसे हम अपनी सम्पत्ति को बचाएं, कितने होटल, कितने मोटल रेलवे लाइन के किनारे, क्योंकि हमारी जमीन मामूली नहीं है, चाहे दिल्ली हो या मुम्बई हो। इन जमीनों का सर्वेक्षण कराइए, क्योंकि पूरे देश में सम्पत्ति है। आप सारी चीजों को ध्यान में रखकर कानून बनाइए और सभी लोगों से राय लीजिए।

अंत में, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और भाषण के बीच में निर्देश दिए, उसके भी आपको धन्यवाद देता हूं। ।

SHRI K. SHIVKUMAR ALIAS J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2008 was introduced in the Rajya Sabha on 18.12.2008 and was pending for a long time due to various reasons.

This Amendment Bill is the need of the hour. Because of the lack of effective laws, the Railway Administration was unable to take severe action against the culprits. As per Section 3, the penalty is only for unlawful possession of railway property. Here the words 'unlawful possession' are mentioned. It gives chance for many to escape. They cannot be punished. So, it would be more appropriate to substitute them with the words "whoever commits theft, or dishonestly misappropriates or is found, or is proved". Hence, I welcome the amendment of Section 3.

In Section 4, punishment for 'connivance' is mentioned. Two or more persons who agreed to commit a crime, and a person who plans or encourage others, can escape from the punishment. Now the words 'abetment' and 'conspiracy' are added, which make it more explicit and clear. They cannot escape from the punishment. So, I welcome this amendment. Though Section 3 and Section 4 need to be amended, amendment of Section 8 plays an important role.

15.37 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

In Section of 8 of the principal Act, the words 'when any person is arrested' are mentioned. It starts with the arrest of the person. As such, there is no procedure laid down as to how an offence will be registered and enquired into. If the words "when an officer of the Force receives information about the commission of an offence punishable under this Act or when any person is arrested" are substituted, it gives more power to the Inquiry Officer to proceed further into cases of thefts of railway property on receipt of information about the commission of an offence.

While welcoming this amendment, I would like to bring the following facts to the knowledge of the Government. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence in the House. He cannot be heard at all.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH: While amending this Act, the Government should also keep in mind some exceptions. For example, in my constituency, a place called Mandapam is busy seashore for fishermen. They are all coming under the "Below Poverty Line" category. There is no private vacant land available between the railway track and the seashore. In these circumstances, they are using the vacant land of the Railways to dry their nets, repair their boats and stock the fish which are in the seashore. They have no other land and no other option to meet out their needs. At present, the fishermen erect leaf shelters in that area and very often these leaf shelters catch fire easily. The fire consumes their entire huts, causes injuries to them and also causes damage to their belongings. To avoid such fire accidents, I urge upon the Government to permit them, as a special case, to set up the fire-proof huts there and the Government can collect the nominal rent from them. It would be more helpful for their livelihood.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 is related to the unlawful possession of railway property. This amendment Bill seeks to empower the Railway Protection Force with the power of not only investigation but prosecution also in case of such offences.

It is understandable if power is given for investigation. It is right and it can be accepted. But if power is given for prosecution to the RPF, then it is highly objectionable. So, I think that the Minister will think over it, and remove this power of prosecution in the Amendment itself.

The Standing Committee is of the opinion that the powers proposed in the Bill are not sufficient to curb offences against Railway property as the law and order is a State subject. Hence, it is suggested that there should be some statutory mechanism to improve coordination among the State Police, Government Railway Police (GRP) and the Railway Protection Force (RPF). I think that such a mechanism should be set up so that it can be addressed properly.

Another point with regard to Railway property is that the Railway land is not coming in its purview. As we are going to define the Railway property, it should be in unambiguous terms. Otherwise, it is ambiguous. I know that there is a separate Act, namely, the Eviction from Public Premises Act, 1971, but still I would mention that when we are going to define Railway property, then land should be included in it.

The Railways has its separate Act for land acquisition. In some areas, particularly, in my State of West Bengal, the State Government is willing to go in for land acquisition for the Railways for construction of new Railway line. My point is that in case of land acquisition, there is a provision in the Railway Act itself of giving 60 per cent solatium to the land losers, but in the State legislation there is a provision of giving only 30 per cent solatium to the land losers. When the State Government will go in for land acquisition, then the farmers / land losers will get only 30 per cent solatium. What is the attitude and opinion of the Ministry

of Railways in this regard? Will they offer 60 per cent solatium in case of acquisition for the Railway line?

My last point is regarding unoccupied or unauthorised possession of land. This issue cannot be solved with one stroke, namely, eviction. Thousands and thousands of families are staying on the Railway land for years and decades together. You cannot evict them in one stroke. A proposal was envisaged by the Railways of having the Sukhi Griha Parivar Project in which the families who are staying on the Railway land for years together will not be evicted and they will be given land for construction of their homes. I believe that the Government should think over this issue so that thousands and thousands of poor people -- who are living on the Railway land for decades together -- are not evicted with one stroke. This programme should be announced for their benefit.

I would like to draw the attention of the Railway Minister, through you, that he himself was there when the former Railway Minister announced -- at a public programme in Kharagpur -- that nobody will be evicted. He said, “Right now, I am offering Rs. 5 crore for the local self-Government for the construction of dwelling units for the households living on the side of the railway line.” However, nothing has been done so far. It should be implemented as soon as possible.

With these words, I once again raise serious objection in case of prosecution. I think that part should be removed from this Amendment Bill.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Now, the Bill seeks to empower the Railway Protection Force with investigation and prosecution powers. My first objection is about the clause of "penalty for dishonest misappropriation", which the Bill talks about. Does it mean that there is something like 'honest misappropriation'? He admits that honesty is needed, but what is 'dishonest misappropriation'? With the usage of this word, there may be misuse of explanation of law leading to supporting corruption. Therefore, this should be deleted immediately.

My second objection is to giving prosecution power to the RPF. Why should this power be given to the RPF? All RPF personnel are not bad, but in many cases, as you know, some RPF personnel themselves are in connivance in committing these kinds of thefts. RPF which stands for Railway Protection Force is mockingly referred to as the 'Railway Pilferage Force'. What will happen as a result of it? Do you not think that by giving them power of prosecution they might be clashing with the GRP, which is under the State Police? It might hurt the very fabric of democracy, the Centre-State relations. You should rethink about that.

My third objection is about the definition of 'Railway Property'. It has been defined as 'Goods, money, valuable security, animals belonging to or in charge, or in the possession of railway administration'. The definition does not include the immovable property. There is another law to deal with it. There should be no ambiguity, but that ambiguity is still there in this Amendment Bill or in the original law is something that should be clarified.

The immovable property of railways is in the form of land. They have a huge land property. Railways got almost two-thirds of its land from the State Governments free of cost. On grounds of unlawful possession, there might be a chance and that is happening in many parts including in West Bengal, they are evicting thousands of slum dwellers, who have been living on the side of the

railway line. Now, the question is, whether there is any plan for rehabilitation and giving them a portion of this land. That should be considered.

The next point of objection is about the safety and security of the railway property. The Railway Minister knows that this has been neglected in many cases, and most of the safety measures have not been implemented. Security of passengers, particularly female passengers have been neglected.

What should the Railways do? Anti-theft devices are okay, but what is more important is tackling corruption. I would like to quote the CAG Report of April, 2010 which states that Railways is the corrupt one among Government organizations. I would like to remind you that in 1952, the Railway Inquiry Committee headed by Acharya J.B. Kripalani commented that ‘the Committee feels that if corruption is eliminated from Railway trains, trains will fly on tracks of gold instead of iron.’ You will find that there is corruption in every sphere of Railways, whether it is in the sale of scrap, taking persons without tickets, or engineering constructions.It is a fact that some sections of employees sometimes get involved in this kind of misappropriation or corruption. What is most surprising is that men in high office in the Railways themselves have vested interests either in purchase of sale of railway scrap or other things. How then will the Railways be able to eliminate corruption?

MR. CHAIRMAN: Please wind up before I call the next speaker.

SK. SAIDUL HAQUE: In other words, corruption means loss or theft of railway property. I have some other points on safety and security, but I am not going to elaborate them. Hon’ble Minister must look into them. The safety and security of railway passengers and railway property is being neglected by the Railways.

My last point is that railway property is our property. It is our national property. Law merely is not enough. What we need to do is to generate or create awareness among people and motivating them to protect it. That is the most important thing that we should consider while discussing the Bill and Amendment. So, with these words, I am again requesting the hon. Minister to delete the power

of prosecution and also delete the words "Whoever is found and other words like "dishonestly misappropriates" in the framing of the Bill.

MR. CHAIRMAN: Mr. Joshi. Please be brief, there is no time.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you very much for giving me the opportunity. Sections 3 and 4 and Section 8 are being amended. Basically, this amendment is done with a very limited dimension. This Bill was introduced in Rajya Sabha on 18th December, 2008. After that, the Bill was sent to the Standing Committee. My very simple and straight point is that the very purpose of sending the recommendations of Standing Committee to the Government are to implement the positive points. Whatever the Standing Committee recommends that has to be implemented and that has to be taken.

But unfortunately, this is a very limited Bill. The Committee has recommended that in the Act itself, there is no proper definition for the Railway Property. The Standing Committee said that there is some ambiguity in the definition of the Railway Property in the Act which requires to be rectified. Therefore, I recommend the Government to bring a comprehensive Bill before the Parliament widening the definition of the Railway Property in the Act. What have you done in this regard? This is my first question to you, Sir.

Since you have told me to be very brief, I am skipping many points. I am not going into the details of what the prosecution of sections 3 and 4 and section 8 says. Now, after amending section 8 (a) of prosecution power, if I have understood rightly, if I am wrong I may be corrected, prosecution power is given to the RPF now. My question is to the hon. Minister. You may clarify me during your reply whether you have taken the confidence of the State Government because the Standing Committee also said that the Railway Protection Force is for the security of property of the passengers as well devising better coordination mechanism among the State Police, the Railway Police and the Railway Protection Force. My question is without the coordination of the State Police and GRP, you cannot give proper security to the property and to the passenger also. So, whether you have taken confidence of the State because ultimately, Law and Order is a State subject. The issue of NCTC also came and this kind of same problem was also there without convincing the State Government and without taking into confidence. It

may be having a very limited dimension but ultimately when it comes to the Law and Order problem, the State may object. I am, of course, supporting this but at the same time, in the democratic Government and in the federal structure, we have to take the confidence of the State Government.

Sir, I will just pose two or three questions. You are giving more power to the RPF. Please reply to my question later. How many RPF posts are kept vacant and for how many years? According to me, lakh of posts are kept vacant for the last so many years and without manpower, even if you give them power, how do they guard your property?

The major portion of the Railway goods transport has come down because of the problem of theft. Theft is taking place daily as far as the movement of the goods is concerned. What are you going to do that on that?

When are you going to fill up all these vacancies? And if at all, in the transit if somebody loses his goods in the Railway, to get back his property or to give a complaint also, he has to go from pillar to the post.

My last point is about the vacant land. About lakhs of acres of vacant land is there. It has been given on lease with the connivance of the officers at the local level for some peanut amount. No proper account has been kept so far.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Lal Singh to start. Shri Pralhad Joshi ji, please stop. Nothing more will go on record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Please stick to your time.

* Not recorded

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): I will complete my speech within the time. चेयरमैन साहब, मुझे रेलवे प्रापर्टी (अमेंडमेंट) बिल 2011 पर बोलने का मौका मिला है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, आप जानते हैं कि रेलवे इस देश का सबसे बड़ा विभाग है और जितना बड़ा विभाग होगा, उतना ही बड़ा उसका अमला होगा, उसकी उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी होगी। मेरा कहने का मकसद है कि इस देश में सबसे ज्यादा ज़मीन अगर किसी डिपार्टमैंट के पास है तो वह रेलवे के पास है। सबसे ज्यादा गंदी, डर्टियैस्ट बैड स्मैल, बैड की थर्ड फॉर्म बैडैस्ट स्मैल इनकी प्रापर्टी में आती है। This is very unfortunate. रेलवे में इन्होंने चोरियाँ क्या रोकनी हैं, इन्होंने क्या करना है, इनकी प्रापर्टी के ऊपर कोई ठीक से साँस भी नहीं ले सकता जो इनकी प्रॉपर्टी की हालत है। इन्होंने अपनी जायदाद इस ढंग से गंदी बनाकर रखी है कि इनकी प्रॉपर्टी से पूरा देश गंदा लगता है। मैं कहता हूँ कि इसको देखो, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करो, उसको फैन्स करो, उसको फोरवॉल करो, किसी को चोर क्यों कहते हो? अपनी गठरी सड़क पर रखकर कहते हो कि मेरी गठरी कोई न उठाए? गठरी छोड़कर कहते हो कि चोर मेरी चोरी कर गया? आपका तो सारा सामान नंगा पड़ा है, ओपन पड़ा है, फिज़ूल पड़ा है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है।

जहाँ तक आर.पी.एफ. का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ किमैं मैक्सिमम रेलवे का पैसेन्जर हूँ। मैं जहाज़ में कम जाता हूँ, मेरा रेलवे में जाना बहुत बढ़िया रहता है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इसलिए रेल में जाता हूँ कि रेल में जो लोगों की तकलीफ़ें हों, मुझे जितनी तकलीफें हों, तो मैं उतनी तकलीफ़ें यहाँ कहूँ और लोगों की तकलीफ़ों का निवारण कराऊँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेलवे की क्या हालत है और क्या आदमी पर गुज़रती है। मुझे वहाँ सिक्यूरिटी थ्रैट भी है, इसलिए वहाँ जे एंड के पुलिस से कुछ लोग बैठे होते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जितने फर्स्ट क्लास और जितने डिब्बे हैं, वहाँ जितनी चोरियाँ ट्रेन के अंदर होती हैं, एक दिन मैं थोड़ी देर बाथरूम क्या गया, मेरा मोबाइल ही गायब हो गया। इतनी चोरों की पंड है वहाँ। इतना बुरा हाल है। बाहर भी चोरी और अंदर भी चोरी हो रही है। जहाँ महफिल है, जहाँ दुनिया है, वहाँ आर.पी.एफ. वाले चोरी नहीं संभाल सकते तो ये बाहर संभालेंगे? क्या इनकी इतनी तादाद है, इतने लोग हैं कि ये पूरी रेलवे की प्रॉपर्टी को चोरी से बचा पाएँगे? यह इंसाफ नहीं है, यह इनजस्टिस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर स्टेट में रेलवे एंड क्राइम डिपार्टमैंट बना है। उस डिपार्टमैंट का क्या मतलब रहा जब इन्होंने यह धंधा करना है? इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इनके साथ इंसाफ होगा। मेरी जनाब से विनती है और मैं मंत्री जी को कुछ सजैशन देना चाहता हूँ।

16.00 hrs

मंत्री साहब, सबसे ज्यादा नुकसान आपका लोहे का तो हुआ ही, लेकिन उस ज़माने में जो इमारती लकड़ी लगी, वह बहुत कीमती थी। यदि आप वह लकड़ी पूरी करके दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। जितना लोहा लगा हुआ था, वह सारा चोरी हो चुका है। वहां जितनी चोरी हुई, इसमें रेलवे की मिलीभगत है। जो अफसर इन चोरियों में इनवाल्व रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिन्होंने सारा सौदा बेचा, उनका आपने क्या किया? आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं दो-तीन सजैशन देना चाहूंगा कि आपने जितनी जमीन किसान से ली और किसान ने खुशी-खुशी जमीन इसलिए दी क्योंकि आपने रेल चलानी है और इलाके को फैसलीटेट करना है। इन्होंने वह जमीन सस्ते भाव में ले ली। लेकिन आज वह जमीन, दस साल, बीस साल, तीस साल और चालीस साल से खाली पड़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसान से जमीन ले ली।

MR. CHAIRMAN: You do not understand.

Hon. Members, after this I have two more Members to speak on this Bill.

चौधरी लाल सिंह: मेरी सजैशन है कि उस जमीन पर हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, होटल और बड़े होस्पीटल बनाए जाएं ताकि उस जमीन का इस्तेमाल हो।

MR. CHAIRMAN: Nothing more will go on record now.

(Interruptions) *...

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदय, चार बजे से गंगा पर चर्चा होनी है।

MR. CHAIRMAN: Okay, you made your point. Please sit down now.

Hon. Members, I have two more Members to speak on this Bill. If the House agrees, the time for the discussion on the Bill may be extended up to passing of the Bill. What is the opinion of the House?

… (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: No. We should take up the discussion on Ganga. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: What is the opinion of the House? Is it discussion under Rule 193 or the Bill?

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Since there is no unanimity, the House has to take up the discussion on Ganga at 4 p.m. … (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH SHARMA (JAHANABAD): Ganga is more important than this Bill. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You have made your point.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. We will start with discussion under Rule 193.

(Interruptions)[*]

---

[*] Not recorded

16.04 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Protection of river Ganga from pollution and Himalayas from ruthless exploitation – Contd.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up discussion under Rule 193. Dr. Ratna De to continue.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, I would not go through the portion which I have already spoken on 14th May.

There cannot be two opinions about making Ganga, which is our lifeline, pollution-free. This is our major river. We cannot destroy it irreparably. We have to protect it and safeguard it for our own benefit. We know that the Ganga Action Plan has been in implementation for long. What is the status of the Ganga Action Plan now? What was its impact? Has it served the purpose for which it was formed? What benefit has been reaped out of it? I would like to know answers from the hon. Minister for these pertinent questions because it is the responsibility of the Government to ensure proper and effective implementation of the Ganga Action Plan. Has the Ganga Action Plan failed to take off? As far as many hon. Members are concerned, Ganga Action Plan is a failed attempt on the part of the Government. Pollution of Ganga is all pervasive in its long stretch encompassing many States of the country.

What is the function of the Ganga River Basin Authority? What efforts have been made by the Ganga River Basin Authority to ensure Ganga River is cleansed and made pollution-free? What punitive action has been initiated by this Authority on industries which blatantly pollute River Ganga over the years by throwing all the laws to the wind? Is there any monitoring mechanism at the Centre, to monitor the function of this Authority?

Hon. President, in her last speech to the Joint Session of the Parliament, has highlighted that Ganga should be made pollution free. What initiatives have been taken by the Ministry on this remark of the hon. President? Is there any effort to

ensure development and beautification on the banks of the River Ganga? The existence of ports also depends on the water level of the River Ganga.

Before I conclude, I would like to make a fervent appeal on a very specific aspect of the Ganga Action Plan. It is about finding funds for taking up this mammoth Ganga Action Plan scheme. There would not be any scarcity of funds, as all the stakeholders should be involved so that there is no shortage or dearth of funds. Our goal should be to ensure that Ganga is saved from destruction and Ganga is free from pollution; and then only we can heave a sigh of relief.

16.07 hrs (Madam Speaker *in the Chair*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय के निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में मुझे भी भागीदार बनने की आज्ञा दी है। मैं सम्पूर्ण सदन की ओर से आपका इसलिए भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि सम्पूर्ण चर्चा में आपने स्वयं रह उपस्थित रह कर इस चर्चा को एक महत्व प्रदान किया है। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति से इस विषय का निश्चित रूप से एक समाधान पूरा देश इस सदन के मार्गदर्शन में निकालेगा।

अध्यक्ष महोदया, अनेक सम्माननीय वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गंगा निस्संदेह हमारी पहचान है। जन्म से मृत्यु तक मां की तरह गंगा हमें पालती है। पूरे देश में ही यह परंपरा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो गंगा के शुद्ध जल से हमारा मुख पवित्र होता है और जब मनुष्य का देहांत होता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। यहां दूर-दूर से, दूसरे देशों से लोग आते हैं कि उनकी जो भस्म है, उसको गंगा की शीतलता प्राप्त हो जाए।

गंगा का अवतरण इसी प्रकार विसर्जित पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। मैं समझता हूं कि गंगा के प्रति लोगों की आस्था गंगा की महत्ता को प्रमाणित करती है। हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा रंगमंच इत्यादि इस देश की कोई भी विधा गंगा के बिना अधूरी है। मैं समझता हूं कि यदि गंगा को माइनस कर दिया जाए तो देश के अन्दर कुछ भी नहीं बचेगा। गंगा वस्तुतः हमारी पहचान है। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जहां-जहां भारत गया है, वहां-वहां गंगा गयी है और जहां-जहां गंगा गयी है, वहां-वहां भारत गया है। इस देश की सीमाओं के बाहर भी जहां कहीं गंगा गयी है, वहां स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति गयी है। जहां भी इस देश के रहने वाले लोग गए हैं, वहां गंगा भी गयी है।

आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि हरिद्वार में दुनिया भर से और देश भर से जितने लोग आते हैं उनके मन में गंगा के दर्शन के लिए, उसके पानी से आचमन करने के लिए, और गंगा में उतरकर अवगाहन करने की श्रद्धा होती है, क्योंकि हरिद्वार को गंगा के अवतरण स्थान के बड़ा निकट माना जाता है। केवल गंगा के अन्दर थोड़ा सा उतर कर आह्वान करने की वह श्रद्धा ऐसी है, जो पूरे देश को एक भी रखती है और इस पूरे देश के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित भी करती है। मुझे पटना में रहने का अवसर मिला। पटना गंगा के किनारे बसा है। रात के 10-11 बजे मैंने घंटों गंगा के किनारे बैठकर बिताये हैं। सवेरे की थकान के बाद जब मैं वहां बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क सब

ताजा हो गये हैं। गंगा की यह एक छाया ऐसी है कि जो मन को भी शीतल करती है, तन को भी शीतल करती है।

इस विषय पर चर्चा हुई है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। सब लोगों ने चिन्ता व्यक्त की कि उसके जन्म-स्थान पर ही उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है। उसके कारण जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा की गई है। मैं उसकी विशेष चर्चा यहां पर दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि सारा सदन उन सब विषयों को जानता है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि गंगा केवल अमृत जल ही नहीं प्रदान करती, अभी हमारे रेवती रमण सिंह जी ने आईने अकबरी का प्रकरण सुनाया कि गंगाजल पानी नहीं है, गंगाजल तो अमृत है तो गंगा का अमृत रूपी जल या जल रूपी अमृत ही वह प्रदान नहीं करती, गंगा हमारी लाखों हैक्टेयर भूमि को बहुत उपजाऊ मिट्टी भी प्रदान करती है। गंगा के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके जन्म-स्थान से लेकर आगे तक, वह उन दोनों सम्भावनाओं को खत्म करता है, दोनों चीजों को नष्ट करता है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि गंगा नहीं बची तो इस देश का जो आर्थिक चित्र है, वह भी बहुत खराब हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार के जो प्रयास हैं, मुझे लगता है कि सरकार के प्रयासों के अन्दर साख की बड़ी भारी कमी है। मैं कुल मिलाकर यू.पी.ए. सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी लम्बी बातें होती हैं, पर क्रियान्वयन बहुत कम होता है। यही स्थिति गंगा के सम्बन्ध में भी है। सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अन्दर हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। उसके लिए राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया। स्वयं उसके वे अध्यक्ष हैं, लेकिन स्थिति यह है, जैसा मैंने कहा, माननीय सदस्यों ने भी उसका उल्लेख किया है कि उसके कार्यालय का कोई ठिकाना नहीं है। जो पर्यावरण मंत्रालय का जोइंट सैक्रेटरी है, उसकी दराज के अन्दर उसका कार्यालय है, यानि प्रधानमंत्री अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद में जो प्राधिकरण बनाया गया हो, उसकी यह स्थिति सिद्ध करती है कि शब्दों के अन्दर तो गंगा की सेवा हमारी सरकार ने की, परन्तु क्रियान्वयन की दृष्टि से उनकी प्राथमिकता की सूची के अन्दर गंगा का स्थान नहीं है। इसका एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि गंगा को लेकर आन्दोलन चल रहा है। सन्यासी या विभिन्न प्रकार के जो आई.आई.टी. के प्रोफेसर हैं, हम सब जानते हैं, अब वे सन्यासी हो गये हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा अनशन किया, आमरण अनशन किया, जल छोड़ा, सब चीजें हुईं। उन विषयों को लेकर सरकार को चिन्ता हुई। सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 23 मार्च को उनका उपवास तोड़ने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमारे दो

माननीय मंत्री गये। हमारे आदरणीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे और हमारे आदरणीय कोयला मंत्री थे, मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था, उन्होंने वहां पर सरकार की ओर से आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के अन्दर जो योजनाएं चल रही हैं, उनको हम बहुत जल्दी, केवल एक पखवाड़े के अन्दर बन्द कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बराबर चिट्ठियां लिखते रहे, रिमाइंडर देते रहे, तब जाकर 15 दिन बीत जाने के बाद केवल एक जो योजना चल रही थी, उसको बन्द किया गया, विष्णुघाट पीपलकोटी अलकनन्दा और उसको भी, क्योंकि, कोई बैठक प्राधिकरण की नहीं हुई, उस पर भी निर्णय नहीं हुआ और उन्होंने भी कहा कि जब कोई निर्णय ही नहीं हुआ तो कैसे परमानेंटली हम इसे बन्द करें, इसलिए वह फिर चल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनशनकारी का अनशन तुड़वाते वक्त भी यह सरकार गंगा के स्वास्थ्य के प्रति, गंगा का जो नुकसान हो रहा है, उसके प्रति गम्भीर नहीं थी। मैंने दो उदाहरण दिये और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। दो उदाहरण मैंने इसलिए दिये हैं कि सरकार से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर हो। सरकार एक प्रकार की हिपोक्रेसी, ढोंग न करे, गंगा की वास्तव में चिन्ता करे तो कुछ न कुछ हल होगा। इस हिपोक्रेसी की वजह से, कुनियोजन की वजह से या गलत नियोजन की वजह से आखिर क्या हो रहा है, हमारे इतने प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, खास तौर से मैं कहूंगा कि गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, हमारे माननीय सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, हजारों करोड़, करोड़ की तो बात ही नहीं है, सैंकड़ों करोड़ की बात नहीं है, हजारों करोड़ रुपये एकदम से पानी में बह जाते हैं। परन्तु उसका परिणाम क्या निकला है, परिणाम यह निकला है कि आज भी कहीं न गंगा स्वच्छ हो पाई है, न यमुना स्वच्छ हो पाई है।

अध्यक्ष जी, पिछले महीने मैं मथुरा गया था। मथुरा में यमुना, जो सहायक नदी है, मैं तो गंगा-यमुना के दोआब के बीच में रहता हूं, वहां का मैं रहने वाला हूं, मुझे गंगा की भी चिन्ता है और यमुना की भी चिन्ता रहती है। मैं वहां गया तो उसके अन्दर आप शरीर का कोई अंग डालने में हिचकेंगे, यह उसके पानी की स्थिति है। जिस स्थान की महत्ता यह कही जाती है कि कंस को मारने के पश्चात् भगवान कृष्ण ने वहां पर विश्राम किया था तो विश्राम घाट वहां पर बना हुआ है। वहां पर पूरे हिन्दुस्तान के लोग आते हैं कि कृष्ण की जन्मस्थली के ऊपर यमुना के दर्शन हम लोग कर लें। लेकिन उस स्थान पर यमुना के जल को छूने की भी स्थिति आम आदमी की नहीं है, वहां इतना गंदा जल है। नगरपालिका के लोगों ने वहां पर टैप लगा रखे हैं, उसमें से जल निकलता है और उसे हाथ में लेकर लोग अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि हमने यमुना के किनारे खड़े होकर जल हाथ में लिया, उसे यमुना जल मानकर वे अपना मन संतुष्ट करते हैं। यह यमुना की स्थिति है और गंगा की स्थिति के बारे में मैं कहूंगा। कानपुर से लेकर पूरा कोलकाता और उससे आगे का सारा एरिया, शुरू तो सीधा ऊपर से हो जाता है, लेकिन इन नगरों से लेकर जो दुर्गति

है, मैं पिछले वर्ष कोलकाता गया था, स्टीमर में बैठकर हम लोग दक्षिणेश्वर जा रहे थे। यह दृश्य सब जगह का है, सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ मीटर के ऊपर सीवर के बड़े-बड़े नाले हैं, जो उसके अंदर आ रहे हैं और गंगा को गंदा कर रहे हैं। जो कहानी पूरे उत्तराखंड से शुरू होकर गंगासागर तक चलती है, यही कहानी सब जगह हमें दिखाई देती है।

महोदया, इस संबंध में मेरा एक निवेदन है, मैं खासतौर से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा को शुद्ध करने का जो कार्यक्रम है, उसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से शत-प्रतिशत केंद्र सरकार अपने ऊपर ले, प्रदेश सरकारों की यह प्राथमिकता नहीं है, स्थानीय निकायों की यह प्राथमिकता नहीं है। स्थानीय निकायों के पास संभवतः उतने संसाधन भी नहीं हैं। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि जहां किसी सीवर का पानी है या किसी कारखाने का पानी है, उसको शुद्ध करके डालने की जिम्मेदारी स्वयं केंद्र सरकार ले, भले ही उसके लिए उन कारखानों से उन निकायों से वह शुल्क वसूले, उनके ऊपर टैक्स लगाये। लेकिन कुल मिलाकर गंगा के अंदर कोई भी प्रदूषित जल न जाए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले, उसकी निगरानी करे। उसके लिए चाहे तो कुछ संशोधन किए जाएं। जैसा यहां कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा कि राष्ट्रीय जल प्राधिकरण बने, नदियों का राष्ट्रीयकरण हो, नदियां राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएं। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग केवल एक गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बनायें, उसके अंदर धन दें और धन इसी प्रकार से बहता चला जाए, किसी की जिम्मेदारी न हो, उससे काम नहीं बनेगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार ले। यह मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से एक आग्रह है।

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तराखंड गरीब राज्य है, उसको संसाधन चाहिए, वह नया राज्य है। उसे लगता है कि गंगा के ऊपर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करके हम अपनी जरूरत भी पूरी करेंगे और उसे बेचकर कुछ पैसा भी कमायेंगे। उसकी यह इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम किसी प्रदेश से कोयला या अन्य खनिज लेते हैं, तो उसे रॉयल्टी देते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में रॉयल्टी दे, जिससे उसकी जरूरत उस पैसे से पूरी हो। उसे बिजली के लिए छोटे-छोटे बांध बनाकर, गंगा की हत्या करके उसे पैसा कमाने की जरूरत न रहे। मुझे विशेष रूप से आग्रह करना है कि गंगा के ऊपर धन कमाने के लिए बांध बनाने की उत्तराखंड सरकार को जरूरत न पड़े। उत्तराखंड सरकार की यथेष्ट सहायता केंद्र सरकार को करनी चाहिए।

महोदया, प्रकृति मां है। हमने कहा है, माता भूमि पुत्रोअहं पृथिव्या, पृथ्वी को जीतना? जीता शत्रु का जाता है, मां को जीता नहीं जाता है। मां के आंचल की छाया में तो सब लोग पलते हैं। गंगा भी मां

है। उसी प्रवृत्ति से विज्ञान को मां गंगा के अनुकूल बनाया जाए, मां गंगा से लड़कर अगर हम कोई चीज पैदा करेंगे, तो वह ठीक नहीं होगा। टेम्स नदी का मैं एक उदाहरण देता हूं। लंदन के अंदर प्रसिद्ध टेम्स नदी है। वर्ड्सवर्थ की बड़ी प्रसिद्ध कवितायें उन्होंने टेम्स पर लिखी हैं, टेम्स नदी प्रदूषित हो गयी थी, उसमें बदबू आने लगी थी। लेकिन इंग्लैंड ने राष्ट्रीय संकल्प किया, उसको शुद्ध करने का प्रयास किया और आज टेम्स नदी के अंदर शुद्ध जल बह रहा है। इसी प्रकार से हम अपनी गंगा नदी की चिंता करें, अपनी मां की चिंता करें। निश्चित रूप से गंगा शुद्ध होगी, गंगा पवित्र होगी, हमें प्राण मिलेगा और हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे कि अपनी प्राणदायिनी के प्राणों की रक्षा का सवाल जब आया तो उसके बेटे आगे बढ़कर आगे आए। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : काफी सदस्य हैं, जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। जो सदस्य अपने वक्तव्य को सभापटल पर रखना चाहते हैं, वह रख दें।

श्री प्रदीप टम्टा।

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इस के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज हम गंगा नदी के प्रदूषण और हिमालय के निर्मम दोहन की चर्चा कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में दो हिस्से हैं। हमारी गंगा लगभग ढ़ाई हजार किलोमीटर की यात्रा करते हुए गोमुख ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ढ़ाई हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा में से लगभग एक सौ पचास किलोमीटर की लंबी यात्रा ऋषिकेश-हरिद्वार तक की है और उसके बाद पूरे देश की है। सात राज्यों से होते हुए गंगा जा रही है। इन सात राज्यों में से गंगा जब ऋषिकेश-हरिद्वार से आगे निकल जाती है तब प्रदूषण का सवाल आ जाता है। चाहे यह शहरी सीवरेज के कारण हो या गंगा के किनारे लगी हुई इंडस्ट्रीयल फैक्ट्रियों के कारण हो, यह प्रदूषण बढ़ता जाता है। इस पर हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है उससे मैं प्रतिबद्ध हूं।

मैं आपका ध्यान गंगा के मूल स्थान की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि इस विषय में दो विषय हैं। एक तो गंगा नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण और दूसरा है हिमालय का निर्मम दोहन। गंगा से हिमालय निकल रही है। हिमालय भी लगभग ढ़ाई हजार किलोमीटर जम्मू-कश्मीर से अरूणाचलप्रदेश तक फैला हुआ है। गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र तीन बड़ी नदियों के स्त्रोत इसी हिमालय से है। इन नदियों के पैंसठ प्रतिशत जल का स्त्रोत यह हिमालय है। आज इस पर संकट है। इसको बचाने की जरूरत है। गंगा नदी एवं भारत की अन्य नदियों में जो पानी का अधिकांश भाग आ रहा है वह हिमालय के ग्लेशियर, हिमनद और वहां होने वाली वर्षा से आ रहा है। इन सब पर आज संकट है।

जब यह चर्चा हो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लूं। जम्मू-कश्मीर से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक तमाम जगह पावर प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा अल्मोडा क्षेत्र भी उत्तराखंड में है। वहां से नदियां निकलती हैं लेकिन वहां के लोग प्यासे हैं। हमारी चिंता यह नहीं है कि वहां की प्यास बुझाई जाए। हमारी चिंता यह नहीं है कि वहां की खेतों की प्यास बुझाई जाए। सामने नदी बहती जाती है लेकिन वहां के लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, अपने खेतों की सिंचाई के लिए तरस जाते हैं लेकिन हमारी चिंता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा बिजली उत्पादन की है। मैं आज पूरी दुनिया में देख रहा हूं कि दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें हिन्दुस्तान की तरफ आ रही हैं। मैंने अरूणाचल प्रदेश में देखा था कि लगभग पचास हजार मेगावाट वहां बिजली पैदा की जा सकती है। अरूणाचल प्रदेश के साढ़े सात किलोमीटर की लंबी सियांग नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। वहां की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो मिल कर हाइडो पावर प्रोजेक्ट बनाने की ओर जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी दर्द क्या है? यह जानने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र पिथोरागढ़ में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स

बन रहे हैं। हिमालय में जहां से ग्लेशियर निकल रहे हैं जो कि बहुत सेन्सिटीव क्षेत्र है जिसके बारे में देश के वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय का पूरा का पूरा क्षेत्र भूकंपीय जोन है जो कि जोन 5 में है। यह बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। जब भी बरसात होती है तो दिल डरता रहता है कि पता नहीं कौन सी सूचना आ जाएगी। हर साल कोई न कोई नई-नई घटना आ रही है। दो साल पहले पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा भूस्खलन भी हुआ था जिसमें कई जानें चली गई थी। हम उस संदर्भ में नहीं देख रहे हैं। हमें आज हिमालय को बचाना है, नदियों को बचाना है। टिहरी डैम बना जिससे एक-डेढ़ लाख लोग विस्थापित हुए जिनके दर्द को आज भी हम दूर नहीं कर पाए हैं। हम टेहरी बांध एवं पावर प्रोजेक्ट्स जरूर लगा लेते हैं वहां से लाखों लोग विस्थापन के शिकार होते हैं उनको क्या मिला? इस पर हम नहीं सोच पाते हैं। हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हो, अरूणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, अभी सिक्किम में दो हजार मेगावाट, एक हजार मेगावाट के कितने प्रोजेक्ट्स पर सरकार विचार कर रही है। उसी सिक्किम में पिछले साल 6.1 रियेक्टर स्केल का भूकंप आया था। हमारा टिहरी डैम 8.4 रिएक्टर स्केल के भूकंप को झेलने की क्षमता रखता है लेकिन अगर भूकंप 8.5 रिएक्टर स्केल का आ जाएगा तो पता नही क्या होगा? इस पर हम चिंता नहीं करते है।

भारत सरकार ने इस दिशा में सोचा। प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2007 में नैशनल डैवलपमैंट काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि हिमालय को हिमालय के हिसाब से देखने की जरूरत है। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को इशारा किया था और उसी प्लानिंग कमीशन ने श्री जी.बी. मुखर्जी तत्कालीन सचिव जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने भी कहा कि हिमालय के [illegible] पावर प्रोजैक्ट, आप बांध बनाकर पानी रोक रहे हैं या नदियों को टनलों में ले जा रहे हैं। दो किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर टनलों में नदी जा रही है। उससे वहां के पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। अगर कैनाल और नदी में अंतर न होता तो हर कैनाल नदी के रूप में हो जाती। उस टास्क फोर्स की रिकमैंडेशन में कहा गया है - यह सच है कि देश को बिजली की जरूरत है। लेकिन किस तरह के पावर प्रोजैक्ट बनाए जाने चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 33 में कहा है -

"There is every reason to suggest that the standard pattern of hydro power generation, distribution within the Indian Himalayan region should be decentralised and networked through small projects only. The Task Force strongly seconds the view of the State Government that exporting mega projects rarely and few medium projects, the logical recommendation of the IHR. It is also seen logical and essential to demarcate zones in the higher Himalaya region that are

naturally unstable. In these areas, no hydro power projects should be allowed to be developed."

पूरे हिमालय को जोन में बांटना पड़ेगा। हमें एक लक्षमण रेखा खींचनी पड़ेगी कि उस तरह के जोनों में किसी भी तरह की अननैचुरल एक्टीविटी न होने पाए। आज हमें बिजली की जरूरत हो सकती है, लेकिन जो जोन 5 क्षेत्र है, जो संवेदनशील है, वहां बड़े पावर प्रोजैक्ट्स को बनाने पर पुनर्विचार किया जाए। पूरे हिमालय के संदर्भ में एक नई नीति बनाने की जरूरत है। प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गंगा के प्रदूषण के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया। उसके बाद वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए आगे बढ़कर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। नैशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई। सातों प्रदेशों के मुख्य मंत्री इनके सदस्य हैं, देश के प्रधान मंत्री इसके चेयरमैन हैं। नदियों का जो निचला, मैदानी क्षेत्र है, जो प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है, उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। इसी तरह हिमालय के ऊपरी क्षेत्र की अपनी आवश्यकता है वहां विकास की मांग है, राज्य सरकारों पर दबाव है। लेकिन हम सबको इस देश की इकोलॉजी को बचाना है। अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा, अगर ऊपर से ही गंगा में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा। इस देश के लाखों, करोड़ों किसानों ने कुंभ द्वारा नदियों को भगवान का दर्जा दिया। हर 12 साल में गंगा के किनारे, चाहे हरिद्वार हो या उज्जैन में हो, नदियों को पवित्र दर्जा इसलिए दिया गया कि करोड़ों किसानों की जिंदगी इन नदियों के ऊपर निर्भर करती है। आज ये नदियां अपने रूप के लिए, अपने जीवन के लिए तरस रही हैं।

हमारे प्रदेश उत्तराखंड में सीएजी की रिपोर्ट आई। उसने भी अपनी चिंता इस संदर्भ में जताई, उत्तराखंड में इस समय 184 छोटे-बड़े हाइड्रो पावर बन रहे हैं या प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड के लोगों की भी मांग है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लघु विद्युत परियोजनाएं कीजिए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, विकास की बात बन सके। बड़े-बड़े प्रोजैक्ट, जहां 20-20 किलोमीटर नदी टनल में चली जाए, यह पूरे देश के लिये घातक विषय है।...(व्यवधान)

मैं अंत में एक निवेदन करूंगा कि योजना आयोग के दिशानिर्देश में बनी इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर और बहस करने की जरूरत है। हिमालय के अंदर जो पावर प्रोजैक्ट पर उसने अपनी रिकमैंडेशन दी है कि उन तमाम हिमालयी राज्यों में, अगर हम उसे रोकेंगे और उसके कारण उन राज्यों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके लिए बड़ा कोष बनाया जाए जिससे राज्य उस नीति से अपने विकास की योजनाओं को लागू कर सकें। सदन के सदस्यों ने हिमालय को बचाने के लिए, गंगा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जो चिन्ता की, मैं भी उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। हम कहना चाहेंगे कि जिस

तरह गंगा नदी को बचाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसी तरह ऊपरी हिमालय को बचाने के लिए हिमालयन डैवलपमैंट अथॉरिटी बनाइए।

शेख सैदुल हक़ (बर्धमान-दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदया, मै आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। इस विषय पर दो पंक्तियां हैं -- एक, जिस देश मे गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं और दूसरी पंक्ति है--राम तेरी गंगा मैली। अब क्या हो रहा है? गंगा के खुद के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लग गया है। जिस तरह चल रहा है, उस हिसाब से कुछ वर्षों में ही गंगा लुप्त हो जायेगी। हमारी आने वाली जनरेशन के सामने गंगा नदी सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जायेगी। शायद हम अपनी बेटी का नाम रखकर बोलेंगे कि बेटी तेरे नाम से एक नदी का नाम था, जो हमारे कल्चर, इकॉनोमी, सोसायटी से जुड़ा हुआ था। दूसरी पंक्ति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सच है कि दिन प्रतिदिन हमने गंगा को इतना मैला कर दिया कि उसकी स्वच्छता पर प्रश्न चिह्न लग गया। हमारी मांग है कि गंगा की पवित्रता, स्वच्छता और उसकी प्रवाहिता कायम रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है? हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय का ग्लेशियर है। उसके गोमुख से भगीरथी नदी शुरू हुई और अलकनंदा के साथ मिलकर वह गंगा नदी बनी है। डिपार्टमैंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के आधार पर यह दिखाया गया कि हिमालय ग्लेशियर हर साल 17 मीटर के हिसाब से पिघल रहा है। यूनाइटेड नैशंस इन्वायरमैंट प्रोग्राम, 2008 कह रहा है कि जिस तरह हिमालय ग्लेशियर पिघल रहा है, कुछ दशक बाद यह खत्म हो जायेगा और गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन सा है? हम लोग हैं। हम लोग खुद विभिन्न तरीकों से उसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जैसे बड़े-बड़े डैम बनाना, बांध बनाना, जंगल काटना, माइनिंग करना आदि हो रहा है। इसी कारण हिमालय का पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है। अत्याधिक डीफ्रॉस्टेशन की वजह से वहां की जो मिट्टी है, वह बहुत तेजी से वर्षा के पानी को रोकने की क्षमता खो रहा है। इसकी वजह से भूकम्प और मिट्टी का खिसकना आम बात हो गयी है। यह बहुत चिंता का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले ग्लोबल अर्थ सैटेलाइट के माध्यम से कुछ तस्वीरें हमारे सामने आयी हैं जो यह बता रही हैं कि भगीरथी नदी का 8 किलोमीटर का हिस्सा सूख चुका है और असली गंगा अलकनंदा जो गंगा के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, वह भी सूख रहा है। इसलिए हमें गंगा को बचाने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी अहम बात गंगा प्रदूषण है। हम सब जानते हैं कि गंगा दिन-प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। उसका एक कारण है कि गंगा आज विश्व की पांच नदियों में से एक है। अब गंगा नदी की तीरों में 29 नगर, 70 शहर और हजारों गांव बसे हुए हैं। इसी कारण हर रोज 1.3

बिलियन लीटर डोमेस्टिक वेस्ट गंगा में डल जाता है। उसके साथ हजारों की संख्या में मरे हुए पशुओं को उसमें बहाया जाता है। इसके साथ-साथ 260 मिलियन लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा नदी में डाला जाता है। जो कारखाना गंगा के किनारों में चल रहा है। कपड़े धोना, मरी हुए लाशों को बहाना आदि कुछ अहम कारण हैं, जिसके कारण गंगा नदी और दूषित हो रही है। गंगा का पानी इतना दूषित होने के बावजूद भी लोग उसे पी रहे हैं और उससे नहा रहे हैं। इसका पहला कारण है - लोगों का गंगा नदी पर विश्वास और दूसरा कारण है कि लोगों के पास पीने के पानी का विकल्प नहीं है। इस कारण हम देख रहे हैं कि दूषित पानी से पैदा होने वाले रोग जैसे डायरिया, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसैंटरी आदि बहुत तेजी से फैल रहे हैं। । इसके अलावा और भी तरीका है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि गंगा के दूषित कारणों में एक कारण यह है कि कारखानों से निकला हुआ प्रदूषण, जो गंगा नदी में मिलता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

शेख सैदुल हक़: मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस कारखाने में प्रमुख कारखाना चमड़ा कारखाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 से कहा है कि चमड़ा कारखाने से निकले हुए पानी के लिए प्रदूषण प्रतिरोध यंत्र लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ। गंगा के किनारों में इललीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। गंगा के किनारों में जो इललीगल माइनिंग चल रही है, उसे भी रोकना पड़ेगा।

Now, let me come to the question of Ganga Action Plan that was taken up in 1985. Almost Rs. 1000 crore has been pumped into it in Phase I and Phase II, but no development has happened. River Ganga is still sullied and CAG has categorically told this thing.

Now, in 2009, the Government has constituted National Ganga River Basin Authority. But what is the amount sanctioned and what is the amount released? The Government had sanctioned Rs. 2,165 crore. But the amount that was released was only Rs. 468. The amount that was spent was just Rs. 91 crore.

Another important matter that I would like to raise here is about the CAG Report of April, 2010. It opined that there would be no water in the long stretches of the famous Alakananda and Bhagirathi riverbeds if the Uttarakhand Government goes ahead with its plan to build 53 big power projects – and altogether 184 projects – on these two rivers, which join the Ganga. The CAG

came down hard on the State Government whose power policy of 2006 allows a private player to divert upto 90 per cent of the river water to power turbines, leaving only ten per cent to flow in the natural course of the river. If that happens the villages settled along the river basin will be uprooted. What will be the result? It will lead to mass migration and it will also lead to cultural erosion. ‘Cultural erosion’ is an important factor. We know that the Himalayas and Ganga are having a greater role in the development of the economy in the health sector, in the irrigation sector, in the agricultural sector, in the socio-economic sector, in the cultural sector. … (*Interruptions*) If this process goes on, Ganga would disappear in the Valley.

Let me make my last point. One lock-gate has been broken in Farakka. A lot of water is going out. The Government should give proper attention to it.

With these words, I thank you and conclude my speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I am really indebted to you for the amount of involvement that you have shown towards this subject not because you hail from Bihar but because we all revere the river Ganga. There are two aspects which are being discussed. One is the emotive aspect because of the way in which we always look up to this river. Another aspect is the development aspect, which is also being discussed. Our attempts should be – and has been – to bring in a semblance between the development aspect and the emotional attachment which we have towards this river.

I would start by saying that the state of our country's main rivers reflect the callousness and the ineptitude with which we approach the issue of managing the natural resources. It is because of our lack of long-term river conservation or water management policy, several rivers across the country have either dried up or resemble rivulets. Those which still flow are wrecked with pollution and often resemble giant drains.

After a quarter century of trying and constantly failing, the Government has constituted the National Ganga River Basin Authority in February, 2009. It is an empowered Authority for conservation of the river Ganga. The mandate of this Authority is to go ahead with "clean Ganga" mission by 2020. No untreated municipal sewerage and industrial effluents would flow into the river. That is the mandate which is before this Authority.

This NGRBA is constituted under Section 3 (3) of the Environment Protection Act, 1986. The investment required to create the necessary infrastructure for treatment of sewerage will be shared between the Union and the State Governments. So far, projects amounting to Rs. 2,600 crore have been sanctioned. Let us not forget that the Ganga River Basin is the largest river basin in our country and the fourth largest river basin in the world.

The World Wildlife Foundation, WWF, has marked the Ganga among the ten most endangered rivers in the world. Ironically, the river is dirtier now than in 1985 when the plan to clean up Ganga was operationalised. Between 1985 and 2009, the Union Government has spent Rs. 916 crore to clean up the river. The ambitious Ganga Action Plan undertaken in 1985 by Rajiv Gandhi in which crores of money were spent actually went down the drain due to poor planning and misappropriation of funds by various agencies.

As of April, 2011, the Cabinet Committee on Economic Affairs had approved a Rs. 7,000 crore project to clean the Ganga. The Union Government's share would be Rs. 5,100 crore and that of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal would be Rs. 1,900 crore. An estimated investment of around Rs. 15,000 crore will be required in the next ten years to meet the "Mission Clean Ganga". We understand that the Government is heavily dependent on the World Bank's financial assistance of US$ 1 billion. The World Bank approval is surely a boost no doubt, but without proper monitoring and close scrutiny, the Bank's generous loan is bound to be squandered and the project will meet the same fate as of Ganga Action Plan (GAP). We would like to understand from the hon. Minister that what monitoring mechanism you are having in place or you are again dolling out or passing those funds to the State Governments to do as it was being done.

The catchment area of Ganga basin spreads over four countries – Tibet Autonomous Region of China, Nepal, India and Bangladesh. In India the Ganga basin covers 11 States – Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

The Planning Commission in its latest report to the Supreme Court has made an alarming conclusion that even if 100 per cent utilisation of funds were to be achieved in all sewage treatment plants along the rivers, Ganga would only be rid of one-third of the total waste generated in the river basin. That is the cause of

concern, I think, all Members have been addressing to. This is the Report which has been given by the Planning Commission to the Supreme Court of India. This is a point of concern. We would like to know the steps the Government intends to take to meet this challenge.

When it comes to conservation of river Ganga, the Government seems to be moving at snail's pace. Even ten months after issuing a notification to declare 135 kms stretch of the river from its origin at *Gaumukh* as eco-sensitive zone, I am given to understand that the Ministry has failed to finalize it. The three month mandatory period for receiving comments and suggestions on the draft expired in October last year, but the final version of the notification is yet to be published. This notification was issued in response to agitation by environmental and social groups of Uttarakhand. As part of the effort to restore ecology of the river from *Gaumukh* to *Uttarkashi*, work was stopped on three major hydro electric dams. But now the notification has not only been stalled, demands for restarting the work have also resurfaced. I think the hon. Minister has also been receiving a number of representations in this regard. The notification was aimed at maintenance of "environment flow and ecology" of the river. The zone would cover 100 metre area on either banks and restrict or prohibit activities like drawing water for industrial activities, mining, stone quarrying and crushing, discharge of waste and industrial effluents in the river. The Planning Commission in its report to the Supreme Court makes this alarming conclusion.

Madam, as a Member of the Public Accounts Committee I had the opportunity to travel from Tehri to Patna when Shrimati Rabri Devi was the Chief Minister of Bihar. I had varied experience. Some colleagues of mine are still Members of Parliament today We had varied experience. I need not go into the details, but the report that the Public Accounts Committee had submitted to the House, I think the Government should look into that aspect and about the suggestions we have made. What has happened beyond *Haridwar*? Ganga downstream Haridwar fails practically all standards of purity, whether it is the

`biological oxygen demand' or the `faecal coliform count'. In all respects, the River's water fails practically all standards of purity. … (*Interruptions*)

Madam, take the case of Kanpur. I had tried to understand why from Aligarh till Allahabad the River is dead. It becomes a sewerage. No water flows into that River from Aligarh to Allahabad till the River Yamuna joins at Allahabad.

MADAM SPEAKER: I have a very long list of speakers. I am afraid, I will not be able to give much time. Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I will just take two or three minutes. I have some suggestions to make.

At the heart of the problem lies the piecemeal approach to treating the effluents flowing into not just the Ganga but practically every river in the country. We do not have a system to preserve our rivers. Unless the Government is serious about punishing those responsible for polluting the river, no action plan would succeed in restoring the Ganga's prestine glory.

Now, I come to the protection of the Himalayas from ruthless exploitation.

MADAM SPEAKER: You will have to conclude. I am sorry. You can lay your speech on the Table of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have to make only two sentences. The Himalayas are called as the water towers of Asia. The Himalayas' are young-fold mountains in its formative stage. This zone of the Himalayas is most fragile and tectonically active, falling in the seismic zone. Therefore, I have three suggestions to make.

One is, from the existing hydro power projects, Tehri, Maneri Bhali, Koteswar and Vishnu Prayag, a minimum 50 per cent of the water must be immediately discharged so as to protect the acquatic life and sufficient water to allow the residents of the surrounding areas to carry out their rituals. This should also apply between Aligarh and Allahabad.

My second suggestion is that due consideration of the sensitivity of the Himalayan Glaciers, development projects must be planned or proposed maintaining a clean and uninterrupted flow of the Ganga. A set of rules must be laid out for rightfully managing all activities like construction, mining, sewage disposal and deforestation.

My last suggestion is there a need to have a detailed Himalayan Policy with the participation of the locals of the Valley along with a High Level Expert Committee to rightfully assess the impacts of all the projects on the River Ganga.

With these words, I conclude.

*SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): The Ganga action plan was launched way back in 1985 with the main objective of pollution abatement, to improve the water quality by Interception, Diversion and treatment of domestic sewage and prevent toxic and industrial chemical wastes from identified grossly polluting units entering into the river and also to take care of other needs to protect this national river. Crores of rupees had been spent so far in the name of the Ganga cleaning since the inception of Ganga Action Plan in 1985 and yet the river Ganga is not free from pollution.

Clearing the Ganga or any other river is not possible with the existing system of sewerage and STP, but it needs a decentralized system based on biogas generation technology that is not only cost effective but also easy in operation and maintenance. The government should think about it seriously for effective sewage management to keep our river Ganga clean and free from pollution.

The State Governments should take immediate action against industries polluting the river as well as setting up STPs. It is reported that every day 2,900 million litres of sewage is discharged in the Ganga. The State Government should initiate action to set up more sewage treatment plants. The industrial pollution and industrial effluents were a cause of major concern as they were toxic and non-biodegradable. The State Government should also require to monitor compliance of effluent discharge standards. Action must be taken against the defaulting industries by the State Boards under the powers delegated to them. There is a need to strengthen the relevant enforcement mechanisms.

I would also like to point out that the water of many rivers in our country has become unfit for human consumption. Therefore, there is an urgent need to initiate an action plan to clean the rivers of our entire nation.

With this I conclude my speech.

---

* Speech was laid on the Table

***श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):** मैं गंगा प्रदूषण के संबंध में तमाम माननीय सांसदों द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि गंगा जी के उद्गम से अंतिम मिलन (गंगासागर) तक शहरों का गंदा पानी कचरा गंगा में बहाया जाता है । उक्त संदर्भ में पहले से संसद में चर्चा होती रही है । हमारे यहां वाराणसी में काफी समय से गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं । सभी धर्म के लोगों ने गंगा की पवित्रता के संबंध में चिंता व्यक्त की है । वाराणसी में गंगा जल लेने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं । गंगा जल की पवित्रता एवं महानता पुराणों में भी है । गंगा जल से लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है ।

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा का पानी प्रदूषित होने से गंगा किनारे के पांच-पांच किलोमीटर - दोनों तरफ पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है । गंदे पानी का स्रोत इण्डिया मार्क-II हैण्डपंपों में भी दिखाई देने लगा है । लोग रोग से पीड़ित है । समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया तो गंगा के किनारे शहरों एवं गांवों की स्थिति भयावह हो जाएगी । गंगा के किनारे कंपनियों को प्रदूषित जल पर रोक लगानी चाहिए जिससे गंगा के पवित्र जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके ।

---

* Speech was laid on the Table

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया जी, माननीय रेवती रमन जी ने इस चर्चा को शुरु करते हुए उन्होंने गंगा नदी और हिमालय के बारे में चिता जताई है। यह चर्चा तीन मंत्रालयों से जुड़ी हुई है। पर्यावरण मंत्री जी तो यहां उपस्थित हैं लेकिन इनके साथ-साथ, यदि सचमुच में गंगा नदी और हिमालय को बचाना है तो उनसे ज्यादा जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्री और ऊर्जा मंत्री की है। यह जो चर्चा चल रही है यह तीन मंत्रालयों से जुड़ी हुई है। हमारे जो तीन मंत्रालय हैं वे प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं वैसे तो सारे मंत्रालय ही इससे जुड़े हुए हैं। जब तक तीनों मंत्रालय के मंत्री यहां उपस्थित न हों, ये चर्चा अधूरी है। पर्यावरण मंत्री जी भी सही जवाब पूरी चर्चा का यहां दे नहीं पायेंगे, वे तो केवल अपने मंत्रालय से जुड़े हुए मामले हैं उसके संबंध में यहां पर बोल सकती हैं। लेकिन जो मामले ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि पर्यावरण मंत्री उस संदर्भ में यहां पर अपनी बात को अधिकार से रख सकती हैं।

भले ही यहां आज सारे मंत्री उपस्थित नहीं हैं लेकिन आज यहां पर रिकार्ड उपस्थिति है। ये चर्चा आपने सुनी है, मैं चाहूंगा कि जब उत्तर यहां पर दिया जाए तो उत्तर के समय हमारे ऊर्जा मंत्री और जल संसाधन मंत्री जरूर उपस्थित हों। महोदया, अगर मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं होंगे, तो इस चर्चा से कोई नतीजा निकले, यह मुझे सम्भव नहीं लगता है। मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि जब रेवती रमन जी ने यह बात उठाई, तब उन्होंने आपके माध्यम से चेतावनी भी दी कि जो परियोजनाएं हिमालय में चल रही हैं, जिनकी वजह से गंगा खतरे में है, जिनकी वजह से हिमालय खतरे में है और कोई बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना है, इसलिए जनता और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं और इसकी अगुवाई रेवती रमन सिंह जी करेंगे। जब यह बात इन्होंने यहां कही है तो मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। मैं उनकी चिंता को समझता हूं और सदन भी इस बात को समझता होगा कि वे किसी परियोजना के खिलाफ नहीं हैं, किसी प्रोजैक्ट के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन उनकी जो चिंता हैं, जो भय है कि इन परियोजनाओं के कारण हमारी नदी नष्ट न हो जाए। हमारा हिमालय धवस्त न हो जाए। इससे केवल हिमालय धवस्त नहीं होग या गंगा नदी नहीं सूखेगी, इसका असर पूरे भारत वर्ष पर होगा। इसीलिए उन्होंने आंदोलन की बात की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आपकी इस चर्चा में रूचि है। आप इस पूरी चर्चा में उपस्थित रहे हैं। एक कविता भी रेवती रमन सिंह जी ने यहां पढ़ी है। जिसमें उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया है कि मां उदास है। यह जो उदासीनता है, वह देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। वैसे गंगा का महत्व पूरे देश के लिए है। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है और इससे भी ज्यादा गंगा का सामाजिक महत्व है। यह हमारे देश की सबसे लम्बी नदी है। जो लगभग ढाई हजार

किलोमीटर तक बहती है और कई राज्यों से गुजरती है। उन सभी राज्यों का जिक्र मेहताब साहब ने किया था। हिमालय के संदर्भ में भी वही राय सभी ने यहां जताई है।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि गंगा भारत वर्ष के लोगों के लिए एक नदी नहीं है। गंगा को तीथे के रूप में और मां के रूप में माना जाता है और इसीलिए गंगा जल को पूरे देश में पवित्र माना जाता है। गंगा जल का महत्व जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समारोह में है। जब बच्चा पैदा होता है, तब उसे गंगा जल पिलाया जाता है और जब उसका अंतिम समय आता है, तब भी उसे गंगा जल पिलाया जाता है। इसके अलावा बिना गंगा जल के कोई शुभ कार्य इस देश में नहीं होता है।

अध्यक्ष जी, सौभाग्य से मुझे इस देश का ऊर्जा मंत्री होने का अवसर मिला है। एक डेढ़ साल के लिए मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं। मुझे पन बिजली का महत्व मैं जानता हूं और आज दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पन बिजली है और सबसे क्लीन बिजली, पन बिजली है। हम जानते हैं कि पन बिजली का महत्व क्या है? उस महत्व को देखते हुए सरकार ने कई पन बिजली परियोजनाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्यों में हैं। जब इसका सर्वे किया गया तो लगभग एक हजार मेगावाट का पोटेंशियल उत्तर-पूर्व के राज्यों में है। वहां पन बिजली परियोजनाएं लग सकती हैं। बिजली की देश को जरूरत है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जितनी जरूरत बिजली की है, उतनी ही जरूरत है हमारी नदियों को प्रोटैक्ट करने की। पानी को बचाने की आवश्यकता है। यहां रन आफ रिवर की बात कही गई। रेवती रमण सिंह जी ने चिंता जताई। वैसे रन आफ रिवर परियोजना से नदियों को कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब डैम बांधते हैं, पानी को रोकते हैं। रन आफ रिवर में पानी रोकने का सवाल ही नहीं आता है। पानी केवल सुरंग के माध्यम से लाया जाता है। मैं यहां जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस देश का ऊर्जा मंत्री दो साल रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात का महत्व सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं वास्तविकता सदन के सामने रखना चाहता हूं।

महोदया, मुझे विश्वास है कि रेवती रमण जी परियोजना के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनके मन में गंगा नदी के लेकर चिंता, भय है कि सुरंग बनाने की वजह से हिमालय कमजोर हो सकता है, हुआ होगा। कभी भी भूकम्प आ सकता है। पिछले कई महीने में उत्तर भारत में भूकम्प आया। दिल्ली को इसका अनुभव हुआ है। ईस्ट में कई बार भूकम्प आया है। इंडोनेशिया में लगातार भूकम्प आ रहे हैं और हमें इसके परिणाम भुगतना पड़ रहे हैं। ऐसे में कभी दुर्भाग्य से कोई बड़ा भूकम्प हिमालय के क्षेत्र में होता है तो क्या हिमालय बच पाएगा? इस प्रकार की शंका और भय सांसदों के मन में है। हिमालय को बचाने की आवश्यकता है, गंगा को बचाने की आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र, मुम्बई से आता हूं। मैं अरब सागर को रिप्रेजेंट करता हूं। सागर जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा नदियां महत्वपूर्ण हैं। सागर तब बनता है जब नदियां जाकर सागर

से मिलती हैं। जितना महत्व सागर का है उतना ही महत्व गंगा का है इसलिए गंगा नदी को बचाने की आवश्यता है, हिमालय को बचाने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, यहां पर्यावरण मंत्री उपस्थित हैं। वे सारी चर्चा को सुन रही हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को तो निश्चित तौर पर निभाएंगी लेकिन इसके साथ यहां ऊर्जा मंत्री जी को भी उत्तर के समय उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार का निर्देश दें।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं निम्नांकित सुझाव ले करना चाहता हूँ;-

1. चर्चा बहुत हो चुकी है । सारी चर्चाओं के सार को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ।
2. और प्राधिकरण की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी प्राधिकरण/संस्थाएं इस हेतु कार्यरत हैं उनमें समन्वय की आवश्यकता है । उपलब्ध बजट को समन्वित प्रयास से उपयोग करने की आवश्यकता है ।
3. यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हो । केवल मात्र शब्दों से सदाश्यता दिलाना अब बंद करना होगा। कार्य योजना को अमल करने की समयबद्ध योजना बने और प्रयास भी समयबद्ध हो, इस तरह के सार्थक प्रयासों से ही कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं ।
4. जनता, सरकार, गैर सरकारी संगठन सभी मिल कर जागृति पैदा करे, विकास एवे पर्यावरण में समन्वय स्थापित करे और दुष्यंत कुमार की चंद लाइनों के अनुसार कार्य करे ।

" हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये ।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए"
आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही ।
हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिये"
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं , मेरा
मकसद है कि गंगा की सूरत बदलनी चाहिये"

गंगा की सूरत बदलनी ही चाहिए । यह पर्यावरण की दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं है वरन् यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जिंदा रखने के लिये भी आवश्यक है ।

---

* Speech was laid on the Table

***श्री रमेश बैस (रायपुर):** काफी लंबे समय से गंगा नदी को साफ करने की चिंता पूरे देश में हो रही है । सरकार द्वारा काफी खर्च किए जा रहे हैं फिर भी सफाई का कार्य पूरा नहीं हो रहा ।

गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी ही नहीं है । गंगा हमारी संस्कृति है, हमारी मां है । गंगाजल का हिन्दू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्व है । इसी महत्व को देखते हुए जापान ने गंगा सफाई योजना के लिए काफी बड़ी राशि सहायता के रूप में दी है ।

गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है । ग्लेशियर सूख रहे हैं, इसलिए गंगा का पानी कम हो रहा है । समय-समय पर देश में ही नहीं विदेशों के वैज्ञानिक सर्वे कर गंगा को बचाने की चिंता कर रहे हैं ।

कहते हैं किसी देश को समाप्त करना हो तो उस देश की धर्म और संस्कृति को समाप्त कर दो, देश आप ही आप समाप्त हो जाएगा ।

गंगा हमारे धार्मिक महत्व की नदी है । हमारी संस्कृति है । गंगा का महत्व रामायण काल व महाभारत में वर्णित है । हम बचपन से गंगा की गाथा को पढ़ते व सुनते आए हैं । गंगा हमारे लिए जीवन-दायिनी है । धीरे-धीरे नदियों में पानी का कम होना इस बात को बल देता है कि भविष्य वक्ता का वक्तव्य - तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा । इस बात की गंभीरता को देखते हुए गंगा को बचाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ।

---

* Speech was laid on the Table

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I thank you for allowing this subject to be taken up for discussion. I would also like to congratulate our hon. Member Kunwar Rewati Raman Singh for initiating this discussion under Rule 193.

Madam, we are treating all the rivers in the country as Goddesses. The River Ganga is the mother of all rivers. We are giving great importance to all the rivers in our country. There is a popular saying in Tamil which is like this:

"Mangai sudhagamaanaal Gangaiyil kulikkalaam,
Aanaal andha Gangaiye sudagamaanaal engae selvadhu?"

I will translate it for the benefit of hon. Members. If a woman wants to wash her sins, she may purify herself by immersing in the holy Ganga, but if the holy Ganga herself is polluted, where will she go to purify herself? This is the meaning of that saying. This is how we give importance to River Ganga and her holiness. So, this is a very serious issue and we should take this issue of pollution of River Ganga very seriously and take effective measures to clean River Ganga. As many of our hon. Members said, our civilization and culture also originated from river valley civilizations.

Madam, one of our hon. Members read your poem also. This shows that you are also very much attached to River Ganga. Its importance is known to everyone. But the holy River Ganga is polluted now. For this, we have to find out the reason for this and for this we have to see from its place of origin and all the way up to the place where it merges with the Bay of Bengal.

Now, all the States are constructing dams. The dams are useful for generating hydro power, for developing irrigation facilities for agriculture and also for drinking water purposes. But at the same time, we have to see that the river water is not restricted only for that particular area, but it has to go to other States also. As our hon. friend said, River Ganga passes through many States.

Water is a natural resource. It has to be used by all, not only by the people of a particular area. Therefore, it is our duty to see that water must be allowed to flow in the river. We have to see how to stop polluting our rivers

17.00 hrs

We need special drainage systems because when the cities are developing what we are doing is that we are allowing all the sewage water to only go to the river. That is happening. There must be stringent action to prevent that or there must be a scheme to treat the sewage water and that can be sent for irrigation purposes so that the sewage water can be used. In the same way the effluents of the industries can be treated.

As the hon. Members said, so many industries are coming up and that we want to encourage the industries. At what cost? The industries are polluting the rivers. If the rivers are polluted we cannot get potable water. The drinking water is more important. Now the country is facing shortage of drinking water. Most of the hon. Members have raised the issue of safe drinking water. Even when we go to our constituencies and travel around the area, the people ask for safe drinking water. Even the ground water is polluted. It is happening in such a way that we are facing the problem of safe drinking water.

The same way the River Ganga is polluted and we cannot take the water for even drinking purposes. This is the position as of now. As our hon. friend said, we take Ganga water for all auspicious functions throughout the country. That kind of importance or purification we are giving to River Ganga. But if it is polluted, it is not treated properly, naturally, we will suffer. Therefore, I am suggesting that stringent action must be taken by the Ministry or with the help of State Governments to prevent all this kind of pollution.

The Ganga Development Authority has already taken some action, but I think it needs to be improved. I also once visited the Kumbh Mela in Allahabad and found so much of pollution there. I could not even take bath there. That is the kind of situation there. That place was completely polluted.

The same is the case with Yamuna River. It is completely polluted. We are allowing all sewage water and pollutants of Delhi to go to River Yamuna and this is going to merge with the River Ganga. Therefore, all the tributaries have also to be maintained properly. Otherwise, their polluted water is going to be mixed with the River Ganga. It is high time the Ministry takes some action.

Madam, not only the River Ganga, but you take the case of River Cauvery and other rivers of our country. My constituency is near River Cauvery. The River Cauvery is completely polluted. All effluents are coming into it. The water is not coming to River Cauvery as Karnataka is preventing that because it is constructing dams on it. Therefore, we are suffering a lot. Even for drinking water purposes we cannot take water from the River Cauvery as it has less water and that too is totally polluted because of sewage, effluents, etc.

Therefore, what I am insisting upon is that not only the River Ganga but all the rivers must be preserved. These have to be maintained properly, at least, for drinking purposes; forget about irrigation and other activities. Otherwise, a time may come when our future generations may curse on us that we have failed to protect our rivers. The future generations may not get safe drinking water from our rivers. That is why I am requesting, Madam, as all hon. Members have joined together in supporting this discussion under Rule 193, that the River Ganga may be preserved and that the Ministry has to come forward to see that all other rivers are also protected.

At the end, I must also request that all the rivers must be nationalised. That is the only solution because several states are connected. Therefore, it is better to nationalise all the rivers and then only these rivers can be protected.

***श्री प्रेमदास (इटावा):** नियम 193 के तहत गंगा नदी के संबंध में चर्चा में मैं यह कहना चाहुंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इसके बाद एक प्राधिकरण बना जब कार्य अच्छा नहीं हुआ तो तीन सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद एक्शन प्लान के अंतर्गत लगभग 900 करोड़ रूपये गंगा के विकास के लिए दिये गये फिर भी गंगा नदी का प्रदूषण दूर नहीं हुआ । माननीय अध्यक्ष जी गंगा मैदानी क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी है हमारे देश में 15 से 20 करोड़ लोगों का रोजगार गंगा नदी से जुड़ा हुआ है । हमारे देश में गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है । गंगा के पानी में एक बड़ी विशेषता है कि गंगा का पानी 10 वर्ष रहे लेकिन प्रदूषित नहीं होता है । देश में पानी की कमी नहीं है । समुद्र में बहुत पानी है । लेकिन न तो समुद्र का पानी पीने योग्य है । और न ही कृषि की जा सकती । इसलिए गंगा का कितना बड़ा महत्व है । आज हम कितने आगे बढ़ गये लेकिन पुरानी धरोहर भूलते जा रहे हैं अब हमारे पास नेशनल फोर लाइन बन गये और बड़-बड़े हवाई अड्डे बन गये और बहुत विकास हुआ लेकिन गंगा और यमुना का महत्व खत्म होता जा रहा है ।

जहां से गंगा निकलती है , मेरा सुझाव है इस पर बनने वाले बांधों को खत्म किया जाये और खदानों को रोका जाये पानी में एक विशेष गुण होता है कि पानी जितना बहेगा अपने आप साफ होता जाता है । पानी मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है । इसको महत्व देकर समाज और सरकार विशेष ध्यान दें । लोगों में चर्चा है कि अगला युद्ध होगा तो पानी पर होगा ।

---

* Speech was laid on the Table

[*]**श्री राम सिंह कस्वां (चुरू):** आज जिस ढंग से गंगा का दोहन हो रहा है इससे लगता है कि गंगा लुप्त हो जाएगी, इसको बचाना आवश्यक है। आज करोड़ों किसानों का जीवन इन नदियों पर निर्भर है।

गंगा केवल अमृत जल का वाहन नहीं करती यह भूमि को उपजाऊ बनाने का काम भी करती है। कभी सोचा है कि गंगा नदी नहीं बचेगी तो क्या होगा। आज गंगा दिन-प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। गंदे नालों का पानी गंगा में डाला जा रहा है। कारखानों का गंदा पानी गंगा में डाला जा रहा है। गंगा पर हिमालय क्षेत्र में बांध परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। गंगा की सभी धाराओं को रोककर सुरंगों में डाला जा रहा है। बैराज व जलाश्य बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे गंगा पूरी तरह सूख जाएगी। अब तक उपरी हिमालय में इसी तरह टिहरी व मनेरी बांधों के कारण 115 किलोमीटर गंगा समाप्त हो चुकी है। संसद में भी गंगा व उनकी सहयोगी नदियों के उन पर बनायी जा रही सुरंग आधारित बांध परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आज हिमालय का ग्लेशियर 17 मीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से पिघल रहा है। अगर यही हालात रहे तो नदियों में पानी कहां से आएगा ? गंगा को साफ किया जाए।

मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि गंगा नदी के साथ-साथ एक बड़े नाले का निर्माण कराया जाए तो गंगासागर से लेकर गंगोत्री अथवा जहां तक आवश्यक हो वहां तक बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर हमेश के लिए ही गंगा के जल को साफ रखा जा सकता है, क्योंकि नाले के निर्माण से सारा सीवरज का पानी उसी में डाला जा सकता है। पहले एक ओर बनाया जाए बाद में दूसरी ओर भी बनाया जा सकता है।

---

[*] Speech was laid on the Table

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल प्राधिकरण बने और नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए ।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी गंगा नदी के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे प्रोटैक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। गंगा के बारे में यदि हम देखें तो यह हिमालय में गंगोत्री से शुरू होती है, इस तरह यह समुद्र तल से चार हजार मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और यदि इसे हम डायरेक्ट मैजर करें तो यह समुद्र तल से चार किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। यह नदी छः राज्यों से होकर गुजरती है। यह उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वैस्ट बंगाल होते हुए समुद्र में मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गंगा नदी 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसमें छः स्टेट्स का इन्वाल्वमेंट है। गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू से ले कर आखिर तक सभी राज्यों की भी जिम्मेदारी है। अगर देखें तो गंगा में जितना भी वेस्ट है, वह अनट्रीडेड म्यूनिसपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट आदि ले कर सब वेस्ट को गंगा में फेंकने की वजह से आज यह गंगा का पानी पॉल्युट हुआ है। इसके लिए वॉटर टेस्टिंग काफी हुआ है। वॉटर टेस्टिंग होने के बाद क्लियरली यह आया है कि गंगा का पानी पाल्यूट हो गया है। यह आज नहीं है, कम से कम सन् 1986 से स्टार्ट हुआ है। आज तक वॉटर का जो भी टेस्ट हुआ है और रीसेंटली टेस्ट में आया है कि गंगा का पूरा पानी पाल्यूट हो गया है। उसमें एक तो पानी की क्वालिटी के बारे में, दूसरा पानी के फ्लो के बारे में और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में आया है। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को देखें तो यह सरकार के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है। जो भी हाऊस का डाउट है उसे क्लीयर करना चाहिए। हाऊस में इस बारे में परसों और कल भी बात हुई और आज भी बात हो रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से गंगा की प्रॉब्लम हुई है। वॉटर फ्लो कितना कम हुआ है? What is the inflow? What is the outflow? आउटफ्लो और इनफ्लो के बारे में मेज़रमेंट होना चाहिए। उसके बारे में हाऊस को क्लीयर कट बताना चाहिए। कितना पर्सेंटेज़ पानी हाइड्रो की वजह से इफेक्ट हो रहा है। अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि 90 पर्सेंट वॉटर हाइड़ो की वजह से हो रहा है। It may not be true because if you properly measure it as to what is the inflow of it. डैम का इनफ्लो और आऊटफ्लो को मेज़र कर के हर प्रोजेक्ट की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है, इस बारे में बोलने के लिए सरकार जिम्मेदार है ताकि डाउट दूर हो। Due to the global warming एंटायर कंट्री की रिवर्स के ऊपर यह इफेक्ट पड़ा है। हमारे स्टेट में भी देखें तो कृष्णा और गोदावरी नदियां भी आज के दिन में पूरी तरह से सूख हो गई हैं।

मैडम, गंगा बहुत इंपार्टेंट है। सन् 1982 में जब हम फर्स्ट टाइम वाराणसी गए तो हमारी माँ ने एक ही बात बोली कि बेटा वाराणसी से गंगा के पानी की एक बोतल ले कर आना। यह बात हमें बहुत याद

आई। उस टाइम वाराणसी आना बहुत महत्वपूर्ण था। केवल नार्थ इण्डिया में ही नहीं, साऊथ इण्डिया में भी गंगा के पानी को उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं और उसके पानी की बोतल घर में रखते हैं। हमारी माँ तो कम से कम दो-तीन साल तक बोलती थी कि हमारा बेटा गंगा का वॉटर लाया है, वह पानी को दिखाती थी। मगर इस इंपॉर्टेंट इश्यू को आज के दिन जिस तरह से खत्म किया है, इसके रीज़न्स क्या हैं? इस सरकार को काफी इफेक्टिव वे में इसे करना चाहिए। हम सरकार को यही सजेशन देना चाहते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से वॉटर फलो में क्या इफेक्ट हुआ है? दूसरा, पाल्युटिड वॉटर को कैसे ट्रीट करेंगे। What is the mechanism एक हजार करोड़ रूपये दिया, दो हजार करोड़ रूपये दिया, यह सब हाऊस में बोल देने से नहीं होगा। पाल्युशन को स्टाप करने के लिए कुछ इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी कई दफा हाऊस में यह डिस्कस हुआ है। एक्चुअली रिवर लिंकिंग्स और वॉटर मैनेजमेंट होना चाहिए। बरसात के समय पूरा पानी समुद्र में मिल जाता है। बाकी के टाइम में हम लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। गंगा के ऊपर काफी लोग डिपेंड हैं। एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वॉटर में आलमोस्ट 2300 टाउन्स में, 692 टाउन्स गंगा बेसिन में आ रही है। आपके सामने यह डिसकशन होने के बाद सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए ताकि यह चर्चा दूसरी बार नहीं हो। गंगा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके माध्यम से यह प्रपोज़ल देते हुए मैं आपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं, जिससे हमारे प्यारों की, मित्रों की अस्थियों का संबंध है, हम कैसे इतने असंवेदनशील हो सकते हैं कि हम उस अपनी मां गंगा को अपवित्र होते हुए देख रहे हैं। महोदया, आपकी संवेदनशीलता का परिचय तो इससे मिलता है कि आपने स्वयं आज की बहस के लिए समय दिया और आप स्वयं यहां आसन पर विराजमान हैं। मुझे लोक सभा के मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन गंगा आज हमारी मां होने के बावजूद यह कह रही है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे सरकार के जिम्मे मत छोड़ो। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को जिससे हमारे संस्कार, हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास और हमारा भविष्य, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वे सब जुड़ी हुई हैं, अगर इसे भी कहीं हमारी सरकारों ने, हमारे विभागों ने, हमारे अफसरों ने उसी मिजाज से लिया, जैसे अन्य डिपार्टमेंट्स के काम को लिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गुनाह इस संसद द्वारा दूसरा नहीं हो सकता। सब बातें यहां कह दी गयी हैं, मैं उन्हें रिपीट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन गंगा एक्शन प्लान, माननीया मंत्री जी मेरे ख्याल से यहां नहीं हैं, लेकिन वे कहीं से भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हजारों करोड़ रूपया अभी तक लग चुका है, जब वे अपना जवाब दें तो कम से कम ब्रेकअप में हमें यह बता दें कि किस-किस तरीके से वह पैसा खर्च हुआ, वह पैसा खर्च कैसे हुआ? क्योंकि यह देश आज भी सोने की चिड़िया है, यहां आज भी दूध और दही की नदियां बहती हैं, लेकिन यह लाल फीताशाही और सरकारी योजनाओं का चाहे वह मनरेगा हो, चाहे गंगा एक्शन प्लान हो, जो मिट्टी और पानी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार है। वे कह गये कि वह पैसा हमने लगा दिया, बाढ़ आयी तो वह खत्म हो गया। मेरा निवेदन यह है कि जहां हिमालय की बात है, जहां जवाहर लाल नेहरू जी की अस्थियां हमने पहुंचायी थीं, हमारे महापुरूषों का यह एक ख्वाब था कि गंगा और हिमालय बचें। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पूरा लोक सभा क्षेत्र, जिससे माननीय अध्यक्षा जी आप भी सांसद रही हैं, बिजनौर लोक सभा क्षेत्र, पूर्णतयाः गंगा के किनारे पर स्थित है। पूरा 175 किलोमीटर का एरिया है।

मैं यह समझता हूं कि गंगाजल का बहुत महत्व है, जैसा अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हर घर में गंगाजल पाया जाता है। गंगाजल की एक खूबी है कि अगर वह सौ साल तक भी रखा रहे तो वह खराब नहीं होता है तो कोई न कोई स्पिरिचिलिटी तो उसके अंदर है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में तीन बड़े तीर्थ स्थल हैं, शुक्रताल है, वह गंगा के किनारे है, हस्तिनापुर है, जहां भीष्म, जो गंगापुत्र कहे जाते हैं, उनका जन्म हुआ था और विदुर कुटी है। ये तीनों गंगा के किनारे पर हैं। लेकिन आज वहां की क्या हालत है, मैं

समझता हूं कि उस स्थिति को देखकर रोना आता है। हम लगातार इसी बात को कहते रहते हैं। एक-एक बार में दस-दस हजार मरी हुई मछलियां तीर्थ स्थानों के किनारों पर आकर लग रही हैं। वहां नहाने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस कीमत पर इस देश का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, अगर गंगा की कीमत पर करना चाहते हैं तो कम से कम मैं तो इससे असहमत हूं। मैं अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा, इस देश से भी निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि गंगा की कीमत पर आप औद्योगिक विकास न करें। गंगा को बचायें, तभी हम बचेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Madam Speaker. At the very outset, I extend my thanks and gratitude for taking this subject for discussion under Rule 193.

In the 15th Lok Sabha, this subject has been taken twice. I am kind enough to you as you have nominated me as the Convener of the Parliamentary Forum on Water Resources Management and Conservation. In the meeting of this Forum, we have discussed this subject twice, and we have recommended some suggestions for your consideration and even for the consideration of the Government.

The river, Ganga, has an exalted position in the Hindu ethos. It is repeatedly invoked in the Vedas, Puranas and in the two great epics – Ramayana and Mahabharata. This river is depicted as the 'Mother Ganga' which provides to the millions of Indians with an important link to their spirituality. So, there is a myth with regard to the river, Ganga. But apart from that, there is also a reality. So, the river, Ganga, is associated with myth and realty – reality with land and the life of the people.

The Ganga basin is one of the most fertile and density populated areas in the world. This is the largest river in India. Now, it is the national river. The total length from the origin at Gangotri glacier at Gomukh to the mouth of Bhagirathi at the Bay of Bengal is 2,525 kilometres. It drained about one lakh square kilometres. It provides water to about 40 per cent of the Indian population in 11 States – Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and my State, West Bengal. It flows in 29 cities which have the population of over ten lakhs; 23 cities which have the population between 50,000 and one lakh; and 48 cities which have the population of about one lakh.

As has been said by my several Members, it is needless to mention that this is the lifeline of these areas. But in the modern time, it is known for being polluted - गंगा मैली हो गई।

Madam, what is the pollution statistics? The measurement of pollution in the year 2006 revealed that the river monitoring over the previous twelve years had demonstrated Fecal Coliform counts up to 10 MPN, that is, Most Probable Number per hundred millilitres and the Biological Oxygen demand level was averaging at 40 mg. per litre. The most polluted part is at Varanasi.

The overall waterborne disease incidence – acute gastro intestinal disease, cholera, dysentery, hepatitis A, typhoid had been estimated at 66 per cent.

One Arunachal agency, UEPPCB, categorised river water into four categories – (a) safe for drinking; (b) safe for bathing; (c) safe for agriculture; and (d) excessive pollution. The river, Ganga, has been put into 'd' category.

Several Members mentioned as to what the causes of pollution are. They are: (1) the restricted stream of the river – restricted and disturbed flow due to huge number of dams and tunnels; (2) industrial waste; (3) religious events; and (4) human wastes.

We may classify the entire Ganga gamut into three reaches – the Upper Reach, the Middle Reach and the Lower Reach. We should look into these Reaches very closely and attentively, and study the specific problems of the specific Reach. The upper reach, which flows from the Himalayan glaciers, flows on steep and narrow bed, mostly rocks and boulders. This reach is considered to have immense potentialities not only for hydro electric power but it has even potentialities for quality. If we stop the tunnels, dams and all these things, the water can be served but quality is not available; it is polluted and quality is missing.

Himalayan glacier, which is called the largest water tower in the world, should be protected. A special Commission should be set up to look into this area so that the largest water tower of the world can be cultivated properly and it shall be protected. The Ganga originates from the Gangotri glaciers, named Bhagirathi in Uttar Kasi District of Uttarakhand. It receives Bhaliganga and meets at

Devprayag--which is known to everybody—with other four streams, that is, Dhauliganga, Nandakini, Pinder and Mandakini.

The natural flow of this river of this reach is being highly disturbed by dams and hydro projects. The Tehri project is very much a controversial project. In 1854, during the British rule, the Haridwar Dam had led to the decay of the Ganges by greatly diminishing the flow of water. So, it should be taken into account. Now, it is told that the Government of India is planning about 300 dams on the Ganges and on the tributaries in the near future. It should be stopped. First, we should have a re-look. We should do a review about the existing dams and tunnels.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA: Yes, I will conclude, Madam.

So, another point is about the middle reach. Middle reach is something different from the upper reach. It flows in plains, meandering mostly on bed of fine sand. Substantial portion of the river flow is diversified to support agriculture activities through the system of canals. The confluence of Ram Ganga, Kali and Jamuna also bring a lot of domestic and industrial pollution. In addition, several towns, industries and agriculture activities contribute to pollution load. In this reach, significant are the leather tanneries at Kanpur. The bio-medical waste generated at hospitals and from pharmacy units is discharged into the river. In addition, there is encroachment of river bed, indiscriminate grave, sand mining, river bed farming, acute netting of fish, open defecation, dumping of solid wastes in many places, including floral offerings.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA: Flowers and other material offerings in the name of ritual activities have been thrown into the water. Dead bodies have been thrown into the water.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA: Semi-cremated dead bodies are being thrown. Other problems with the lower Ganga are also there. So, what is the impact? The Ganga river dolphin is one of the few species of fresh water dolphins in the world. The dolphin population has diminished to around 200. Right now I do not know how long they will survive. Hydro electric plants prevent them travelling up and down. It has an impact on wildlife. There is submerging in several areas.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA: Yes, Madam. I am coming to the Ganga Action Plan. It is rightly mentioned by many Members. The Ganga Action Plan was launched by former Prime Minister Rajiv Gandhi in April, 1985 in order to reduce the pollution load. It was launched to reduce the pollution load. But, it failed. The money, which has been spent, is not less than Rs.1,000 crore. Phase-I was declared closed in 2000. Phase-II was approved in 1993 onwards, including its tributaries like Yamuna, Gomati, Damodar and Mahananda. The progress in this respect is very negligible.

Now, I come to the National River Ganga Basin Authority. The Supreme Court has been working on the closure and re-location of many of the industrial plants. How do you respond to it? I want to know whether you are complying with that recommendation or not. In 2010, the Government declared the stretch of river between Gomukh to Uttarkashi as an 'Eco Sensitive Zone' – whether we are maintaining that or not? The CAG report is also there. How do we respond to all these things? Movement is going on; protest is going on – how do we respond to all these things?

At last, I come to the agreements with foreign countries, Nepal and some accords with Bangladesh. Everything should be reviewed or revisited.

I am talking about the Farakka project. Farakka project has come in such a position that it is creating problems in many respects. Even in Malda, huge villages have gone and the land is from the other side of Bihar. So, thousands of families have got evicted and uprooted.

My suggestion is that fast augmentation of water flow should be done and most of the dams should be bent and crushed. Steps should be taken against illegal mining, whether it is sand mining or other type of mining. Stringent laws should be made against pollution causing activities. There should be a re-look at the international and several other agreements. There should also be a re-look at the dams, canals and hydro plants.

There is a slogan 'Save Ganga'. We talk about the electricity and other things. There are several options of providing electricity. But, there is no alternate to the river Ganga. So, the river Ganges should be protected now. This should be taken as a priority.

With these words I conclude. Thank you, Madam, for giving me opportunity to speak.

*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): The other day the hon'ble senior member Shri Raghuvansh Prasad ji described pathetic condition of mother Ganga "in the banks of Ganges at the time of rituals devotees are offering water but devotees are not using water from river Ganga but from piped water supply arranged by other sources". It shows the grave situation of the polluted Ganga. The last session also this hon'ble House discussed the seriousness of which Ganga facing. Ganga is not a mere river. It is a part and parcel of our culture. As Pandit Jawaharlal Nehru described "The Ganga, especially, is the river of India, beloved of her people, round which are interwined her memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. The Ganga to me is the symbol of India's memorable past which has been flowing into the present and continued to flow towards the ocean of the future".

I would like to know about the progress of the Ganga Action Plan which was introduced by the then Hon. Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi.

Even though I am coming from Soutehrn part of India, i.e. Kerala. We have also deep concern about river Ganga. Almost all rivers in our country are facing acute shortage of water and day by day, its pollution is going upwards. In my State, rivers like Periyar, Bharatpuzha, Pampa, Achancoil and Chaliyar, are also facing acute water shortage and pollution.

It is high time to find out alternative and adequate methods to revamp our rivers. If river Ganga dies, then the future of India will also die. With these words, I would like to join the feelings expressed by other hon. Members of Parliament.

---

* Speech was laid on the Table

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नियम 193 के अंतर्गत गंगा के प्रदूषण के बारे में, गंगा की अविरल धारा के बारे में जो चर्चा हो रही है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रेवती रमण सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिनके कारण इस तरह की चर्चा यहां हो सकी।

यह एक आवश्यक चर्चा ही नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसा पहले हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा भी कि गंगा हमारा अस्तित्व है, गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारा धर्म है, गंगा जीवन की गति है, गंगा हमारी सांस है, गंगा हमारी आत्मा है। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में इसमें बड़े-बड़े पाप धुल जाते हैं। यह इस मामले से देखा जा सकता है कि गंगा नदी हम हिन्दुस्तानियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है।

गंगा की सफाई का जो मुद्दा है, यह कोई आजकल का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा तीस-चालीस सालों से काफी जोर पकड़ चुका है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इसकी सबसे पहले अहमियत दी थी। उन्होंने एक तरीके से गंगा एक्शन प्लान की नींव डाली थी। वर्ष 1979 में पर्सनल इंटरवेंशन करके और अपनी व्यक्तिगत रूचि दिखाकर उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्युशन को, जिसे आज हम सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, सर्वे करने के लिए कहा था। उसके बाद हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने फरवरी, 1985 में सेंट्रल गंगा ऑथोरिटी की स्थापना की थी और प्रधानमंत्री स्वयं इसके चेयरमैन बने थे और उस समय 350 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए आवंटित किया गया था। अपने इनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जून, 1985 में गंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टेरेट की भी स्थापना की। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण कदम आया जब वाराणसी में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गैप यानी गंगा एक्शन प्लान को 14 जून, 1986 को लॉन्च किया। इस सभी का नतीजा यह हुआ कि कई महत्वपूर्ण निर्णय तब से आज तक लिए गए हैं। योगी आतित्यनाथ जी बोल रहे थे, शुरू में जब चर्चा आरम्भ हुई थी तो उन्होंने कई डैम्स के निर्माण के बारे में कहा, कई अन्य सदस्यों ने भी डैमों के निर्माण के बारे में कहा। मैं यहां बताना चाहती हूं कि जैसे यहां पर सभी सदस्य हैं, सभी यहां पर सांसद हैं और सभी पार्टियां हैं, उसी तरह से हमारी पार्टी की हमारी यू.पी.ए. सरकार भी उसी तरह से गंगा के बारे में चिन्तित ही नहीं है, उनके अन्दर भी भारतीयता कूट-कूट कर भरी हुई है, नहीं तो ऐसा कैसे होता कि हमारे तीन इतने बड़े प्रोजैक्ट्स लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरों घाटी जैसे प्रोजैक्ट्स स्थगित ही नहीं किये गये, बन्द कर दिये गये। इनमें से लोहारी नागपाला प्रोजैक्ट तो एन.टी.पी.सी. का

प्रोजैक्ट था, उसमें 1500 करोड़ रुपये खर्चा हो चुका था, उसके बावजूद वह बन्द कर दिया गया। यह बहुत ही बोल्ड और सराहनीय कदम था।

कोई भी प्रोजैक्ट सिर्फ केन्द्र सरकार का ही प्रोजैक्ट नहीं होता है। खास कर गंगा के प्रोजैक्ट पर चार मुख्यमंत्री, चार राज्य सरकारें और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होते हैं, तब कोई निर्णय लिया जाता है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं, जो टिहरी के प्रोजैक्ट का निर्माण हुआ था, उस टिहरी के प्रोजैक्ट में काफी लोगों के अन्दर शंकाएं थी, उनके अन्दर डाउट्स थे, लेकिन वे वाजिब थे और उन्हीं डाउट्स पर चर्चा की वजह से यह हुआ कि टिहरी प्रोजैक्ट के कई स्टेक होल्डर्स ने मिलकर अन्त में स्वीकृति दी, तभी टिहरी डैम बना। उससे एक बात और हुई कि गंगा की अविरल धारा पाइप लाइन से टिहरी डैम में बनाई गई, जिससे कि कंटीन्युअस फ्लो, यानि एक धारा गंगा की डैम होने के बावजूद बनायी गयी, लेकिन आज जो डैम्स बन रहे हैं, जिनके बोर में चर्चाएं हो रही हैं, ज्यादा ये सारे डैम्स तथाकथित डैम्स हैं, यानि रन ऑफ दि रीवर हाइड्रो प्रोजैक्ट्स हैं, जिनसे हमको उम्मीद तो नहीं है कि ये हमारी अविरल धारा पर कोई प्रभाव डालेंगे, लेकिन डर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है।

मुझे यहां सदन के सभी लोगों ने कहा कि हमारी जो गंगा जी हैं, वह आज एक नेशनल रीवर डिक्लेयर होने के अलावा एक नेशनल प्रोजैक्ट की तरह देखी जाती है। मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार का था, पर आज इस बात पर कोई भी विवाद नहीं है कि आज गंगा मां की निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता और उसकी अविरल धारा पर ग्रहण लग चुका है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, वह लगा है। एक जो बच्चा होता है, वह भी अनाथ हो जाता है तो बिल्कुल असहाय सा हो जाता है। उसी तरह गंगा मां के साथ अगर इस तरह की उदासीनता है, इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है, उससे एक तरीके से हमारी पूरी सभ्यता, हमारी संस्कृति अनाथ हो जायेगी। यह बात हम लोग महसूस करते हैं।

कुछ ही दिन पहले एक आई.आई.टी. के प्रोफेसर थे, वे 80 साल की उम्र में फास्ट अनटू डैथ पर बैठे थे, उन्होंने गंगा के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के आश्वासन पर 23 मार्च को उस समय तो अनशन तोड़ दिया, लेकिन उसका फायदा हमें यह हुआ कि नेशनल गंगा रीवर बेसिन एथारिटी की एक मीटिंग बुलाई गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता की और जल्दी से जल्दी इस मामले पर कोई कार्रवाई हो, इस पर निर्णय लिये गये।

इस पर कितना पैसा खर्च होगा या हो चुका है, इसमें कोई असत्यता नहीं है कि अभी बहुत कुछ खर्चा होना है। अभी मैं किसी माननीय सदस्य को सुन रही थी कि 18 हजार करोड़ रुपये खर्च है, मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड बैंक हो, 18 हजार करोड़ हो, इसका कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

गंगा जी के लिए हम कोई मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते कि इतना ही खर्च होना है। जितना खर्च होना है, मेरे ख्याल से अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे जैसी महिलाएं अपने घर से निकाल कर देने को तैयार हैं, लेकिन गंगा की शुद्धि करने में हम लोग पूरा उसमें योगदान देंगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, मेरे ख्याल से यहां पर सदन में बैठे सदस्यों की या हमारे देश के हर निवासी की कुछ जिम्मेदारी है, कुछ उसमें हिस्सेदारी है और इस तरह मैं यह कहना चाहती हूं कि गंगा को अगर बचाना है तो सिर्फ उस पर बात ही नहीं, बल्कि कुछ काम करके दिखाना होगा। यहां पर लोग बात करते हैं, लेकिन औद्योगिक प्रदूषण, जो अशुद्ध चीजें सीवेज के द्वारा हमारी गंगा में डाली जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना अब अनिवार्य है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो एंटी पोल्यूशन मेजर्स के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता व धन आबंटित किया है, लेकिन उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन राज्य सरकारों द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा उस तरीके से नहीं हुआ है कि हम उससे खुश हो सकें। अगर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट चलेगा ही नहीं तो मेरे ख्याल से हम लोग भूल जाएं कि कोई हमारी अशुद्ध चीजें गंगा जी में नहीं बहेंगी। आज अशुद्ध चीजें गंगा जी में बह रही हैं। बिजली और विकास के नाम पर अनगिनत बांधों का निर्माण हो रहा है, मैं मानती हूं कि इसे रोकना आवश्यक है। हमें बिजली चाहिए, हमें विकास चाहिए, लेकिन गंगा को दांव पर लगाकर नहीं चाहिए। यह आधुनिक और तकनीकी जो युग है, उसमें हम लोग सोच-समझकर कोई तरीका निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों का विकास भी हो, हमें बिजली भी मिले और गंगा जी को कोई तकलीफ न हो। रिन्युएबल एनर्जी हाइड्रो पॉवर के अलावा कुछ मुमकिन नहीं है, अगर हम कोयले या गैस की बात करें तो हमारे पास ये पर्याप्त कभी नहीं होंगे, यह हाइड्रो पॉवर से ही होगा। इसमें भी हमें सोच-विचारकर आगे कदम उठाना पड़ेगा।

मैडम, शंकराचार्य जी के एक शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनसे मेरी बात हुयी। वह इस वक्त काशी के तट पर इस मुद्दे को लेकर अनशन पर अपने कई सहयोगियों के साथ बैठे हैं। पहले भी कई लोग इस पर बैठे थे और उन्होंने गंगा की चिंता के विषय पर आवाज उठायी थी। धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन धैर्य कुछ टूटता सा नजर आया, इसलिए मैं यह बात कहना चाहती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस धरने पर यह है कि कई एक्टिविस्ट पुत्र यानी देश के पुत्र इस पर आगे बढ़े हैं, लेकिन आज एक महिला, देश की एक पुत्री पूर्णिमा जो हैं, जो एक साध्वी हैं, उन्होंने 260 घंटों से जल ग्रहण नहीं किया है। उनके होंठ सूख गए हैं, शायद वह कोमा में चली जाएं, उन्हें हास्पिटल ले जाया गया है। यहां इस सदन के माध्यम से मैं आपको, इस सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है।

मेरे ख्याल से इस देश की सभी बेटियों की बात है। हमको विकास चाहिए, हमको बिजली चाहिए, लेकिन हमें गंगा मां भी चाहिए। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, इस चर्चा पर दो घंटे आबंटित किए गए थे, किंतु विषय की गंभीरता को और सदन की भावना को देखते हुए मैंने इस विषय पर चार घंटे से ज्यादा का समय दे दिया है। अब बाकी बचे सदस्यों से विनती है कि वे अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दें।

माननीय मंत्री जी।

*DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): This subject is very important for the entire country and profoundly sensitive for a large section of people of India and Bangaldesh. It is an international river and its pollution and exploitation have implications on the people of the countries on which this great river flows.

The measures adopted and being taken are not up to the mark and not capable of protecting the interest of our people. Acts, Rules, Regulations are being violated years after years by moneyed people, by those who are close to power or can manipulate the power that be and our Central and State Governments in possession of laws, law keepers, Judiciary and penalty executors seem to be disabled and paralyzed to deliver stringent action against the miscreants.

This exploitation of natural resources including rivers is a phenomenon seen world wide due to moribund condition of capitalism. This capitalist system is ruthlessly exploiting rivers, water, sea, minerals, forests and all other natural resources for the individual gains and maximum profit of the capitalists, imperialists, corporates and multinationals. They never bother what will happen to the country or to its general population.

For that reason, Ganga river bed is not cleaned of pollutants and silts, embankments are not strengthened and digging is not done where it is necessary to maintain flow and contain flood.

Nearly 200 dams from upstream to down up to Farakka are practically killing and drying the river years together. After Gangotri, within 100 kms, so many hydroelectric projects have been built up, that in around 30 kms, stretch the river is lost, no flow existing at all, totally dried down.

---

* Speech was laid on the Table

These are not made for benefit of local people or farmers but mainly to make profit by producing and selling electricity. Many private, semi-private companies are working in the power projects. Huge capitals are involved. Who will take care of that? Whether our Government Departments will act as per law or not that, I would like to know. The Government must stop any illegal project having dams and diversion of river and miscreants must be punished exemplarily. Besides, international covenants and norms, demand for consultation and consent from the river sharing countries, which has not been done here with downstream Bangladesh. Waste dumping, effluents drainage without treatment have become a mindless practice in almost every part of the river. Government, PSUs, semi-Government, private industries are discharging tons and tons of pollutants. Dolphins, Hilsa and other precious water creatures are not being found now a days. Industries are flouting laws, on the plea that they had to invest huge sums for treatment plants and if they are forced to close by statutory bodies, then employees will suffer due to closure, they argue.

But river pollution is just like slow poisoning. It has its long term effect on our population and civilization. On Hooghly river - Nayachar project - for any sort of Chemical Hub should be rejected for good to save rich biodiversity, people, animals, crops of West Bengal.

Ganga Basin Flood Control Commission Authority should come forward to control flood in Ganga river itself and in all its tributaries. One flood control Master Plan, Ghatal Master Plan in the State of West Bengal covering the districts of Hooghly and Midnapore is long pending. I along with representatives of local affected people met Water Resources Minister on this project. He assured me to expedite the work. It should be expedited.

Mother, we call most respectable but we exploit and neglect them most. We call our women as most valuable but exploit them to the extreme. Same is the behaviour we and our Government is showing to Ganga river, that is, Gangamata. It requires motherly care and respect from the Central Government.

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): The conservation and preservation of Ganga river is essential. A number of discussion had taken place in this august House regarding purification of Ganga water.

The Ganga river started from Gomukh glaciers, Gaungotri from Uttarkashi district of Uttarakhand State. It is having the length of 2550 kilometers traveling between UP, Bihar, Chattisgarh, West Bengal and up to Bay of Bengal.

More than 200 Hydro power projects are constructed within the purview of the river. Most of the people from the above State are getting water for cultivation and also used for drinking purposes.

The Ganga river now-a-days is polluted. Even though Government spent a lot of money for the conservation work still it is a problem to accomplish the task of purification.

The whole nation and all the rivers are facing the same problem. In our Tamil Nadu, Tirunelveli District, Thaamirabharani is an important river which is facilitating for cultivation to the tune of Rs.50,000 crores. But now-a-days, it is also polluted due to industrial waste and the sewerage water is entering in it.

The Ganga Water is also polluted due to the various reasons. Once upon a time the Ganga water was considered as holy water. People worshiped Ganga water for a long period of time.

But now the water is polluted because of all the waste, hazardous materials, passing of drainage water and pouring industrial wastes into the Ganga River.

Whatever it may be the Ganga water should be purified. The Central Government and the State Governments have the responsibility and accountability to make it clean.

The general public should also take much care to protect this holy river.

So, with the co-operation of all the public and Government machinery we can make all the water resources clean. Otherwise all the efforts of Government

* Speech was laid on the Table

will be futile one. Government should take much more efforts to make the river clean.

In order to clean all the rivers, we need a National River in which the surplus flooded water can be poured. That water can be utilized during dry season. During the dry seasons, the Ganga, Yamuna, Saraswati, Cauveri, Thaamirabharani, and almost all the rivers of our country are polluted. In this dry season, the polluted water can be removed from dried rivers by getting the water from National River.

But that way, we can bring a solution to protect the river water.

***श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) :** मैं गंगा नदी के संबंध में निम्न बातें कहना चाहता हूं-

- छोरा गंगा किनारे वाला ।
- गंगा ते दर्शनार्थ मुक्ति भवः ।
- गंगा, अक्षवट वृक्ष आज भी है अंदर किले के ।
- गंगा मेरी मां का नाम बाप का नाम हिमालय ।
- हे गंगा मईया तोहें पियरी चठै बै ।
- राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते ।
- आपकी कविता का सम्मान करता हूं । आपने विस्तृत वास्तविक सामयिक चित्रण प्रस्तुत किया ।
- महाकुंभ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 12 से 15 करोड़ लोग स्नान करते हैं ।
- पानी नहीं आता । साधु-संत आंदोलन करते हैं । हाईकोर्ट का निर्देश पर थोड़ा-बहुत पानी आता है।
- आपके द्वारा आसन पर बैठकर संचालित करना इस बात का द्योतक है । मां ममता मई स्वरूप है, बचा लें इस गंगा को।

* Speech was laid on the Table

[*]**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** गंगा किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष का मुद्दा नहीं है, जहां एक तरफ गंगा देश के करोड़ों लोगों के लोगों की तो वह सांस्कृतिक धरोहर है, इसलिए गंगा के साथ किसी आम पानी के स्रोत की तरह व्यवहार करना, उसका शोषण करना न केवल भविष्य के लिए आत्मघाती होगा बल्कि अपनी सभ्यता-संस्कृति को और इस देश की पहचान के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा........जिस नुकसान की कभी भरपाई नहीं की जा सकती..........।

गंगा पर जो बांध हिमालयी घाटियों में बनाए जा रहे हैं, मैं सदन का ध्यान उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

गंगा को हमने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया और 2009 के प्रारंभ में प्राधिकरण भी गठित कर दिया और देश के शीर्ष नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, लेकिन उसके बावजूद गंगा पर स्वीकृति पा चुके हाइड्रो प्रोजेक्टस पर काम चलता रहा । प्राधिकरण में हिमालय पर ऐसी विनाशकारी गतिविधियों के गुण-दोषों की समीक्षा तक नहीं हुई, वरन आज भी बांधों की स्वीकृति बिना प्राधिकरण की अनुमति के वैसे ही मिलती जा रही है जैसे कि पहले मिलती थी, बांध निर्माण जैसे अति संवेदनशील विषय को प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखना इस प्राधिकरण की संवेदनहीनता की पोल खोल देता है ।

सरकारी कंपनियों के साथ ही तमाम बड़ी-बड़ी कंपनियां (JP, LANCO, L&T,GVK,GMR etc) हिमालय में इन बाधों के निर्माण के लिए सुरंग खोद रही है, बैराज बना रही हैं, गंगा की हिमालय में ही पूरी तरह से भ्रूण हत्या कर देने की तैयारी है। मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि बांध (जिनको ये लोग 'रन ऑफ द रीवर' के नाम से बोल रहे हैं) बनाने के लिए पहले पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत पड़ती

[*] Speech was laid on the Table

है, जिसके लिए पहले environment impact assessment(EIA) करवाने का प्रावधान है। सबसे मूलभूत दोष तो वहीं आ गया था क्योंकि बांध निर्माण की स्वीकृति के लिए करवाए जाने वाले ये सारे EIA खुद बांध निर्माता कंपनियों ने ही करवाए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इन पर्यावरणीय अध्ययनों का अधूरा और कंपनियों ने ही करवाए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इन पर्यावरणीय अध्ययनों का अधूरा और कपनियों के पक्ष की तरफ biased होना लाजमी है। लेकिन प्राधिकरण अब भी इस विषय पर मौन है और राष्ट्रीय नदी के नाम पर गंगा के साथ और भी तेजी से यह खिलवाड़ उसके स्रोत हिमालय में ही बदस्तूर जारी है। (पेपर रिपोर्ट.......)

अभी हाल ही में एक बड़ी घटना उजागर हुई है जिसमें बांध निर्माता एक प्रमुख कंपनी जे.पी. ग्रुप पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने न केवल 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है बल्कि इस कंपनी के एक प्रोजेक्ट को बंद करने का भी आदेश जारी किया है क्योंकि वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हासिल कर ली थी।

गंगा की धाराओं (मंदाकिनी, अलकनंदा) पर भी ये पॉवर प्रोजेक्ट ऊपर हिमालयी घाटियों में लग रहे हैं, वहां की सीधी-साधी ग्रामीण जनता को विकास के सब्जबाग दिखा कर इन पर काम शुरू किया गया, लेकिन इनके भारी दुष्प्रभावों जैसे, ब्लास्टिंग से मकान में दरारों, भूस्खलन, भू-धंसाव, पानी के स्रोतों के सूखने आदि के सामने आने पर आम जन इनके विरोध में लामबंद हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिंडर नदी घाटी में तो लोगों ने भारी विरोध कर बांध परियोजना की जनसुनवाई तक नहीं होने दी, मंदाकिनी घाटी में पुरूषों के साथ महिलाएं तक इन बांधों का विरोध करने व अपने पर्यावरण की रखा करने के जुर्म में जेलों में डाल दी गयी । उत्तराखंड की सरकार तो सदैव कंपनी के हितों के संरक्षक नजर आ रही है, गंगा-हिमालय और इस देश की संस्कृति की चिंता उसे नजर नहीं आ रही ।

जहां एक ओर कैग की रिपोर्ट में इन बांधों में व्यापक पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता दर्शाई है, बांधों में रोके जाने वाली उपजाऊ सिल्ट के दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक की कृषि योग्य भूमि पर क्या पड़ेंगे इसको भी नदरअंदाज किया जा रहा है, गंगाजल की विशेष गुणवत्ता बांधों में रोककर समाप्त हो रही है, इस बात को भी अब वैज्ञानिक रिपोर्ट उजागर कर रही हैं। WII की रिपोर्ट व हिमालय के संवदेनशील पर्यावरण को देखते प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य भी इनके निरस्तीकरण की बात उठा चुके हैं ।

गंगा के प्रति सबसे बड़ी उदासीनता का प्रमाण तो दुनिया ने तब देखा जब देश का 34 वर्षीय एक युवा साधु स्वामी निगमानंद हरिद्वार के अंदर गंगा में होने वाले अवैध खनन के विरूद्ध संघर्ष करता हुआ बलिदान हो गया । महीनों तक उच्च न्यायालय में चले केस में विस्तृत अध्ययन चर्चा के बाद स्वयं उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में वहां चल रहे अवैध खनन से हो रहे पर्यावरण के विनाश को दर्शाते हुए तत्काल उसे रोकने व इन गतिविधियों में शामिल लोगों का क्रेशर बंद करवाने का आदेश दिया। बाद में तत्कालीन सरकार ने भी कुंभ नगरी में गंगा पर खनन प्रतिबंधित किया, किंतु ये समझा आते-आते बड़ी देर हो चुकी थी , स्वामी निगमानंद तब तक नहीं रहे ।

अब उत्तराखंड की नई सरकार फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आमदा है, व न केवल हरिद्वार में गंगा में खनन खुलवाना चाह रही है, बल्कि गंगोत्री घाटी में गंगा पर निरस्त किए जा चुके बांधों को फिर से शुरू करवाने की बात कर रही है।

आज देश की जनता हमसे पूछ रही है कि जिस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हजारों लोगों ने अपने कुर्बानी दी। उसी देश की संस्कृति, उसकी आस्था, उसकी पहचान मां गगा को क्या यह संसद उत्तराखंड सरकार के आर्थिक हितों पर कुर्बान करने को तैयार हो जाएगी ।

इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि तुरंत हिमालय में गंगा पर निर्माणधीन व प्रस्तावित सुरंग व बैराज आधारित विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगे, 'बिजली के तो बहुत से विकल्प हैं लेकिन गंगा-हिमालय जैसी धरोहर का इस संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है' इस बात को मद्देनजर रखते हुए गंगा व हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप तथा उसकी संस्कृति को बरकरार रखते हुए वहां के लिए विकास नीति तय की जाए।

***प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र):** गंगा के साथ बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है । हमारे माननीय सदस्य चिंतित है कि गंगा प्रदूषित हो रही है । यह वास्तव में चिंता का विषय है । गंगा जमारे भी निर्वाचन क्षेत्र पाटलिपुत्र, पटना क्षेत्र से गुजर रही है और आगे गंगासागर में जाकर मिल रही है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने नियम 193 के अधीन गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए प्रस्ताव लाए है । इस विषय पर भिन्न-भिन्न पार्टियों के माननीय सांसदों ने जैसे श्री सतपाल महाराज, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, डा. रत्ना डे और कई अन्य माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और अपनी-अपनी राय और विचार विस्तार से रखे हैं ।

गंगोत्री से गंगासागर की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है । जहां से छोटी-छोटी नदियां निकलती हैं तथा वह देवप्रयाग में मिल जाती है ।

चर्चा के दौरान, टिहरी डैम, अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल की चर्चा की गई है । साथ ही मैं, हरिद्वार-बैराज, बिजनौर-बैराज और छोटे-छोटे डैमों की भी चर्चा की गई है । पानी के क्या हालात है इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता ।

माननीय सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री थे उन्होंने स्वयं भी इन सारी बातों की चर्चा की और विस्तार से की तथा पूर्व में उनसे जो गलतियां हुईं उस पर सदन में अफसोस जताया ।

---

*Speech was laid on the Table

गंगा प्लान फेज-। 1985 से शुरू हुआ । दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 27 वर्षों तक तथा 1314 करोड़ रूपये खर्च होने पर भी गंगा का पानी अभी तक अशुद्ध है । सरकारी प्रयासों के बावजूद लगातार बड़ी नदियों में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है और जो पवित्रता गंगा के पानी में पहले थी अब उससे भी बुरी हो गई है । प्रयाग, इलाहाबाद में कभी गंगा का जल प्रवाह कल-कल आवाज करके बहता था अब वह नाले में तब्दील हो गया है । और गंगा नदी में पानी न के बराबर है और नदियां सूख गई हैं ।

मेरा इस विषय पर यह कहना है कि पानी का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं है क्योंकि पानी राज्यों का विषय है ।

गंगा नदी में जो प्रदूषण है इससे निदान भी दिलाना है । मैं समझता हूं कि इस समस्या का निदान राज्यों की आपसी सहमति से ही संभव है । इसे सहमति-सूची में लाया जाए ।

अतः मेरा सुझाव होगा कि इस समस्या को हल करने के लिए सदन पहल करें और मैं आग्रह करूंगा कि एक ऑल पार्टी ग्रुप का गठन किया जाए जो राज्यों से बातचीत करके इस समस्या को सुलझाए और वहां जो कार्य चल रहे हैं उसे रोका जाए ।

*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): The river Ganga is not merely a river and the Himalaya are not mountain but they are linked with our great civilization and culture. The Ganga has been declared as a National River and the Ganga is getting polluted and the Himalayas are being subjected to ruthless exploitation. This is really a cause of concern. The valleys of the Himalaya are rich in water, forests and natural resources but the State Governments are hell bent upon destroying these resources mainly producing power of generating power.

The total generation of power from all the dams in respect of the State is more. Madam Speaker, I would like to say that when the energy requirement of the country grew, it was thought later that there are also other sources like coal and other renewable energies.

Along with Ganga its tributaries like Yamuna, Krishna, Godavari, Cauveri, Tungabhadra are also in a bad condition. These are very important rivers across the country. They are linked with one another.

All rivers are having rich minerals and gas basins and valuable things. We protect our resources. We protect our rivers from pollution, encroachments of the river beds from illegal lifting of sand mines. Not only that. It will protect our needs mainly for usage of drinking water, agriculture and other needs.

We are containing the global warming. This is high time to protect our rivers, mainly Ganga river from industrial waste, pollutants, discharges and release of municipal wastes, plastic wastes. We should strictly control all this. Ganga is not a river. It is the life of the nation. Lakhs and lakhs of people go there and take holy bath. In Hindus, taking a holy bath at Ganga river is considered as "washing of one's sins". The river water of Ganga is like nectar and is never spoiled even if it is kept for months together. It is a flowing river. But what is happening today?

---

* Speech was laid on the Table

The water of river Ganga is dirty and not fit for drinking and irrigation purposes. As such desilting work has not taken placed for years, floods are recurring year after year damaging not only property and crops but also heavy loss to human lives.

An Action Plan for development of Ganga was set up under the Chairmanship of the then Prime Minster Shri Rajiv Gandhiji for whom this is a pet project.

An objection has been made about building of dams to check water on Ganges. Dams are built to store water for irrigation purposes and also to generate electricity. These are infrastructural requirements which are required for development of the country. There has to be a balance on environment and development. I think the Government is doing its best to maintain both aspects.

Like Ganga, we have Krishna and Godawari rivers in Andhra Prades. Both are inter-estate rivers. Though they are not as large as Ganga, yet they are part and parcel of life of not only Andhra Praesh but also Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Odisha.

Lakhs of acres of crops are irrigated by these rivers. Many large and small dams have been built on these rivers. Many hydro power projects have been undertaken. These rivers quench thirst of crores of population.

But these rivers are also need to be developed. They are required be cleaned, desilted and dredging works should be undertaken so that those rivers can became clean and help in irrigation of more crops.

I, therefore, demand that an Action Plan to clean and develop Krishna and Godavari Rivers should be prepared. Adequate allocation of funds should be made for this purpose.

The Chief Minister of Andhra Pradesh should be the Chairman and the Chief Ministers of Maharashtra, Karanataka, Tamil Nadu and Odisha should be the Co-Chairmen. A representative of the Ministry of Environment of Forests should also be appointed.

***श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर):** गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए मुझे कहना है कि गंगा नदी इस देश की करोड़ों-करोड़ लोगों की आस्था का केन्द्र है परंतु इस समय गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है । गंगा नदी में स्नान करने से रोग ठीक हो जाते थे परंतु वर्तमान समय में गंगा जी में स्नान करने से लोग रोगी हो रहे हैं । गंगा जी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि गंगा नदी में गिरने वाले नालों व कल-कारखानों के कचड़ा-युक्त दूषित जल को गंगा नदी में गिरने से तत्काल रोका जाए व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता बढ़ाकर सीवेज व दूषित पानी को साफ करके ही गंगा नदी में गिरने दिया जाए।

गंगा नदी पर बनाए जा रहे बांधों को हटाकर व गंदे नालों व सीवेज पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के माध्यम से साफ करके क्षमता ही गंगा जी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है और गंगा जी की अविरल धारा को बनाए रखा जा सकता है ।

---

* Speech was laid on the Table

[*]SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): I am happy to have got an opportunity to place before this august House my views pertaining to the steps to be taken to save the River Ganga from pollution and the House now has taken up a discussion on that under Rule 193.

The huge perennial water system called River Ganga travels through six States of India covering a distance of 2,500 kms. before it could meet the Bay of Bengal, its confluence point from the point of Himalayan heights at a height of 4,000 ft. and more.

Ganges gets polluted both by human beings and through the man-made industrial effluents and other artificial things. Both the Governments at the Centre and States are all concerned and are now contemplating steps to overcome this problem as it is impending on them to see that River Ganges that is considered to be one of the ancient sacred rivers of India. There are no two opinions that this has to be taken up urgently, on a war footing to save this river for all years to come.

As a first step, people must be educated to see that they do not pollute the rivers and river banks in the name of religious ceremonies. Allowing the industrial effluents to flow into this river system must be completely stopped forthwith. Not only River Ganges, but all the rivers of the country from Kashmir and Kanyakumari, that are national assets, must be protected and conserved from being polluted any further. Sewerage and semi-solid wastes from almost all the towns by the side of River Ganga flow into this river and that needs to be curtailed and banned once and for all. Only when river waters flow smoothly on the surface of its course, it can help augment the ground water potential. We are all dependent on ground water resources for drinking water purposes. Hence it is imperative that rivers must remain clean and must be cleaned on a war footing if they are polluted.

---

[*] English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.

A national awakening will help us to conserve our river water systems and hence we must nationalize all the rivers as they form the basis of human life. With these words, I conclude.

***श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):** नियम 193 के तहत माननीय कुवर रेवती रमण जी द्वारा गंगा नदी एवं हिमालय के संरक्षण पर्यावरण से सुरक्षा के संदर्भ में मैं कुछ बिंदुओं पर कुछ सुझाव एवं बातें रखना चाहता हूं ।

गंगा नदी ही नहीं हमारी मां है । जाति संप्रदाय धर्म, समुदाय के ऊपर उठकर आदरणीय हैं । मानव जाति को एकता के सूत्र में पिरोती आई है । हमारी आस्था की प्रतीक हैं । इन्हें राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है । हमारी सांस्कृतिक धरोहर है । आज इनकी अविरल धारा प्रभावित हो रही है । प्रदूषित हो रही है ।

गंगा नदी से हमारा संबंध जन्म लेते ही शुरू हो जाता है मृत्यु तक चलता रहता है । हमारे देश की पवित्र नदी ही नहीं यह जीवनधारा हैं । देश के छः प्रांतों से 2525 किलोमीटर तक चलकर 40 % लोगों के जीवन से संबंध रखती है । कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, पेयजल प्रदान करती है । वेदों में कहा गया है -"गंगे तव दर्शनात्.मुक्ति"
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है , लोक उदाहरण देते हुए उसे दाद देते हैं- जब लगि गंग जमुन जल धारा। अचल होहि अहिवात तुम्हारा ।

गंगा नदी प्रदूषित हो गई है । 29 शहरों से बहती है फैक्ट्री का गंदा पानी गंगा नदी में उड़ेला जा रहा है " हम गंगा एक्सन प्लान " के द्वारा करोड़ों रूपए सफाई पर खर्च कर रहे हैं किंतु वह सफेद हाथी हो रहा है। जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है गंगा की दशा सोचनीय बनती जा रही है । गंगा नदी की अविरल धारा रोकी जा रही है । इन्हें सुरंगों से निकाला जा रहा है । प्रारंभ में ही उद्गम स्थल के बाद कई बांधों का निर्माण किया गया है । इको जोन में भी बाँध बनाए जा रहे हैं।

जैसे करमोली डेम 2. जदगंगा डेम 3 जलंधरीगढ़ डेम तक इसके अलावा टेहरी डेम तक मनेरी माली बांध । मनेरी माली बांध ।। तथा ।।। बनाया गया । देश की सभ्यता संस्कृति की धरोहर गंगा मां को। कहां ले जाना चाहते हैं

---

* Speech was laid on the Table

महोदय आपने अपने एक रचना में कहा है

बहुत उदास बहती है

"गंगा शब्द बेमानी,
आरती में सुर नहीं शोर है ।
पतित पावनी को घेरे मलिनता घोर है ,
समेटे कलुष हमारा तुम्हारा ।
बहुत उदास बहती है गंगा ।।"

आज हमारे आस्था की प्रतीक गंगा मैली ही नहीं उनका लोप होने जा रहा है हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी । आंदोलन हो रहे हैं । धरना, प्रदर्शन हो रहा है । गंगा की पवित्रता एवं अविरल धारा के लिए । हमारा क्षेत्र पवित्र नगरी काशी तीर्थराज प्रयाग के मध्य भदोही क्षेत्र है । हमारा गांव गंगा नदी के किनारे बसा है । हम गंगा की पवित्रता, अविरल धारा , प्रदूषण एवं जनभावना से भली-भांति परिचित है । हमने 40 वर्ष के पूर्व की गंगा नदी को देखा है आज गंगा नदी की दुर्दशा भी देख रहे हैं । हम हमारा समाज, देश आने वाले भयावह कल्पना से भयभीत हैं । बाँधों का निर्माण हिमायल के. वृक्षों की कटाई देश के एक भयानक दौर को आमंत्रित कर रहा है ।

मैं मांग करता हूं देश की अस्मिता को बचाने के लिए हमारी आस्था की प्रतीक गंगा नदी के अविरल धारा के प्रवाहित रहने तथा प्रदूषण से बचाने के लिए देश-प्रदेशों पर जिम्मेदारी न छोड़ें बांधों से मुक्त करें । इस विषय को " कनकरेंट लिस्ट " में डालकर हस्तक्षेप करें । वाराणसी तथा देश के अन्य भागों में हो रहे आंदोलन के दर्द को समझे । गंगा नदी तथा हिमालय पर्वत की सुरक्षा, संरक्षा के लिए ठोस कार्यवाही करें । केवल सदन में जवाब देकर (इतिश्री) समाप्त न करें । यदि सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो देश में आंदोलन होगा गंगा हमारी मां है मां की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam Speaker, I thank you very much. I have heard with very great interest and with very great seriousness the interventions of all the hon. Members. In fact, the topic of the discussion, the threat posed to the existence of the River Ganga and the Himalayas due to their ruthless exploitation, was discussed for over four hours in the last Session with the same mover of the Resolution and almost the same speakers. However, it is a measure of the importance of the discussion that you yourself, Madam, have not only allowed the discussion but you yourself have been gracious enough to sit through the entire discussion, both when it began and also as it is continuing today.

Madam, before I go into the issues raised by the hon. Members - both the emotive issues as well as the very specific and important issues that have been raised in all the speeches of the hon. Members - I would like to say with great respect that the poem that you yourself have written, which was read out in this House, for me, that alone would have been enough to be an essence of all the speeches that were made in this House. That alone would have been the essence which encapsulates the emotion, the feeling, the concern, the involvement and the way the holy River Ganga is intertwined into the very tapestry of our lives, of our faith, of our spirituality, of our thinking and the every essence of our nationhood as a national river. So, I would express my deep gratitude to you, Madam, for allowing us this opportunity for the hon. Members to express their views and for me also to express to the House, through you, and to the country what the Government is doing, how seriously we take the holy River Ganga, what are the steps that the Government is taking to protect the holy river from ruthless exploitation and how deeply committed this Government is to do whatever we can.

Madam, I would like to once again thank you for the wonderful words that you have written in your poem; for the importance that you have given to this discussion; and for being here today so that we are able to convey to you and through you to the entire House and the country as to how important this entire issue is.

Madam, as I said the river Ganga is woven into the fabric of our lives. As many hon. Members have pointed out, the river originates at the Gangotri; everybody has pointed out that it runs through 2,525 kms; 11 States; 14 rivers flow into the river Ganga; there are 434 million people in the Ganga river basin in the 11 States who depend -- for their lives and livelihood apart from the emotional aspect -- upon the holy river and upon what comes out of the holy river and for emotional sustenance. The river means something extremely important to the entire country. So, my point really is that the holy river Ganga is not something that is the monopoly of any one person; any one State; and any one region, but it is a river, which belongs to the country. It is inter-twined with the faith, tapestry, nationhood, patriotism, the emotions, and the feeling of every Indian.

I come from Tamil Nadu, and I grew up hearing stories about the holy river Ganga. So many hon. Members narrated so many beautiful stories. But the stories that I have heard of how in the vedic version, Lord Indra, the Lord of Svarga slays the celestial serpent, Vritra, releasing the celestial liquid, the soma or the nectar of the Gods, which then plunges to the earth and waters it with sustenance. This is the holy river Ganga.

In the Vaishnava version, which my Grandmother taught to me, Lord Indra is replaced by Lord Vishnu and the heavenly waters are now a river called Vishnupadi -- from the foot of Lord Vishnu. This is the beautiful story that I heard and which I remember till today. In his Vamana avatar, when he takes three steps to span the earth, the heaven and the netherworld, with his third step, he stubs his toe on the vault of heaven; punches open a hole; and the holy river Ganga flows through that hole and comes down through the Milky Way; arrives on the Moon;

arrives atop Mount Meru into the shape of a beautiful lotus flower created by Brahma; and through the petals of that lotus flower flows down to the continent as the Alaknanda and as Bhagirathi.

In the Puranas, there is the beautiful story of Lord Shiva of how after incurring the wrath of Sage Kapila, King Bhagiratha -- many Members have referred to it -- prayed that the holy river should come down to cleanse and to find the 60,000 sons of King Sagar who had been condemned for ever to remain in *patala* or the netherworld and when Gangaji decided to come down, she decided to come down with all her might and wash away the entire earth. Then when they prayed again that she should not wash away the entire earth, Lord Shiva said that he would take her on his head and then let her down to earth after her anger is over. Therefore, she is also known as Triloka-patha-gamini as she flows in heaven, earth and netherworld.

I have visited the holy river for *shraddha* ceremonies because this is the only river, which is a *tirtha* or the crossing point of all beings, and all the hymns devoted to the Ganga show that this is the reason why in all rituals there is no other river, which flows in the heavens, on earth, and in the netherworld.

Madam, I straightaway want to go to the subject, but I want to add one final line. All my friends here, hon. Members, have quoted various stories about the *Ganga*. But I would like to read from the *Skanda Purana*. I am reading in English; the original is in a beautiful language.

> "One should not be amazed…that this *Ganges* is really Power, for is she not the Supreme Shakti of the Eternal Shiva, taken in the form water?
>
> This *Ganges*, filled with the sweet wine of compassion, was sent out for the salvation of the world by Shiva, the Lord of the Lords.
>
> Good people should not think this Triple-Pathed River to be like the thousand other earthly rivers, filled with water."

Therefore, Madam, it is said:

> "The *Ganges* is the distilled lifeblood of the Hindu tradition, of its divinities, holy books, and enlightenment."

It is for this reason, Madam, that the worship of *Ganga* does not require *avahana* or *visarjana*, invocation or dismissal.

It is also a holy river, Madam, for all the people in the country of whatever religion, and a source as a mother.

Madam, the emotive importance of the holy river cannot be underestimated nor does the Government underestimate it. It means all things to all people.

The first point I wish to place before this hon. House, through you, is please do not make it an issue that spans narrow concerns. It is an issue that concerns all of us. It is an issue which is extremely important for the Government. We are committed to ensuring the *aviral dhara*, the *nirmal dhara,* the purity and the flow of the holy river *Ganga*. Never will we allow the holy river *Ganga* to dry up or to get totally polluted by our actions. This Government is committed to seeing, Madam, that not only… (*Interruptions*) hon. Member, you can speak, if you like. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please listen to the Minister.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We are totally committed to this project. Hon. Members have raised many points. I want to say with great respect, Madam, without meaning any disrespect, that if we need to debate this topic – I think, hon. Member Shri Anant Geete Ji was absolutely right – this is not a subject which relates to one Ministry alone, however, I respond because this is the Ministry that is in-charge of the National Ganga River Basin Authority. There can be no doubt that this is an issue that concerns not only other Ministries, which is Ministry of Water Resources and Ministry of Power, to whom I will convey whatever discussions are going on here, but concerns all the States; it concerns every single one of us sitting over here; it concerns important choices that we have to make; in

a sense, it encapsulates the debate, the eternal conundrum between development and preservation of the environment and the holy river *Ganga*.

As the Minister for Environment, as a person, as a human being, as a citizen of this country, I will always cast my vote to save the river rather than to go ahead with destroying because there are many paths to development, but there is only one river *Ganga*. We cannot be irresponsible. Madam, this earth does not belong to us. We do not inherit this earth from our ancestors, but merely borrow it from them. We need to pass this earth on to our children so that it is given to them if not in the same pure form that we received it, at least, as a trust that we preserve what was given to us by our ancestors.

However, Madam, we need to look at the facts. There are four issues, as far as environment is concerned. The most important issue, undoubtedly, is the issue of dams; the issue of the ecological flow, and whether the hydroelectric projects on the river *Ganga* are preventing the flow of the river because if there is no dilution, what we call 'dilution', if the river does not flow, then there can be no question that the pollution will not decrease. The pollution will definitely increase because there is no dilution of the water and also the water flow gets diverted at various points and then we have also the exploitation of the Himalayas, which is an entirely different issue and I will come to that later.

Madam, therefore, we need to be very clear about the facts and it is my duty to share the facts with the House. Madam, Members mentioned various figures. There are 400 dams, 500 dams and 384 dams. I really do not know where they got these figures. I have the details here. We have only a total of 70 dams. 70 dams means that they are actually working. Only 17 dams are actually commissioned and generating power. Under construction, there are 14 dams. The projects which are in the pipeline are 39 dams. The total number is 70 dams. Madam, it is very important. I am not making this a political issue. I am not trying to score points. I am very anxious to listen. I did not interrupt even when personal remarks were made because I was very anxious to understand the sentiments of the House. But it

is very important to look at the facts. In this august House, if we are going to get around 400 dams or there are 500 dams, it is just not correct. So, the correct situation is that there are 17 dams which are actually generating power and out of those, only 3, the Maneri Bhali – II is generating 304 Megawatts, Koteshwar is generating 400 Megawatts and Tehri –I is generating 1000 Megawatts. All the rest, Madam, are generating 4.8 Megawatts, 24 Megawatts, 3 Megawatts, 1 Megawatt and even the dams which are under construction, only Tehri stage-II is 1000 Megawatts. All the others are generating 4 or 5 except for one or two which are generating 520 or 600 Megawatts. And all dams except Koteshwar and Tehri are run off the river.

Hon.Member Shri Geete once again referred to what is run off the water. The water comes back to the river. Madam, the fact is that the tunnels are blown and the water is pushed through the tunnels. That is wrong. I do understand that is a different issue. As far as the holy river Ganga is concerned, the water comes back. So, it is the run off the river. It is not as if water is taken away from the river. The water comes back and it continues to flow in the river. However, it is a matter that needs to be determined very carefully whether we need to blast those tunnels. Those are the decisions that we have to take for the country as a whole. All of us have to decide. No one person or no one government can decide. It is a people's decision. It is a people's movement. Do we want to do this or do we not want to do that? But the fact of the matter is that there are 70 dams. The mover of the resolution Shri Rewati Raman Singh said that he himself was in fact was Irrigation Minister of Uttar Pradesh when Tehri was first commissioned and he made a mistake that Smt. Maneka Gandhai was Environment Minister and she did not want to give the permission but he persuaded her. There were many protests at that time. There were many protests at that time against the Tehri dam. All of us remember Shri Sundarlal Bahuguna and the protests had happened at that time because it was an earthquake prone zone. But Shri Rewati Raman Singh said that he regrets it and he wishes to do penance or atonement for what he did. The

reason that I mentioned this Madam is not to score a political point. What I am saying is a Government of a day takes decisions, you take it in the best interests of the people of this country hoping that this will be to the larger public good. Later, if you find you made a mistake, we all need to sit down together and decide how to solve that mistake.

So, about hydro power projects, I wish to tell the House that this is the status, these are the projects and there is no doubt that there are certain problems with these projects including the problem of relief and rehabilitation. Most of the projects are run off the river. The Government has taken the extreme step. The Government has taken the extreme step of closing down three projects. One is an NTPC project. Three hydro electric projects were closed down by the Government as hon. Member Anu Tandon had mentioned at a cost of over a thousand crore rupees because the Government believed that it is important to maintain the flow of the river, that it is important to make sure that the flow of the river is not impacted. I heard all the Members speak. I have not heard about all the suggestions. Do they want all these dams? First of all, as I said, it is not 400 dams. It is actually only 70 dams. Do they want us to not proceed? These are decisions which all of us have to take.

We had a meeting of the National River Ganga Basin Authority. I have here what the Chief Ministers over there have said. I do not wish to waste the time of the House. I wish to go on to the next point. All the Chief Ministers of the Ganga Basin Authority, not one of them said it. I can read it in short. I have it here. Not one of them said that we should close down the dams. It was held on the 17th of April when the Prime Minister had the meeting of the National River Ganga Basin Authority. The Chief Minister of Uttar Pradesh specifically mentioned that it may not be feasible to maintain 200 cumecs of flow from Narora to Allahabad as proposed, for the flow of the River. It is because during the non-monsoon period, the discharge in the River is only 35 to 65 cumecs. He also mentioned that the hon. High Court of Allahabad which considered the matter, ordered fifty per cent

discharge in the River from available flows because they are taking it for irrigation. It is another issue that I am going to bring before you. The Chief Minister of Uttarakhand mentioned very seriously about the sentiments of the State Assembly. Shri Mahatab also mentioned and many Members had also mentioned about it. I too believe that. We have notified a 135 kilometres as an 'eco-sensitive zone' from Gomukh to Uttarkashi. As the Environment Minister, I believe that it should be implemented immediately. I believe that the Ganga should not only be declared as a National River, which the hon. Prime Minister has done, but the entire stretch of the River should be governed by an Act. We have the National Commission for Women. We have a National Commission for Atrocities Against SCs and STs. We should have a Commission which is for atrocities against the Ganga. I do not think that any one part of the River should be left alone. I believe that the entire stretch of the River should be declared as an 'eco-sensitive zone' so that there is no effluent, there is no discharge.

I actually did not take it seriously. What did Shri Sharad Yadav say? He said: जयराम रमेश जी थोड़ा हलचल वाले आदमी थे, यह भली महिला है। उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, उसकी जगह बहुत मजबूत आदमी रख दिया जाए, तब भी कुछ नहीं होगा। I do not know if Shri Sharad Yadav has a pathological hatred. But, Shri Laluji, I am very grateful to you for your support. रेस्क्यू की बात नहीं है। Madam Speaker, you were also kind enough. I am making a different point. I know he has a pathological hatred for all women.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): नटराजन जी को मेरी बात में कुछ ऐसा लग गया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो मैंने गीते जी और कई अन्य सदस्यों को भी बताया, कि यह मामला अकेले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नहीं है। पानी स्टेट सब्जेक्ट है, जब तक इसको कनकरेंट लिस्ट में नहीं लाएंगे, इस सदन के हाथ में शक्ति नहीं आएगी, तो फिर ये सारी चीजें, आपने गंगा की आरती उतारी, दुनिया भर की बातें कही, असली बात तो यह है कि यह गंगा के पानी का सवाल है, उसके एनवायरनमेंट का सवाल है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन थी, मैंने न तो जयराम रमेश जी तारीफ की, मैं शायद स्लिप हो गया, मेरे पास समय नहीं था, किसी ने मुझे टोक दिया था, जिससे मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जयंती जी, आप मूपनार जी के साथ थीं, मेरे मन में किसी भी महिला के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 80 फीसदी महिलओं के हक में

खडा होता हूं, किसी दोषी महिला के नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे आपकी कंपीटेंस पर संदेह नहीं है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन था कि आपके ऊपर जबर्दस्ती भार डाला जा रहा है। जबर्दस्ती लोग आपको इतना कह रहे हैं। आपने जो बात कही, सब सच कह रही हैं कि जो परिस्थिति है, सारी चीजें हैं, अब एक डैम इन्होंने ही बनाया है, रेवती रमण सिंह जी ने। अब बना दिया, तो क्या वह अब मिटेगा? यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सारा का सारा, पूरे देश झगड़ा है।

18.00 hrs

अकेले गंगा का सवाल नहीं है, पूरे देश में नदियों का झगड़ा है। एक दिन इसकी वजह से देश टूट जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के हाथ में अधिकार बहुत कम है, राज्य सरकारों के हाथ में ज्यादा है। इसलिए आप इसे कंक्रेंट लिस्ट में शामिल करें, जब तक ऐसा नहीं करेंगी समाधान होना मुश्किल है। मेरा यही कहना है कि आप इसे कंक्रेंट लिस्ट में शामिल करें तब जाकर इस मामले का हल निकल सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात से आपके मन को ठेस पहुंची है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको दुख देने की। मुझे लगा कि आपको दुख पहुंचा और लालू जी ने और आपको इस तरह से कह दिया। उससे मुझे लगा कि मैंने शायद कोई गलत बात आपको कही। अगर मेरी बात से आपको दुख हुआ है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, it is 6 o'clock now. If the House agrees, I extend the time of the House till this discussion and Zero Hour are over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री लालू प्रसाद: इसे कंक्रेंट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा तो फिर आपका क्या ज्यूरिडिक्शन रहेगा? इसलिए कंक्रेंट लिस्ट में रखने में क्या दिक्कत है, बंसल जी आप जवाब दें?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Thank you, Sharad Yadavji. I was not taking it personally at all. I only mentioned it because you said "कोई मज़बूत आदमी को". But the issue is not really what you said. It is not something that any person can do. It is not a question of a person. It is something that needs the effort of the entire nation, and I am going to tell you the reason why.

There are four main issues that the hon. Members have to know. We have talked about dams. There is a large amount of water, the percentage of which I am not exactly sure but definitely over 70 per cent of the water, of the Ganga which is

taken away by the Ganga canals for agriculture. So, the flow of the river is also disturbed because the water is diverted through canals for agriculture. This is also a decision that the nation has to take.

In the Ministry of Environment the issue that I have to address is whether the flow of water to agriculture, whether power or hydroelectric power projects need to be implemented or dispensed with completely. These are decisions which the nation has to take.

Pollution is something that is directly the responsibility of the Ministry of Environment, and we owe it to the nation to explain as to what steps this Government has taken to address the question of pollution. One more important issue about which one or two Members have mentioned is the question of sand mining as a result of which also the flow of the river has been diverted.

As far as the issue of pollution is concerned, pollution load of the Ganga, what we call the anthropogenic pressure, has been increasing over the years. I want to say one sentence before going into the details that I have. Hon. Members must realize, I do appreciate the sentiments, things are bad. Things are not good, things are still bad. But had these steps not been taken, what would have been the case? Hon. Shri Rajiv Gandhi as Prime Minister gave to the nation the Ganga Action Plan-I in 1985 as a result of which a great deal was done. If that was not done, the result would have been much worse. I am going to read the details.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It would have been a disaster.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It would have been much much worse. Therefore, while thing are bad, I do not think it is correct for us to say that it was a failure.

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): It is a complete failure.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You have said whatever you wanted to say. Permit me to speak.

अध्यक्ष महोदया: आप इन्हें बोलने दीजिए।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I want to bring to the notice of the hon. House that had these steps not been taken, it would have been a much worse situation. Madam, in the entire Ganga basin, approximately 12,410 MLD of sewage is generated, for which the available treatment capacity is only 5,070 MLD. In the main stem of the river Ganga, 2,900 million litres of sewage is discharged everyday from Class I and II towns, and only 1,100 MLD is treated because of the limited infrastructure. Eighty per cent is due to domestic sewage. Hon. Members should know that untreated domestic effluent, fecal called colliform that he spoke about, is the cause for 80 per cent of the pollution. And industrial effluent is actually volume-wise only 20 per cent. But due to the toxic and non-biodegradable nature of the industrial pollution, this assumes a much greater significance. The major contributors are tanneries, distilleries, paper mills and sugar mills; and the stretch from Kannauj to Varanasi is critically polluted. Therefore, we need to have a long-term plan, adequate resources and we need to take corrective steps to take care of the technical shortcomings.

I have already spoken about the ecological flows. Hon. Members mentioned about the consortium of seven IITs. I want to correct a misconception in this House. IITs were given the project of studying how the ecological flows can be maintained in relation to hydro-electric projects. The second important thing that this UPA Government has done is to adopt a cumulative impact assessment approach. A cumulative impact assessment study had also been given to the IITs and to the Wildlife Institute. We have received seven reports; and we have to receive still several more reports. We are in the process of synthesizing those reports. Because of this approach of a holistic river basin, we will study the cumulative impact assessment of all projects of wastes, as a river basin, instead of taking it as a town; and that, we believe, will create much better results.

Hon. Members said that the IITs are actually consultants of dams. That is not true. There is no conflict of interests. The IITs and the consortium of IITs do studies in hydrology for dam construction. But that does not mean that there is a

conflict of interest. They are technical experts in the matter. They are contributing to the study of telling us whether these dams will have an impact upon the flow; and as a matter of fact, from whatever interim reports we have got, they have recommended that there should be a minimum of 20-30 per cent, depending on whether it is monsoon or not, at all times, which means that whatever hydro-electric projects are there, will have to make sure that those flows are there in the river. So, those recommendations are being made, both as a result of the cumulative impact assessment, as well as with a view to maintaining the ecological flow.

Shri Mahtab and others mentioned about the World Bank project. It was signed in June 2011 between the World Bank and the Government of India; it is a project that will be implemented in eight years, with an outlay of Rs.7,000 crore – Centre's share is Rs.5,100 crore and the States' share is Rs.1,900 crore on a 70:30 pattern. The projects that have been sanctioned so far are nearly Rs.2,600 crore under the NGRE, in the States of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar and West Bengal. These include development of sewer network, sewage treatment plants, sewage pumping stations, electric crematoria, community toilets, development of river fronts and other such infrastructure.

The States are encouraged. I have the details; if Members wish, I can give the details. Somebody mentioned that a very small, limited fund is released by the Centre. So far, out of the amount of Rs.2,598 crore that has been sanctioned to various States, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, only an amount of Rs.492 crore has been released and the expenditure, till March, is Rs.318 crore. You may ask, 42 projects were started, why only two projects were completed.

I have the State-wise details and I will tell you that also. In the case of Uttarakhand, the total is Rs. 155.60 crore, the fund released by the Government of India is Rs.36.57 crore, the expenditure till March was only Rs. 16.11 crore. The number of projects not started is four, the number of projects started is 11, the

number of projects completed is zero, and the total number of projects is 15. In Uttar Pradesh, the total amount allotted is Rs. 1341 crore, funds released by the Government of India is Rs.257.64 crore, the expenditure till March is Rs.193.64 crore, the number of projects not started is two, the number of projects started is five, and the total is seven. In the case of Bihar, the total amount allotted is Rs.441.86 crore, fund released was Rs.35.37 crore, the expenditure by the State Government was Rs.17.60, the number of projects not started is zero, and the number of projects started is four. In the case of West Bengal, the amount allotted is Rs.659.41 crore, an amount of Rs.166.48 crore was given to the State, an amount of Rs.90.92 crore was spent by the State, three projects were not started, 21 projects started and two projects were completed. So, the issue really is, Madam that money is with the Government. In fact, I have a problem because I cannot park the money, what is called is parking the money, in my office or in my Ministry. We need to spend the money. We can only spend the money if the State Governments actually implement the projects. I am not passing the blame. I need all your help to think of a way by which we can all do it, whether it is creating an Authority which monitors the spending and has the power to give the money and to establish the projects. Madam, we have a pathetic situation where we allot a vast amount of money and then the State Government – I do not mean any State Government, it is not a political issue – any State Government, the urban local body is not spending that money. The Sewage Treatment Plant is set up, the Central Effluent Treatment Plant for the industry is set up but it does not work because the network of sewage from the residences is not connected to this. Unless the urban local bodies take that action, there is no use of my spending all this money to set up a Sewage Treatment Plant or a Central Effluent Plant. Therefore, the urban local bodies and the State Governments have to take the greatest interest in making sure that these Sewage Treatment Plants work otherwise the dream of zero effluent discharge into the Ganga will never be able to be achieved by 2020. Unless all the States cooperate, this is not something that

the Central Government can do. We do not own any land. It is something that the State Governments have to do.… (*Interruptions*) That is right. That is a problem.

Madam, hon. Shri Rajiv Gandhi envisioned and implemented the Ganga Action Plan. Water quality in terms of Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO) and Fecal Coliform has improved at most locations because of this. So, please do not lose heart. Tomorrow, whoever is in Government, do not lose heart. We are working hard. It is not as if nothing has happened. Let me read the details to you.

The standard BOD is less than 3 mg and DO should be more than 5 mg. Dissolved oxygen is good. In Kanpur the BOD, which is the bad thing, was 8.6 mg in 1986 and 3.8 mg in 2011. In Allahabad it was 15.5 mg in 1986, which was really bad, and today in 2011 it is 5.1 mg. In Varanasi in 1986 it was 10.6 mg and today it is 4.3 mg. In Patna it was 2.2 mg in 1986 and unfortunately, it is 2.5 mg today.

The Dissolved Oxygen improves. In Kanpur the DO was 6.7 mg in 1987 and 7.2 mg today. In Allahabad it was 6.6 mg in 1986 and 7.8 mg today. In Varanasi it was 5.9 mg in 1986 and 8.0 mg. today. In Patna it was 8.1 mg. and today it has come down to 7.1 mg. That is bad. So, the issue really is,

श्री लालू प्रसाद: महोदया, आप बहुत अच्छा उत्तर दे रही हैं, लेकिन पानी को बांध कर रखा है। इसकी धारा विरल रहनी चाहिए। इलाहाबाद, पटना, बिहार के आगे पानी नहीं जा रहा है। उसके लिए आप क्या प्रबंध करने जा रही हैं?

SHRIMATI JAYANTI NATRAJAN: Madam, I have just answered it and I have absolutely no issue in answering it again. Even in Farakka Barrage the flow of the river is coming down due to climate change and various other issues. The Farakka Agreement which hon. Member Lalu ji spoke about, where Bangladesh and India take 35,000 cubic feet divide for ten days between themselves is only 6,500 cubic feet today. Actually the quantity of water has come down. I have already spoken about the issue of the dams. The fact is that the run of the river comes back to the

water. So, the *Aviral Dhara* is not really, it is partly… (*Interruptions*) अगर स्टोरेज डैम होता, तो ठीक बात थी। Definitely it is a problem.… (*Interruptions*) That is a problem we need to consider. That is something which the nation needs to consider. All of us need to get together and talk about this issue whether we need to close it at a loss to the nation and cut out the electricity or whether we should allow the river to flow. If you ask me, I would say that the river should flow. But this is not a decision for me to make.

I would like to make two or three issues more. Last time, you had permitted a discussion on this subject on the 17th of December, 2011. After the discussion that happened in this House on the 17th of December, 2011, a meeting of the Standing Committee of the NGRBA was conducted on the 8th of February, 2012 under the Chairmanship of the hon. Minister of Finance. But decisions had to be deferred because of elections into major Ganga basin States.

A draft report prepared by IIT, Roorkee on Accumulative Impact-Assessment was placed before the Committee. The Standing Committee also decided to continue with an arrangement of providing 17 per cent Central share towards the operation and maintenance cost of the infrastructure, created for a period of five years. The Standing Committee also approved a various institutional arrangements to approve the projects on a fast track basis.

Subsequently, the Prime Minister chaired the third meeting of the National Ganga River Basin Authority on the 17th of April, 2012 in the presence of the Chief Ministers of Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand and Minister in-charge of West Bengal. The meeting was of special significance because the delegation of the *Ganga Sewa Abhiyan* – the protestors that hon. Member spoke about – were invited to the meeting and their agenda was considered as a part of the official agenda of the meeting. However, the delegation did not make any presentation and it was the expert Members, who actually spoke about the demands that were raised by the delegation of the *Ganga Sewa Abhiyan.*

The Prime Minister had expressed concerns about domestic and industrial pollution in the Ganga. He pointed out that the Pollution Control Boards, functioning under the State Governments should monitor the effluents being discharged by the industries. He asked the States to take action against the defaulters. I think that it is the most important thing. I think that the States and the Centre have to take action against the defaulters. I believe that one of the most important take away from this discussion which I will take is to consider very seriously how to monitor action being taken against defaulters, who discharge effluents into the Ganga. I think that it is the single most important problem that we face at this point of time.

I will assure the House that I will come back to the House with the system of monitoring the States as well as whatever exists on the river front to ensure that there is no effluent either domestic discharge or industrial effluent into the Ganga. It is because that is the most important step. I will assure that we will strain every nerve to see that this is done. We will not leave any stone unturned to see that this is done.

Madam, I have already spoken about the Report of the IIT, Roorkee. The specific administrative action which we have taken is that 716 grossly polluting industries which were discharging into the main stem of the river Ganga, namely, *Ramganga* and *Kali* East have been identified and a number of industries were also identified like Uttarakhand having 43; Uttar Pradesh, 637; Bihar, 13 and West Bengal, 23. The drains were identified. The inspection and monitoring of sewage treatment plants were done. The performance evaluation of three major common effluent treatment plants was undertake; two were in UP and one was in West Bengal. These are designed to treat tannery effluent. After inspection, directions have been issued under the Environment Protection Act to 16 industries and under the Water Act to 12 industries. It is because the Water Act is under the control of States. We have also issued letters for ensuring compliance, firstly for six industries. I do concede to the House that we need to improve the monitoring and

I will certainly take urgent steps. We need to look at it and make sure that the total monitoring and compliance is taken care off in a very specific way. Madam, I have already spoken about what the hon. Chief Ministers have said that there needs to be a balance in these efforts. I spoke about Narora which you mentioned. The Chief Minister of Uttar Pradesh has spoken about it but I do not want to go into that issue because that is a matter between the State and the Ministry of Water Resources.

Basically, I just want to say two things and this is for the fourth time I am saying this. This is something where the Prime Minister has already announced that there should be a multi-disciplinary committee with representatives from the State to give a set of recommendations on minimum desirable e-flows based on scientific opinion. The States, the urban local bodies, the people living on the Ganga river front and every single citizen of this country have a very important role to play in maintaining the *nirmal dhara* and the *aviral dhara* of the whole river, Ganga.

As far as the Central Government is concerned, I want to tell this House, in conclusion, that it is a matter of pride for me – please permit me to say it – that my leader, hon. Shri Rajiv Gandhi, was the person who envisioned the Ganga Action Plan and we have implemented it. Hon. Shri Manmohan Singh with the guidance of Shrimati Sonia Gandhi, is the person who declared the Ganga, as the national river and gave the nation, the National Ganga River Basin Authority. We will be second to none in making sure that no stone is left unturned to protect the river, Ganga, to ensure the flow of Ganga and to make sure that we hand over the Ganga to our children and future generations in posterity with the same purity with which it was given to us.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब जीरो ऑवर शुरू करते हैं। श्री गजानन धर्मश्री बाबर, आप बोलिये।

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त हो गया। हमने जीरो ऑवर शुरू कर दिया है।

श्री रेवती रमण सिंह: महोदया, हमें सवाल तो पूछने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब कौन सा सवाल है? हमने जीरो ऑवर ले लिया है। मि.बाबर, आप बोलिये।

श्री रेवती रमण सिंह: मंत्री जी का जवाब गलत है, वह हाउस को मिसलीड कर रही हैं। इसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

18.22 hrs

Shri Rewati Raman Singh and some other hon. Members left the House.

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Babar is saying.

*(Interruptions)**

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण मंत्रालय द्वारा देश में चलाये जा रही प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे देश में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2001 की जनगणना के अनुसार चलाई जा रही है और इस 2001 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में विशेष तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले पांच वर्षों से महाराष्ट्र राज्य को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण महाराष्ट्र राज्य इस योजना के लाभ से वंचित है। सरकार 2011 की जनगणना भी करा चुकी है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र में नगर निगम, जिला परिषद और पंचायती राज के चुनाव भी हो चुके हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अभी भी 2001 की जनगणना के अनुसार चल रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसी के अनुसार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की जाए, जिससे 250 से 500 तक जनसंख्या वाले गांवों को भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ मिल सके।

18.23 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया। 1960 के दशक में भारत सरकार के तत्कालीन श्रम एवं कल्याण मंत्री, बाबू जगजीवन राम जी ने एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी झारखंड राज्य के धनबाद जिला के भूली नगरी में बनाई थी। जिसमें खदान कर्मचारियों के अलावा व्यवसाय एवं नौकरी करने वाले निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को भी भाड़े पर क्वार्टर दिये गये थे। लेकिन कोलियरी के राष्ट्रीयकरण के बाद इसका ऱखरखाव भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कर रही है। बीसीसीएल ने इतना ज्यादा भाड़ा कर दिया है कि जिसकी वजह से मध्यम वर्ग के लोग भाड़ा देने में असमर्थ हैं। लेकिन बीसीसीएल उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वर्षों से रहे निजी क्वाटरधारियों को आज बाहर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विधि व्यवस्था के

* Not recorded

कारण सफलता नहीं मिल पा रही है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि गैर बीसीसीएल, निजी क्वाटरधारियों के निमित्त भाड़ा दिया जाए या लीज़ पर क्वाटर दिया जाए। सरकार यह कार्यवाही अविलंब करे।

MR. CHAIRMAN: Shri Ravindra Kumar Pandey may be allowed to associate himself with the submissions made by Shri Pashupati Nath Singh.

SHRI S. R. JEYADURAI (THOOTHUKKUDI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity and I would, through you, like to draw the attention of the House and to the hon. Minister for opening new Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas in my constituency.

Thoothukudi district is popularly known as the Pearl city and also Port city. It is known for its developing industries. There are a lot of Central Government and State Government offices like the Port Trust, the Railways, Central Industrial Security Force, Airport Authority of India, Food Corporation of India etc. There are a lot of Central Government employees who are working in these organizations. They are facing a lot of problems for the admission of their child in schools.

There is no Kendriya Vidyalaya or Navodaya Vidyalaya in this district. I have been repeatedly requesting the Ministry of Human Resource Development to start a Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya in my district. I would once again like to request the hon. Minister of Human Resource Development to start a Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya from the coming academic year itself.

Sir, I would like to make another request… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मुझे यहां से बोलने की इजाजत दी जाए। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद, नरसिंहपुर में महत्वपूर्ण गेंहू

---

* Not recorded

खरीद में गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्थानीय सरकार के नेताओं ने मिल कर गेंहू परिवहन में बड़ा घोटाला, पिछले वर्ष लगभग 200 ट्रक गायब कर के किया था। विगत 12 मई तक लगभग 20 ट्रक पकड़ाए जा चुके हैं। इस आशय की खबर स्थानीय पुलिस को भी है। मैं सदन के माध्यम से वहां के नव दुनिया अखबार को, राज एक्सप्रेस भोपाल को, पत्रिका भोपाल को, एक्सप्रेस भोपाल को, भास्कर भोपाल को, प्रदेश टुडे भोपाल को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को प्रशासन के सामने रखा है। मेरा अनुरोध है कि जहां प्रदेश की सरकार को बारदाना खरीदने के लिए 1800 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से केंद्र की सरकार राशि देती है, 1285 रूपये उन्हें किसान को भुगतान करना पड़ता है। लगभग साढ़े पांच सौ रूपये में उन्हें गेंहू खरीदना है, ट्रांस्पोर्टेशन करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। सरकार समय पर बारदाना नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कर के, परिवहन में भ्रष्टाचार कर के स्थानीय किसानों को प्रताड़ति किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत बात है। एक तरफ किसानों की हत्या की जा रही है। पुलिस की गोली से किसान मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ परिवहन में घोटाला हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र की सरकार एक उच्चस्तरीय जांच कराए, आवश्यक हो तो सीबीआई जांच कराए क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश में अब भ्रष्टाचार का गेंहू खरीदना बंद होना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)[*]

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले दो महीने से हमारे राज्य अरूणाचल प्रदेश में खाद्य का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस बारे में एफसीआई का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे अंजाओ, अनीनी, तुतिंगेली और विजयनगर जैसी जगहों का सड़क यातायात टूट चुका है। हमारे प्रदेश में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। असम रीजन में एफसीआई की डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी कहने के कारण से हमारे वहां खाद्य का सामान नहीं पहुंच पाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड के लिए, मणिपुर के लिए या मिजोरम के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे

[*] Not recorded

डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं, वे तो केवल पंजाब और हरियाणा हैं। हमारा असम डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी या स्टेट नहीं हो सकता है।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Sir, Rameswaram is one of the holiest places of Indians in the Ramanathapuram region of Tamil Nadu and it is also a crucial aspect of the holy 'Char Dham' pilgrimage. They are Badrinath, Dwarka, Jagannath Puri and Rameswaram. Rameswaram is also known as the Varanasi of South.

When I speak about Rameswaram, I should also mention about Pamban Bridge which is a very important historical tourist place. Now the condition of Pamban Road Bridge is worse. It should be renovated immediately. Thousands of Hindu pilgrims on pilgrimage to the holy Hindu shrine of Rameswaram cross the bridge everyday.

Pilgrims, tourists and travelers who travel by road get down near the Pamban bridge and see the Bridge and then proceed. Likewise, whoever travels by train also gets down at Pamban Railway Station and travel by road for a few kilometres and sees the Pamban Bridge and then returns to the Pamban Railway Station and then they proceed. Hence the Pamban Railway Station is busy and functioning well.

In this situation, the Indian Railways is planning to close down the historically famous Pamban Railway Station once for all. On hearing this, the pilgrims, travelers and the local public are very much worried.

So, I urge the Government to take a decision to abandon the plan of closing down the Pamban Railway Station immediately.

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Sir, my parliamentary constituency, Pollachi is one of the leading commercial centres in the State of Tamil Nadu with huge population. Many Central Government establishments exist in Pollachi. However, there is no Central School in my entire parliamentary constituency. Therefore, the Government employees are finding it very difficult to maintain the continuity of education of their wards.

Another big commercial centre of Tamil Nadu, Coimbatore, is very close to my parliamentary constituency and it is only 40 kilometres away from Pollachi. In Coimbatore too, many Central Government establishments exist and the people working there also are settled in Pollachi. Government employees give preference to admit their children in Central School because their job is transferable. However, Pollachi is deprived of having a Central School. Whereas Central Schools exist in almost all the places.

Therefore, I urge upon the hon. Minister to direct the Central School Organisation to establish a Central School in Pollachi urgently.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): महोदय, आज मैं उस चर्चा को उठाना चाहता हूं, मैं पूरे सदन में उसका जिक्र करना चाह रहा हूं, वह चर्चा करना चाह रहा हूं, जो सालों से हो रही है, लेकिन शायद अभी तक उसका वह रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए। मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारों की बात कर रहा हूं और समाज की बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले अभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 60 साल मनाया गया है। आजादी के इतने साल हो गए हैं, अभी हम इसका जश्न मना ही रहे थे कि तब तक हमारे अंडमान निकोबार के एम.पी. विष्णु पद राय जी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी या किसी पदाधिकारी की ज्यादिती का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उन्हें धक्का मारा गया, शायद उसकी इंक्वायरी चल रही है। उन्हें धक्का मारा गया, उन्हें अपशब्द कहे गए, उनकी बेइज्जती हुयी, यानी पूरी संसद की बेइज्जती हुयी। हम सब उसी संसद के भाई हैं, भले ही अलग-अलग पार्टी से हों। आज मैं अपनी बात को उस बात के साथ जोड़ते हुए पूरे सदन का सहयोग और आशीर्वाद चाहूंगा। महोदय, मैं आपके जरिए सबका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इतने साल हो गए हैं, ऑफिशियल्स की हाई हैंडेडनेस या पुलिस ऑफिशियल्स की ब्रुटैलिटी, मिसबिहैवियर, एब्यूजिव लैंगुएज, थर्ड डिग्री मैथड अब तक चला आ रहा है। अभी-अभी हमने कुछ बच्चों का फोटोग्राफ देखा, पुलिस की ज्यादिती की तस्वीर देखी कि कुछ बच्चों को चैन से जकड़कर रखा है। कभी तस्वीर देखते हैं किसी को पेड़ से उल्टा लटका कर मारते हुए, कभी तस्वीर देखते हैं कि कोई सूसाइड कर रहा है, कोई बुरी तरह प्रताड़ित हुआ है। आखिर कैसे इसका खात्मा होगा? यह मामला कांग्रेस का, आरजेडी का, बीजेपी का या तमिलनाडू और बिहार का नहीं है, यह पूरे देश का मामला है, पूरे सदन का मामला है, हम सबके परिवार का मामला है। जब यहाँ पर बात लाई जाती है तो इसमें सदन का पूरा सहयोग मिलता है, सदन का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन फिर उसकी इनक्वायरी के बाद मालूम नहीं कि क्या होता है। अभी तक क्या-क्या हुआ शायद हममें से बहुतों को नहीं पता।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि 18.10.2005 की घटना को पूरे सदन ने और पूरे देश ने देखा होगा। चूँकि यहाँ नाम लेना मना है, इसलिए मैं कहूँगा कि बिहार में तत्कालीन एस.पी. द्वारा हमारे केन्द्र के मंत्री जयप्रकाश यादव के भाई को बहुत ही ब्रूटली मारते हुए दिखाया गया और वहाँ के अधिवक्ता भी थे। यह रिकार्ड पर है इसलिए नाम ले सकता हूँ - रिकार्ड पर है उनके भाई को बुरी तरह मारते हुए, गालियाँ देते हुए वहाँ के तत्कालीन एस.पी. का नाम चूँकि वहाँ रिकार्ड पर है, इसलिए दे रहा हूँ। उसके बाद वहाँ के अधिवक्ता अशोक कुमार को इतनी बुरी तरह मारा गया कि पूरे देश ने उसको टीवी पर कई बार देखा। ऐसे कई केसेज़ हुए हैं - यहाँ के, तमिलनाडू के, आंध्र प्रदेश के, पंजाब के, हर तरफ के केसेज़ हुए हैं। उसके बाद आज तक मैंने नहीं सुना कि उस पर कोई इनक्वायरी हुई या उस पर कोई प्रतिक्रिया हुई हो। मैं एक घटना का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, घटनाओं का ज़िक्र कर रहा हूँ। आखिर क्या बात है कि आज एक से एक पुलिस स्टेशन जहाँ हैं, हम पुलिस के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या क्या नहीं सोच रहे हैं? सारे पुलिस वाले भी ऐसे नहीं हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे देश की पुलिस की वजह से ही हम चैन की नींद सोते हैं, हमारे देश की पुलिस की वजह से ही हम होली दीवाली और ईद इतनी अच्छी तरह से मनाते हैं, लेकिन ब्लैकशीप फोर्सेज़ में हैं, हर फोर्सेज़ में हैं, उनका आखिर क्या इलाज है? मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले तो अगर ऐसी बात ही नहीं हो, तो ठीक है। अगर हो, तो उस पर सोसाइटी की तरफ से उनके इंटैरोगेशन रूम में, पुलिस स्टेशन में, मोहल्ला कमेटी, या सोसाइटी के कोई इंटैलैक्चुअल्स या प्रोफैशनल्स की कोई कमेटी हो, जो कभी भी वहाँ पर बिना बताए हुए जा सके और देख सके कि वहाँ ब्रूटैलिटी हो रही है या नहीं, ज़्यादती हो रही है या नहीं।

दूसरा, अगर मेरे सुझाव का कोई असर पड़े तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आज पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होती है, ऑपरेशन की वीडियोग्राफी होती है, पार्लियामैंट में हम जो बात करते हैं, क्लोज़ सर्किट कैमरा से हमें कैप्चर किया जा रहा है। तो फिर पुलिस स्टेशन हो या सीबीआई हो या ऐसी कोई भी एजेन्सी हो, इसकी हर इनक्वायरी को वीडियोग्राफ़ करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, हमें पता चल सके कि इनकी ज़ोर-ज़्यादतियों का क्या सिला है और इनकी ज़ोर ज्यादतियों को कैंसे रोक सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। अब बात बहुत बढ़ गई है। असत्य का सहारा, सोर्सेज़ का सहारा, इनफ्लूएंस का सहारा लेकर ये लोग बात दबाते हैं और इनक्वायरी में बहुत देरी हो चुकी होती है। साथ ही साथ हमने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में या दूसरे मामले में आज सब स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। आज आमिर खान सत्यमेव जयते जैसा इतना बढ़िया प्रोग्राम लेकर देश के लिए आए हैं। आज वे भी कहते हैं कि फीमेल फीटीसाइड पर स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। मैं यही अपील करना चाहूँगा आप तमाम लोगों की तरफ से कि एक तो सारा इंटैरोगेशन पुलिस स्टेशन के बाहर जो सो-कॉल्ड

एनकाउंटर करते हैं, और पुलिस स्टेशन के अंदर जो इंटैरोगेशन होती है, उसका रिकार्ड होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से डील करने के लिए, पुलिस की ज़्यादतियों के लिए, पुलिस की बर्बरता के लिए, पुलिस के मिसबिहेवियर, अत्याचार, अनाचार और दुराचार के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन होना चाहिए। जब हमारे क्राइम्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन हो रहा है तो उनके क्राइम्स के लिए भी स्पेशल कोर्ट्स का गठन होना चाहिए। लॉ सबके लिए एक समान है। हम अगर अपने हाथ में कानून लेते हैं तो पुलिस हमें पकड़ती है। अगर पुलिस अपने हाथ में कानून ले रही है और डंडा चल रही है, डंडे से सिर तोड़ रही है तो उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए और उसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। मैं इस पर पूरे सदन का सहयोग और समर्थन चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: S/Shri Kamal Kishor 'Commando', Uday Pratap Singh, Ravindra Kumar Pandey, Shri Arjun Ram Meghwal and Virendra Kumar are allowed to associate with the matter raised by Shri Shatrughan Sinha.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir I would like to speak with regard to the need of the holiday trains from Delhi to concerned States. Thousands of Keralites are working in Delhi, Mumbai or in Chennai. Sir, in the holiday season, it is very difficult to go there. As far as the holidays are concerned, these are the happiest days.

Sir, a lot of teachers, students and workers, who are working in Delhi, are from Kerala. These days become the terrible days as they do not find trains to go back. It is true that three months back they have reserved the tickets, but they are in the queue and it is not an ordinary queue, but it is a very long queue.

So, I would request the Government and also the hon. Minister of Railways to introduce new trains, especially in the holiday season. I think, in earlier days there was a practice. So, I would request the hon. Minister to introduce trains from Delhi to Kerala; not only to Kerala but to other States also or increase the frequency of the Rajdhani Express or Sabarkanta Express or Duranto Express. So, the Government has to take this issue seriously because the holidays are nearing.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I would like to associate with the matter raised by the Shri P. Karunakaran.

MR. CHAIRMAN: Yes, you are allowed to be associated with him.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir I am deeply perturbed to say that extremist activities in the North-Eastern Region are on the rise recently. Recent disturbance is caused by way of smuggling, snatching of arms, kidnapping and murder. It is going on unabated in this region.

Sir, I would like to say here that there is illegal mining of coal mines in the parts of Arunachal Pradesh bordering Nagaland. There, some unscrupulous traders are smuggling coal and probably they also help the extremists to go there.

Sir, recently in parts of Assam and in parts of Arunachal Pradesh also, Maoist activities is going on. A lot of small boys are joining there. Why are they joining and what is the reason behind it? They are joining because they have got no other means. They get small amount of money and because of that they take to arms and kill somebody and indulge in smuggling. That is why I am requesting through you to the Government that the Government should take steps so that these boys may be given some sort of earning and also in those areas where extremist activities are growing, in those areas there are no roads and no bridges at all.

Sir, I would like to mention one point here that recently the hon. Minister of Home Affairs, Government of India, visited Arunachal Pradesh and he denied the existence of the extremism in those coal belt areas. This is unfortunate. So, this will ignite more of these activities.

So, I would request to the Government that they should accept it and they should try to do something so that extremist elements in those regions may not disturb the very fabric of the society.

SHRI P.K. BIJU: I would like to raise an important matter before the House. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) was passed in September, 2005 and it has a positive impact on the livelihood of rural

poor. MNREGA is guaranteeing hundred days of wage-employment in a financial year to a rural household. But some pertinent questions related with social security of the workers are still left answered. Those who were the registered members but cannot able to participate in the MNREGA activities either due to ill-health or old-age would be naturally ousted out of this social net. Apart from these, the workers may also fall into cycles of excessive seasonality of employment and suffer from absence of social security protection such as life and disability cover, health and maternity benefits, old-age protection and any other benefit. The sector is also highly unorganized and there is no mechanism for the reddressal of their grievances and protection against on-the-job accidents. These shortcomings will hamper the ethos and spirit of this employment guarantee programme and will end up with partial accomplishment of its goals. There should be specific welfare schemes to curb the weaknesses of the programme.

So, Sir, the Government should take necessary steps to form a welfare fund to take care of its members and their families in their misfortunes. I would also urge upon the Government to consider the MNREGA workers under the category of unorganized sector and include them within the ambit of the "Unorganized Sector Workers' Social Security Act, 2008".

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, मैं आज जिस विषय को उठा रहा हूं। यह बहुत ही दुःखद, गंभीर और हृदय विदारक है। मैं बिहार राज्य के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से आता हूं। आप जानते हैं कि बिहार, यू.पी. और देश के कई हिस्सों में सत्तू एक बहुत ही पौष्टिक और सुरूचिपूर्ण आहार है। खासकर, जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए सत्तू एक प्रमुख आहार है। इसी महीने की चौदह तारीख को जहानाबाद शहर मुख्यालय में मजदूर वर्ग जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठेला चलाने का काम करते हैं, टमटम चलाने का काम करते हैं या डेली वेजेज पर दूसरे काम करते हैं, उन लोगों ने सत्तू का सेवन किया। न जाने क्या ऐसा हुआ कि चार घंटों के अन्दर दस व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी और सात लोग बुरी तरह आक्रांत हैं और वे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्त्ती हैं।

जो मरने वाले हैं, वे दलित, महादलित परिवार के और अत्यंत पिछड़े वर्ग के, पिछड़े वर्ग के और अन्य जातियों के लोग हैं। जो मृतकों की सूची है, उसमें सांसद दास, पप्पू दास, त्रिभुवन दास तीनों जहानाबाद के धानाडिहरी गांव के हैं। वंशी राम, चन्धरिया गांव, जहानाबाद, साधु शरण साव, पिंजौर गांव, जहानाबाद, कृष्णा रजक, सिकरिया, जहानाबाद, कृष्णा यादव, सैदपुर गांव, जहानाबाद, विदेशी पासवान, उर्मा शर्मा पिताम्बरपुर, इत्यादि लोगों की मृत्यु हुई है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you please tell what do you want from the Central Government.

श्री जगदीश शर्मा: सभापति महोदय, यह बड़ी दुःखद घटना है। मैं इसे व्यक्त नहीं करूंगा तो पीड़ित लोगों के परिवार और आश्रितों को धैर्य और संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे इस वाकिये का वर्णन करने के लिए चंद मिनटों का समय दिया जाए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। काको थाना के सैदपुर गांव के कृष्णा यादव, खालिसपुर गांव के विदेशी पासवान, पीताम्बरपुर गांव के उमा शर्मा, और जहानाबाद के कसई गांव के नथुनी साव - ये दस लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सभी गरीब परिवार से आते हैं। सभी बिल्कुल मजदूर वर्ग के हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने घटना की सूचना मिलते ही प्रत्येक परिवार को तत्काल दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और सदन का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यूपीए-टू की सरकार गरीबों की, मजदूरों की बात करती है। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वे गरीब परिवार के लोग हैं।

MR. CHAIRMAN: You demand what support you want from the Central Government.

श्री जगदीश शर्मा: सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार सभी मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपया मुआवजा दे। हमने इस संबंध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है जिसमें पांच लाख रुपया मुआवजा और परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है तथा आक्रांत परिवारों को एक-एक लाख रूपये प्रदान किए जाएं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां विश्व की सर्वाधिक प्राचीन नदी, नर्मदा नदी, प्रवाहित होती है। उस नदी पर बरगी नामक स्थान पर पैंतीस वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने बांध बनाया था। उसे बरगी बांध कहते हैं। उस समय उसका जो उद्देश्य बताया गया था, वह यह था कि कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचे, सिंचाई की सुविधाएं मिलें और साथ में विद्युत उत्पादन हो। लेकिन, उसमें योजना बिल्कुल भी नहीं की गयी और उसका दुर्भाग्यजनक पहलू यह है

कि उसमें दो तरफ से नहरें बननी थीं - बायीं तट नहर, और दायीं तट नहर। अभी 13 तारीख को मैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और अन्य जनप्रतिनिधियों ने वहां दायीं तट नहर का निरीक्षण किया। हम नहर ढूंढ़ रहे थे कि इसमें नहरें कहां हैं जो उस स्थान पर बनी हुई बताई गयी। कई जगह नहरें नालियों के रूप में मिलीं और कई जगह जहां नहरें होनी चाहिए थीं, वहां पर हमें खेत दिखाई दिए। इसकी जो दायीं तट नहर है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें कछारों को जोड़ने और जलापूर्त्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। यह नहर नर्मदा नदी से गंगा नदी के कछारों को जोड़ती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकता में कृषि क्षेत्र और विशेष रूप से सिंचाई को सबसे ऊपर रखा है। इस परियोजना से लगभग साढ़े तीन लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस परियोजना का काफी कार्य किया जा चुका है। किन्तु, राज्य सरकार के हरसंभव प्रयास के बावजूद अपने सीमित संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से बड़ी इस परियोजना को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः मध्य प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। मैंने 21 जुलाई, 2009 को लोक सभा में नियम 377 के तहत यह मामला उठाया था, जिसके उत्तर में केन्द्र सरकार ने मुझे 26.8.2009 को ही जवाब दिया था कि यदि मध्य प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजेगी तो कार्रवाई की जायेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी, 2010 को प्रस्ताव भेज दिया, जो अभी तक लम्बित है। यदि यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो इस परियोजना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आसानी होगी।

बरगी बांध की यह परियोजना इंटर स्टेट प्रोजैक्ट फॉर इन्क्लूज़न अंडर नेशनल प्रोजैक्ट की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसमें किसी भी क्षेत्र में जल के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, परन्तु केन्द्र सरकार ने आज दिनांक तक इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि सम्पूर्ण महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के विकास हेतु बरगी बांध की दायीं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में शीघ्र कार्रवाई करे।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, it has been reported recently in the print media that 33 drugs have been approved without human trials. Drugs are not supposed to be sold without clinical and human trials as it jeopardizes the life of the patient.

It seems that Central Drugs Standard Control Organisation has connived with the drug manufacturers at the cost of the general public. The Parliamentary

Standing Committee has also recommended to the Health Ministry to initiate action against those involved in this sordid episode.

Under the circumstances, through you, Sir, I would like to strongly urge the hon. Minister to take stern action not only against those officials who approve these drugs but also stringent action against all those involved in this matter and drug manufacturers canceling the licenses of the drug manufacturers who for their own ulterior or private interests throwing all the ethics and rules to the wind.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में जो आग लगी हुई है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पहाड़ों में आग लगी है, जंगल जल रहे हैं, जड़ी-बूटियां जल रही हैं, जानवर जल रहे हैं, हिमालय जल रहा है और हमारी जो जंगल की सम्पदा है, वह जल रही है। अभी गर्मियों की शुरूआत है और अभी से ही उत्तराखण्ड की पौखाल रेंज के गधोलिया, पौड़ी, धर्मगढ़, देचौरी, बेलगढ़, रामनगर रेंज के गुलजारपुर, देवप्रयाग, अलमोड़ा, लैंसडाउन, रुद्रप्रयाग, मसूरी तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के वनों में आग की घटनाओं की जानकारी आई है।

एक तरफ तो हम पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों के संवर्धन की बात करते हैं और दूसरी ओर हर वर्ष होने वाली इन वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाते हैं। मैंने पहले भी यह समस्या उठाई थी तो वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मुझे आश्वासन दिया था कि इसके लिए हम एक विशेष नीति बनाएंगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही पर्वतीय राज्यों के जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष नीति बना कर उसे क्रियान्वित करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, टाइगर्स की संख्या देश में दिन-ब-दिन घटती जा रही है और इसके लिए सारे देश में चिन्ता प्रकट की जाती है। सदन में अनेकों बार इस पर चर्चा हुई है।

पन्ना टाइगर प्रोजैक्ट स्कीम मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पन्ना जिला, छतरपुर, दमोह, सागर, कटनी जिलों के फॉरेस्ट एरिया को मिलाकर पन्ना टाइगर रिजर्व फोरैस्ट एरिया बनाया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पलकोहां, खरियानी, ढोड़न, मैनारी आदि गांव, जो कि इस रिजर्व फोरैस्ट एरिया में आते हैं, यहां के लोगों को हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि उनको कब विस्थापित किया जायेगा। इस कारण से वहां पर न सांसद निधि से, न विधायक निधि से, न राज्य सरकार के द्वारा और न केन्द्र सरकार के द्वारा कोई विकास कार्य हो पा रहे हैं। तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री सम्माननीय जयराम

रमेश जी उस क्षेत्र में आये थे। उन्होंने इन गांवों के विस्थापन के लिए 150 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके विभाग का परिवर्तन हो जाने के बाद इस दिशा में केन्द्र सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

इस कारण से मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पलकोहां, खरियानी, ढोड़न, मैनारी आदि जो गांव हैं और इसके साथ ही साथ सैंचुरी में आने वाले जो गांव हैं, जहां पर कि लोगों को विस्थापित किया जाना है, केन्द्र सरकार उस सम्बन्ध में तुरन्त पहल करे और मेरे संसदीय क्षेत्र के इन चार गांवों के विस्थापन के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि शीघ्रातिशीघ्र देने का सहयोग करे।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक जे 11013 /2/2009 एनआरईजीए दिनांक 30.12.2009 के द्वारा स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी तालुका स्तर पर तथा सर्व ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना के अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बांधकाम का समावेश किया है।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्व तालुका स्तर पर तथा सर्व ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना के अंतर्गत केंद्र की बांधकाम कीमत तालुका कक्षा के लिए 25 लाख रूपए व ग्राम पंचायत कक्षा पर 10 लाख रूपए तय की गयी है। उसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थिति तथा एस.आर.ओ. के अनुसार बांधकाम की डिजाइन तैयार करके योजना के नियमानुसार बांधकाम करना पड़ता है।

गुजरात राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार राज्य के सभी जिले भूकम्पग्रस्त जोन-तीन, जोन-चार और जोन-पांच के अंतर्गत आते हैं। जिनका बांधकाम भूकम्प प्रतिरोधक रीत से केंद्र तथा राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के तहत बांधकाम की डिजाइन तय की जाती है। तदुपरांत एस.आर.ओ. की दरों का भी उपयोग करना होता है। इन सबको ध्यान में रखकर नक्शे एवं अंदाजपत्र बनाये गये हैं। इसके अनुसार तालुका कक्षा के एक केंद्र की अंदाजा कीमत 31 लाख रूपए तथा ग्राम कक्षा के एक केंद्र की कीमत 16 लाख रूपए बनती है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि उपरोक्त परिवर्तन जो कीमतों में हैं, उन्हें मंजूरी दी जाये।

MR. CHAIRMAN: On special permission I am going to allow some Members. So I request them to make their submissions very briefly and conclude within a minute. Otherwise, I cannot permit and I may have to adjourn the House.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of this House and to the Government a serious health problem that is posing a great danger to the society.

Sir, presently more than 3.7 million people in India are suffering from dementia, a serious brain-related, memory loss problem. This chronic syndrome affects the memory of especially the older persons and their ability to think.

There are studies done by the World Health Organisation which show that in the next two decades, the number of people affected by dementia is expected to be doubled and the cost of treatment is going to be three times more. Moreover, the cost of taking care of a person with dementia is about Rs. 45,000 annually.

With the emergence of more and more nucleus families, the system of joint families no longer exists and the old people are left to fend for themselves. They are a depressed lot and come under severe mental stress and strain.

MR. CHAIRMAN: Please don't go into detail and say what you want the Government to do.

SHRI C. RAJENDRAN : By 2050, people aged over 60 years would be more than 20 per cent of the world's population. They need proper care and attention at their ripe age.

The Government of India should establish a National Institute of Ageing. There has to be a National Policy for dealing with the old, giving special focus on people with dementia. The National Mental Health Programme should have a provision for treating this and the drugs/medicines should be made available through the public health care system.

श्री जगदीश सिंह राणा: महोदय, सदन के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र नगर निगम सहारनपुर से जम्मू-कश्मीर तक और मेरठ से दिल्ली तक डबल रेलवे लाइन है, लेकिन आजादी के लगभग 64 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम सहारनपुर से टपरी मेरठ तक के बीच का हिस्सा मात्र जो 110 किलोमीटर का है, अभी तक वहां सिंगल रेलवे लाइन है। उक्त समस्या के बारे में लगातार 3 वर्ष से मैं रेल मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करा रहा हूं। वर्तमान रेलवे बजट 2012 में लगभग

300 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है, लेकिन अभी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। सहारनपुर से दिल्ली तक की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने के लिए दो घंटे का समय ही पर्याप्त है, लेकिन इस दूरी को तय करने में अधिकतर रेलगाड़ियां चार-पांच घंटे देरी से पहुंचती हैं। दिल्ली से मेरठ-सहारनपुर-हरिद्वार, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का मात्र एक ही रेल मार्ग है।

सहारनपुर एशिया का वुड कारविंग का सबसे बड़ा बाजार है, जहां से दूसरे देशों को लकड़ी के सामान का निर्यात काफी अधिक मात्रा में होता है। सहारनपुर-मेरठ रेलवे लाइन पर देवबंद में दारूल-उलूम मुस्लिम समाज की शिक्षा अध्ययन का एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 50 मीटर दूरी पर रेलवे लाइन के ऊपर पुल का निर्माण लगभग पांच सालों से निर्माणाधीन है। उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है?

19.00 hrs

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक साईड से ही यात्रयों को आने-जाने की व्यवस्था की है जिससे अत्यधिक भीड़ जमा होने से किसी भी अप्रिय घटना का भय बना रहता है। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat now.

श्री जगदीश सिंह राणा: सहारनपुर रेलवे स्टेशन के द्वितीय द्वार पर कोई पुल नहीं है जिससे यात्री दूसरी साइड से प्लेटफार्म पर सीधे आ सके। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर द्वितीय द्वार के आरक्षण केन्द्र पर मात्र एक रेलवे कर्मचारी ही सुबह 9 से 5 बजे तक कार्यरत है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को टिकट व आरक्षण के लिए पूरा-पूरा दिन लाईन में लगा रहना पड़ता है।…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति एव जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विषय में बात करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय की एक दो सदस्य वाली बेंच ने 27 अप्रैल को अपने एक फैसले में अनुसूचित जाति, जनजाति को पिछले 18 सालों से प्रोन्नति में चले आ रहे आरक्षण को रद्द करते हुए एक फैसला दिया है। दो सदस्यों वाली इस बेंच ने 19 अक्टूबर, 2010 वाले एक पांच सदस्यों वाली सर्वोच्च न्यायाल की बेंच के. एम. नागराज केस फैसले को आधार बनाया है।

---

* Not recorded

मैं इस सदन का ध्यान 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें नौ सदस्यों वाली बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण में पदोन्नति के अधिकार को नकार दिया था और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण अगले पांच साल चलाते रहने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की आरक्षण पर यह अब तक स्थापित सबसे बड़ी बेंच का फैसला था। इस बेंच में नौ जज थे। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से तथा यूपीए की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी से मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन कर आरक्षण संबंधी प्रावधानों को न्यायलय के ऐसे फैसले से बचाया जाए जिससे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions)[*]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस गर्मी के मौसम में, कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड में पेयजल की घोर संकट की ओर दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपको ताज्जूब होगा कि वर्तमान में अरबों रूपया पीने के पानी के लिए खर्च हुआ है। लेकिन अभी तक वहां के लोगों को शुद्ध पेय जल नहीं उपलब्ध हो पाया है। हमारा आप से आग्रह होगा कि जिस प्रकार तेनुघाट डैम से बोकारो स्टील को पानी दिया जा रहा है उसी प्रकार तेनुघाट डैम से सी.सी.एल. के ढ़ोरी, कथारा एरिया और भारत कोकिंग कोल के बाद ब्लॉक-1 और ब्लॉक-2, ब्लॉक-3, एरिया-3, एरिया-4, एरिया-5 और एरिया-6 को पानी उपलब्ध कराया जाए।...(व्यवधान)

वहां पर चानक में पानी भरा हुआ है। भारत कोकिंग कोल्स का जितना भी माइन्स है उसमें से निकाल कर अगर हम पीने का पानी उपलब्ध करवाते हैं तो वहां के लोगों को गांव के लोगों को राहत मिलेगा और सिंचाई की व्यवस्था होगी।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance relating to my constituency.

Sir, Kuthanad is one of the largest paddy production areas of my parliamentary constituency in Kerala. The first UPA Government has announced a package for Kuthanad agricultural development. A sum of Rs.1,846 crore was

[*] Not recorded.

announced by the Government of India. That has to be implemented by the State Government.

The eminent agriculture scientist, Dr. M.S. Swaminathan, suggested that Kuthanad be declared as a Special Agriculture Zone, but so far the Government of India has not taken any step. So, I would urge upon the Government of India, Ministry of Agriculture, to take necessary action to declare Kuthanad as a Special Agriculture Zone.

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Thank you, Mr. Chairman, Sir. In Tamil Nadu, Kamban Express Train No. 16175 runs from Chennai to Karaikal. In the broad gauge conversion between Chennai and Karaikudi via Mayiladuthurai, Tiruvarur, Tirutharaipoondi, Athirampattinam Pattukotai and Karaikudi, work has been completed between Chennai and Villupuram in the first phase. The work was to start from Villupuram to Mayiladuthurai in the second phase; and Mayiladuthurai to Tiruvarur in the third phase.

Now, as per the Budgetary Grants, the work has begun between Karaikudi to Pattukotai instead of continuation of work between Tiruvarur and Karaikudi. I would like to know from the hon. Minister why this work has not been continued in the same stretch between Tiruvarur and Karaikudi. I would request the hon. Minister of Railways to continue the work between Tiruvarur and Karaikudi.

.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति, आपके परमिशन से मैं बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में पंचायत का रोल सबसे इम्पॉर्टन्ट है। जम्मू-कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शन दस महीने पहले हुए थे। दस महीने पहले इलेक्शन होने के बावजूद पंचायतों को अभी तक पावर नहीं मिली है। जो 73 एवं 74 अमेण्डमेट्स हैं वे अभी तक वहां लागू नहीं की गई हैं। उस वजह से पंच और सरपंचों के थ्रू फंड खर्च नहीं होते। वहां न किसी किस्म की सुविधा है और न किसी का कंट्रोल है। This is an injustice to the panchayats. मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी और राजीव गांधी जी का पंचायतों को स्ट्रांग

करने का जो सपना था, the Government is not taking steps for giving proper role to the panchayats.

मैं रिक्वैस्ट करूंगा पंचायतों को पावर दी जाए ताकि वे अच्छे ढंग से काम कर सकें। शुक्रिया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, भारत की न्यायशास्त्र पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कानून को लागू करने वाली मशीनरी से जनता का विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अपराध के मामलों में बहुत कम लोगों को सजा होना है। किसी केस में कितनी सजा दी जाए, इसके लिए न्यायालयों को विवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। सीआरपीसी में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसके कारण न्यायालय निर्णय करते समय बहुत सी विवेकीय शक्तियों के तहत निर्णय करते हैं। एक ही तरह के केस में कई बार न्यायधीश एक साल की सजा दे देते हैं, कभी सात साल की सजा दे देते हैं और किसी को छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थियां विश्व के अन्य देशों में भी आईं। उन्होंने सैंटैंसिंग गाइडलाइन्स बनाईं विशेष रूप से यूएस और यूके ने। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जैसे यूएस और यूके में सैंटैंसिंग कमीशन बनाया गया, ऐसी ही भारत में भी बनाया जाए जिससे जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रह सके।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow, the 18th of May, 2012 at 11 a.m.

19.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 18, 2012/Vaisakha 28, 1934 (Saka).